खण्ड-419, अंक-8
मंगलवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1919
(29 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना			...	1
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1–89
उत्तर प्रदेश विधान सभा की हीरक जयन्ती समारोह मनाये जाने के संबंध में सूचना				89
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	89–90
बलिया जनपद में हरिजन ऐक्ट के दुरुपयोग एवं पिछड़ों पर किये जा रहे जुल्म से निजात दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	90
आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के देवारा अंचल को घाघरा नदी के कटान से रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	90
देवरिया तथा कुशीनगर जनपद की नहरों में पानी की आपूर्ति व सफाई की व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	91
जनपद चन्दौली के राजकीय महाविद्यालय धानापुर में विज्ञान की कक्षायें चलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...		...	...	91
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में हरिजनों की जमीन पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	91–92
आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	92–93
सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर में किसानों का भुगतान न होने के कारण व्याप्त असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	91–92
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	...	...	...	93
दिनांक 28 जुलाई, 1997 को श्री अशोक बाजपेई तथा समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन न चलने देने की धमकी दिये जाने और शोर मचाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न...		...	...	93–94
विधान सभा के अन्दर दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने और विधायकों द्वारा लिखे गये पत्रों का उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न			...	94–95
शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...	...	...	96
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...			...	96–98

विषय	पृष्ठ संख्या
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1994 संख्या–4 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया)	98–99
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1995 संख्या–2 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया)	99
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1996 संख्या–2 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया)	99
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1995 (सिविल) संख्या–3 (सदन के पटल पर रखा गया)	99
वित्त लेखे 1994-95 एवं विनियोग लेखे 1994-1995 (सदन के पटल पर रखे गये)	99
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1996 (सिविल) संख्या–3 (सदन के पटल पर रखा गया)	100
वित्त लेखे 1995-96 एवं विनियोग लेखे 1995-1996 (सदन के पटल पर रखे गये)	100
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1995 संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया)	100
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित किया गया) ...	100
कार्य-स्थगन प्रस्ताव में चर्चा की मांग होने पर अग्राह्य किये जाने के संबंध में व्यवस्था...	100–101
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	101–109
वित्तीय वर्ष (1997-98) के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	109–139
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	139–140
डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में बी० एड० प्रवेश परीक्षा फार्म समय पर न दिये जाने तथा परीक्षा स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	140
जनपद मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आवासीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने से संबंधित श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का सथगन	141
प्रदेश में बढ़ते आई०एस०आई० के प्रभाव को रोकने तथा आगरा जनपद में हुई साम्प्रदायिक घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	141–142
नत्थियां	143–164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बाबू खां, श्री	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	महेन्द्र अरिमर्दन सिंह, राजा	आगरा
अफ़रोज अली खां, श्री	रामपुर	मातवर सिंह कण्डारी श्री	टिहरी गढ़वाल
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पड़रौना
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
गोमती यादव, श्री	लखनऊ	रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
चन्द्रनाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़	रिजवान जहीर उर्फ रज्जू भइया, श्री	गोण्डा
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर	विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़	विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
धर्मज्ञ मिश्र, श्री	हरदोई	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र, श्री	आजमगढ़	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल		

नोट :—* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है ।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना

(डा० अशोक बाजपेयी तथा समाजवादी पार्टी के कई सदस्यगण के एक साथ खड़े होने तथा हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या का मामला उठाये जाने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण जब मैं कार्यसूची की मद संख्या–18 पर कार्य-स्थगन की सूचनाओं को लूंगा तो उस समय मैं आपको सुनूंगा । मैंने नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है। आज मेरा आपसे विशेष आग्रह भी है कि आप लोग मुझे सहयोग करें । कृपा करके अब आप लोग बैठ जायं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कानपुर के.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पाल जी आपकी सूचना मुझे मिली है । मैं उस सूचना को कल ले लूंगा । आप उसे दुबारा लिखकर दे दें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मिलों पर गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की कार्यवाही

**1–श्री सूर्य प्रताप शाही, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समरपाल सिंह तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मिलों पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है ? क्या यह सही है कि अनेक चीनी मिलों ने गत वर्ष के पेराई सीजन के गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों और उसका भुगतान कराने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सिंचाई एवं गन्ना मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

दिनांक 15-7-97 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के गन्ना किसानों का वर्तमान पेराई सत्र का लगभग रुपये 422.70 करोड़ रुपया बकाया है ।

गत पेराई सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु केवल दो चीनी मिलों–सरदारनगर (गोरखपुर) तथा गौरी बाजार (देवरिया) के विरुद्ध लम्बित है । उक्त चीनी मिलों पर गत पेराई सत्र से सम्बन्धित कुल रुपये 7.44 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है ।

उक्त भुगतान वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी तक नहीं हो सका है । सरदारनगर चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है । गौरी बाजार, भारत सरकार के उपक्रम बी० आई०

सी० की मिल है तथा यह बी० आई० एफ० आर० में है । इस मिल पर बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्तमान पेराई सत्र का लगभग 422.70 करोड़ रुपया बकाया है और इसमें 7.44 करोड़ रुपये गत पेराई सत्र का है और यह भी कहा है कि सरदारनगर चीनी मिल के विरुद्ध आर० सी० जारी की गयी है । विगत सत्र में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था, उस समय भी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध आर० सी० जारी कर दी गयी है । अप्रैल माह में आर० सी० जारी कर दी गयी और आज जुलाई माह भी समाप्त होने को है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीन महीनों के अन्दर आर० सी० का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ और शेष चीनी मिलों के ऊपर जो लगभग सवा चार सौ करोड़ रुपये बाकी हैं, उसका भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

* श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बकाये की जो स्थिति उत्तर में बतायी गयी है वह दिनांक 15-7-1997 तक की है परन्तु दिनांक 28-7-1997 तक यह मात्र रुपये 382.87 करोड़ रुपये है । जहां तक सरदार नगर मिल का सवाल है, वह आर० सी० के विरुद्ध हाई कोर्ट चले गये और वहां से स्टे ले आये । हाईकोर्ट ने यह कहा कि गन्ने का जो मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित हुआ है, उसे वह चुका दें, शेष के लिये जो वह बी० आई० एफ० आर० में गये हैं, उसका जो निर्णय होगा, उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । इसलिए जब तक बी० आई० एफ० आर० का निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम उनके विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । 7 जुलाई को शासन ने एक पत्र भेजा है उनके विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही करने के लिये परन्तु अभी तक बी० आई० एफ० आर० से हमें उस पर काई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अब आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिन गरीब किसानों का करोड़ों रुपये इस गन्ना मिल मालिक के ऊपर है उन गरीब किसानों की क्या दयनीय स्थिति होगी । वह मिल मालिक आर० सी० के विरुद्ध हाईकोर्ट चले गये और स्टे ले आये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस आर० सी० के विरुद्ध फिर से कोई रिव्यू किया गया कि नहीं किया गया और इस स्टे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सरकार का न जाने का क्या कारण है । दूसरा, वहां की निरीह जनता को सहायता देने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है । क्या सरकार गन्ना निधि तथा अन्य मुद्दों से किसानों को ऋण देकर भुगतान सुनिश्चित करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब तक बी० आई० एफ० आर० से इस संबंध में कोई निर्णय शासन को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । यही संस्थायें हैं जहां पर सिक-मिलों के बारे में निर्णय होता है । शासन इस संबंध में प्रयास कर रहा है, जैसे ही बी० आई० एफ० आर० से अनुमति मिल जाती है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । दूसरी जो समस्या है वह यह है कि यह मिल पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख मिल है । यह सही है कि दो साल का इसके ऊपर बकाया है । लेकिन यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी प्रश्न है कि इस मिल को पूरी तरह से बन्द कर दिया जाय और इसके विरुद्ध कार्यवाही इस सीमा तक की जाय कि यह पेरने की स्थिति में न रहे । तो इससे दूसरा संकट यह होगा कि किस मिल में गन्ना ले जाया जाय । हम बातचीत कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 28-8-97 तक 382.87 करोड़ रुपया बकाया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से तीन बातें पूछना चाहता हूं कि । पहली तो यह है कि यह धनराशि अन्तिम तिथि तक कब देंगे इसे तय करेंगे ? दूसरा यह है कि भारत सरकार के उपक्रम द्वारा यह गौरी बाजार की चीनी मिल चलायी जा रही थी तो क्या इसके विरुद्ध वसूली के प्रमाण पत्र देने में कोई कठिनाई थी और यदि नहीं, तो वसूली प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिये गये और तीसरा यह कि हो सकता है कि गौरी बाजार की यह चीनी मिल बन्द कर दी जाय तो क्या उत्तर प्रदेश शासन ने जो लाइबिलिटी होती है, फर्स्ट लाइबिलिटी किसानों का जो बकाया है वह मिले इसके लिये कोई पत्र व्यवहार बी० आई० एफ० आर० या गवर्नमेंट आफ इण्डिया से करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, हमारा प्रयास यह है कि इसका जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाय । मान्यवर, एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि नित्य कुछ न कुछ भुगतान हो रहा है । दो सूचनायें दी हैं एक 15-7-97 की और एक 28-7-97 की तो 17 दिनों में 40 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है । इन दोनों मिलों की रिपेयर का कार्य भी हो रहा है । और निरन्तर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इसका भुगतान कराया जाय । सत्र शुरू होने से पहले ही इसका भुगतान हो जाय । यह गौरी बाजार चीनी मिल पिछले सत्र में नहीं चलायी गयी थी और अगले सत्र में भी चलने की सम्भावना नहीं दिखायी देती है । इसके भुगतान के लिये निरन्तर शासन को पत्र लिखा गया । अक्टूबर, 95, दिसम्बर, 95, मार्च, 96, दिसम्बर, 96 तथा जून 1997 में लिखा जा चुका है । चूंकि यह भारत सरकार की चीनी मिल है इसलिए निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे हुए हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट इनसे पूछा था कि क्या आर० सी० वसूली करने में कोई वैधानिक कठिनाई थी यदि नहीं तो क्यों नहीं की जा रही है ? दूसरा बी० आई०एफ० आर० से शासन की ओर से कोई पत्राचार हो रहा है ? मान्यवर, यदि कोई मिल बन्द होती है तो किसानों का जो बकाया होता है वह सबसे पहले दिया जाता है उसके बाद देनदारों का बकाया अदा किया जाता है । मैंने सीधा-सीधा सवाल पूछा था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया है । मान्यवर, आपसे आग्रह है कि मेरा प्रश्नों का जवाब दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डंग साहब एक अधिनियम है, सिक इंडस्ट्रीज स्पेशल प्राविजन्स ऐक्ट उसके अन्तर्गत बी० आई० एफ० आर० में कोई मामला विचाराधीन है तो उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होती है और आर० सी० जारी नहीं कर सकते ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया वह गौरी बाजार और सरदार नगर चीनी मिल के बारे में आया । उनका 7 करोड़ रुपये का बकाया है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि काफी भुगतान करा दिया गया है । अभी 387 करोड़ रुपये का बकाया है ।

12 प्रतिशत गन्ना मूल्य का किसानों का बकाया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और आपका संरक्षण भी चाहता हूं, आज भी बहुत सी चीनी मिलों पर गन्ने का मूल्य बकाया है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कठकुइयां में 84.93 प्रतिशत, पडरौना में 79.29 प्रतिशत, कैप्टनगंज में 73.62 प्रतिशत, सरदार नगर में 86.07 प्रतिशत और खलीलाबाद में 86.92 प्रतिशत गन्ने का मूल्य आज भी बकाया है । तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर 84 प्रतिशत से अधिक गन्ने का मूल्य बकाया है, तो उन मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे, क्या उनको जेल भेजने की कार्यवाही करेंगे ? और क्या जो बकाया रुपया है, उस पर किसानों को ब्याज दिलवायेंगे ? यह दो हमारे पिन प्वाइन्टेड सवाल हैं, कृपया इनका उत्तर दिलवा दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इन प्रश्नों का उत्तर 2-3 बार आ चुका है । कठकुइयां चीनी मिल भारत सरकार की है और जैसा माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का बकाया किसानों का ज्यादा है । मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की चिन्ता कर रहा हूं । चीनी मिलों की खस्ता हालत होने के कारण और उनके पुरानी हो जाने के कारण और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिलों के सुधार की प्रक्रिया न होने के कारण निरन्तर घाटे में हैं । इस चिन्ता के बावजूद भी व्यक्तिगत प्रयास किये जा रहे हैं और उन पर दबाव भी डाला जा रहा है । जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, जिन लोगों ने कोर्ट से स्टे नहीं लिया है, उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा सकती है । हमें यह भी देखना पड़ रहा है कि कहीं यह मिलें बन्द न हो जायें, तो हम हर सम्भव दबाव बनाये हुए हैं ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप गन्ना किसानों की कीमत दिलवाने में अपने को अक्षम पा रहे हैं और अगर आप अपने को अक्षम पा रहे हैं, तो गन्ना किसानों को फ्री छोड़ दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

जब किसानों का पैसा आप दिला नहीं पा रहे हैं, तो किसान परेशान है, उसकी लड़की की शादी हो नहीं पा रही है । हम यहां पर एयर कंडीशन में हवा ले रहे हैं और किसान परेशान है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

मैं गन्ना किसानों पर आ रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान इसी सीजन में हो जायेगा या नहीं अगर नहीं होता है तो आम किसान को कोई राहत इस सदन से मिल सकती है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि शासन का पूरा प्रयास है कि जल्दी से गन्ने का पूरा भुगतान हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे पासवान–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खलीलाबाद मिल पर गन्ना किसानों का कितना बकाया है और उसे कब तक दिलवा देंगे ? (व्यवधान) क्या ब्याज सहित बकाया दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक साथ 5-6 लोग बोलने लगेंगे तो किसका उत्तर मंत्री जी दे सकेंगे । एक का उत्तर आने दें (व्यवधान) जब एक प्रश्न का उत्तर हो जायगा तब दूसरा प्रश्न पूछें (व्यवधान) एक-एक करके पूछें । माननीय पासवान जी का उत्तर आने दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, खलीलाबाद का 6 करोड़ 37 लाख रुपया बकाया है उस पर भी आर० सी० जारी हो चुकी है उनसे भी भुगतान कराने की कोशिश की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 24 से जरवल रोड चीनी मिल पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आदि से सम्बद्ध श्रमिक संगठनों द्वारा भूख हड़ताल हो रही है । (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि जरवल रोड चीनी मिल पर विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है । तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन मुद्दों पर वह लोग हड़ताल पर हैं क्या उसका निदान करने का प्रयास सरकार कर रही है ? वह संगठन क्यों हड़ताल पर हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आपने आज्ञा दे दी मैं जरूर दिखवा लूंगा वैसे इस प्रश्न से यह जुड़ा हुआ नहीं है । (व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, डिक्सिर, गोण्डा के कृषकों का गन्ना मूल्य नवाबगंज शुगर मिल पर कितना बाकी है और उस बकाये को ब्याज सहित कब तक किसानों को भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नवाबगंज शुगर मिल पर 2 करोड़ 71 लाख रुपया बकाया है । मैंने अभी सभी मिलों के बारे में बताया है कि कितना-कितना बाकी है ।

श्री विनोद कुमार सिंह–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक गन्ना मूल्य नीति बनी हुई है लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है । सरकारी चीनी मिलें 72 रुपये के हिसाब से दाम दे रही हैं, निजी क्षेत्र की मिलें 70 रुपया दे रही हैं और कप्तानगंज शुगर मिल 45 रुपये 90 पैसे मूल्य दे रही है तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

(श्री प्रमोद कुमार को पुकारे जाने पर)

श्री विनोद कुमार सिंह–

मान्यवर, जो [x x x] उन्हें आप समय दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा न कहिये । आप समय सीमा को जान लें । अल्पंसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये 20 मिनट निर्धारित है और 25 मिन्नट केवल एक प्रश्न पर हो गये हैं । इस पर चर्चा भी लगी है आपको अवसर मिलेगा ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, नवाबगंज शुगर मिल पर वर्ष 1986, 1987. 1988 और 1989 में कितना बकाया है और उसके भुगतान के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

बहुत तकनीकी दृष्टि से देखें तो इस अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं आ सकती । मंत्री जी अगर आपके पास सूचना हो, तो दे दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूंगा कि आपने बड़ी कृपा की है इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर दी है । दो तारीख को इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इस पर 25 मिनट का समय लगाया । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तक माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे लगता है कि यह जवाब किसानों के लिये नहीं पूंजीपतियों की रक्षा के लिये दे रहे हैं इन्हें किसानों की फिक्र नहीं है । इसके साथ ही एक सवाल आपकी कृपा से पूछना चाहता हूं कि खलीलाबाद, सरदार नगर और कप्तानगंज, इन तीन जगहों पर किसानों का 86 प्रतिशत से ज्यादा बकाया है । जब साधारण किसान का एक हजार रुपया बकाया होता है तो उसको वसूलने के लिये सरकार उन्हें जेल भेजती है और तहसील के लाक अप में बन्द कर देती है । इन तीन पूंजीपतियों पर 86 प्रतिशत के हिसाब से 30/35 करोड़ रुपया बकाया है । क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि एक सप्ताह के अन्दर अगर भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें जेल के सींखचों के अन्दर भेजने का ऐलान करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह पूरा सदन, प्रदेश और देश भी जानता है कि किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान देर से होने की स्थिति कब पैदा हुई । यह तीन महीनों की स्थिति नहीं है । यह सब पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाने की जो नियति रही है यह उसी का परिणाम है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद सदन त्याग कर चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि जब भी पुरानी सरकार के कार्यों की चर्चा कीजिये, यह लोग क्यों उत्तेजित हो जाते हैं ? मान्यवर, यह कह रहे थे कि जिस तरह से कड़ाई से कार्य करके सरकार ने शीघ्रता से भुगतान कराया है वह अपने आप में एक उदाहरण है । जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा कि भुगतान कराये जाने की बात तो मान्यवर, उसमें कुछ बाधाएं हैं । कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है जिसकी वजह से हमारी मजबूरी है । परन्तु फिर भी हम इसमें शीघ्र ही भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम जग–

मान्यवर, गन्ना किसानों के संबंध में सरकार की जो नीति है मैं उसका विरोध करता हूं । यह सरकार गन्ना किसानों के साथ अन्याय कर रही है । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम जग सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुधाकर सिंह–

[≠ ≠ ≠]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुधाकर जी कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण ऐक्ट के दुरुपयोग पर सरकार की नीति

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा तथा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण ऐक्ट के दुरुपयोग किये जाने की शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सख्त निर्देश जारी करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के दुरुपयोग किये जाने की कोई प्रमाणिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है । प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं इसके अन्तर्गत बनाई गई अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, अब ऐसा लग रहा है कि दवा ही दर्द बनती जा रही है इस कानून के दुरुपयोग से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच गहरी खाई खुदती जा रही है । उत्तर में मान्यवर, बताया गया है कि अधिनियम

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

1989 के दुरुपयोग **किये जाने** की कोई प्रमाणिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है । मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं कोई **राजनीतिक कार्यकर्ता** है उनको विभिन्न समस्याओं पर, जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन **जो करना पड़ता** है पुलिस से बुराई होती रहती है पुलिस भी इस कानून की आड़ में राजनीतिक **कार्यकर्ताओं से** बदला लेने की कार्यवाही कर रही है । पिछले महीने भाजपा के पार्षद श्री बृजकिशोर दास को इस कानून के अन्दर फंसाया गया । बिजली की दुर्व्यवस्था के विरोध में एक विद्युत उपकेन्द्र पर कुछ लोग धरना दे रहे थे इसी कानून का सहारा लेकर उनको फंसाया गया हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कानून का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है ? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? मेरी मंशा है कि शासन द्वारा कोई ऐसा सख्त निर्देश जारी किया जाये जो लोग इस कानून के तहत झूठे मुकदमें कायम कर रहे हैं और दूसरों के भूमि, भवन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें शासन द्वारा ऐसे निर्देश होने चाहिए कि जो गलत शिकायत करके ऐसा करेंगे या पुलिस द्वेष भावना से इस कानून का दुरुपयोग करेगी तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम किया जायेगा ?

श्री बी० आर० वर्मा–

इसमें ऐसा निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं पर कोई कम्पलेंट इस अधिनियम के तहत करता है अपराध दर्ज कराता है और जांचोपरान्त वह असत्य पाया जाता हैं तो इसमें कार्यवाही की जायेगी ऐसे निर्देश दिये गये हैं ताकि इस ऐक्ट का दुरुपयोग न होने पाये ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो निर्देश दिये गये हैं कि जो ऐक्ट का दुरुपोग करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो क्या अब तक जिन लोगों ने दुरुपयोग किया उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

इस ऐक्ट के दुरुपोग के बारे में मैं बताना चाहूंगा 16 मार्च से 30 जून के आंकड़े हैं 1997 में जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उनकी कुल संख्या 1611 है । 1996 में जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उनकी संख्या 1737 है । इसी अवधि में 1995 में जो मुकदमें दर्ज हुए हैं वह 2767 हैं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

यह कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा में ही उत्पीड़न हो कम में भी उत्पीड़न हो सकता है । मैं पूछ रहा हूं कि क्या शासन ने निर्देश दिये हैं कि जहां ऐक्ट का दुरुपोग हुआ उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आपको जिनके खिलाफ सूचना प्राप्त हुई है उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

अगर आप मूल प्रश्न को पढ़ लेते तो आपको यह आवश्यकता न होती पूछने की । मैंने कहा है कि अधिनियम 1989 का दुरुपयोग किये जाने की कोई प्रमाणिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अगर दुरुपयोग की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो फिर कार्यवाही किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपको लगता है कि मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर सत्य से परे है तो नियमों के अन्तर्गत आप इस संबंध में कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, अनुसूचित जाति/जनजाति ऐक्ट की धारा की 3 उपधारा (1) प्रविष्टि 10 इसमें स्पष्ट प्राविधान है कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर अपमानित करने के लिये अपशब्दों का प्रयोग किया जाए तो मुकदमा दर्ज किया जायेगा । माननीया मुख्य मंत्री के 25 जून, 1997 को आगरा जाने पर मैंने उन्हें लिखित सूचना दी थी कि नगर निगम आगरा की भाजपा महिला सभासद हेमा परिहार के बारे में जो रिपोर्ट दर्ज की गयी है कि उन्होंने उनके घर के अन्दर घुसकर कार्यवाही की ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

तो यह ऐक्ट सार्वजनिक स्थल के संबंध में है तो उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमें को वापस लेने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है इसको दिखवा लेंगे । इसके बारे में पूरे तथ्य पता करवा कर कार्यवाही की जायेगी ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत इस सदन के सदस्यों के खिलाफ भी सरकारी कर्मचारियों ने गलत ढंग से मुकदमें कायम कराये हैं ? जनकार्य हेतु यदि कोई माननीय सदस्य किसी विभाग में जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमें कायम करवा दिये जाते हैं । मेरे खिलाफ और मेरे साथी कैन्ट क्षेत्र के विधायक अमित अग्रवाल के खिलाफ राष्ट्रपति शासन काल में मुकदमें कायम कराये गये जबकि कोर्ट ने इस एफ० आई० आर० को गलत पाया व मुकदमें से बरी कर दिया । तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि और भी इस माननीय सदन के सदस्यों के खिलाफ मुकदमें कायम हुए हैं और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? जन प्रतिनिधि जो सरकारी कार्यालयों में जनसमस्याओं को लेकर जाते हैं कर्मचारी काम से बचने के लिये इस प्रकार के मुकदमें दर्ज करा देते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत की बात है इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । यदि जांच करने पर यह पता चलता है कि किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेई जी ने जो प्रश्न उठाया है यह प्रश्न काफी संवेदनशील है मैं इसे समझ रहा हूं । हो सकता है कि इस सदन के डा० बाजपेई अकेले सदस्य हों, क्या और भी माननीय सदस्यों के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दायर किये गये हों । माननीय सदस्यों जिनके विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये हों, वह इसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखकर दे दें कि उनके विरुद्ध किस दिन, किस थाने में इस ऐक्ट के अधिनियमों के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया है और माननीय मंत्री जी जो उस क्षेत्र के संबंधित इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस है उनसे या उनके

जो क्षेत्रीय डी० आई० जी० स्तर के पुलिस अधिकारी हैं उनसे जांच करा लें और इस मुकदमें के बारे में जैसा परीक्षण के बाद परिणाम आये उसके अनुसार आगे की कार्यवाही करें ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब यह बात समाप्त हो गयी है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र में रोज हरिजन ऐक्ट के दुरुपयोग की बात आ रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबका सामूहिक दायित्व है और उसी दायित्व के निर्वहन में हमने यह इच्छा प्रकट की है । राष्ट्रीय सहारा या किसी समाचार पत्र में कोई खबर छपती है तो उसका संज्ञान हम सदन में नहीं लेते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आप लिखकर दे दें उससे आपकी सूचना आप द्वारा प्रमाणित भी हो जायेगी मैं समझता हूं कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त करना उचित होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि झूठी रिपोर्ट भेजने पर आई० पी० सी० या सी० आर० पी० सी० को किस धारा के अन्तर्गत ऐसी झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि ऐक्ट का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी ।

(घोर व्यवधान)

प्रश्नकाल को प्रश्न काल ही बनाये रखिये । आप लोग बैठ जाइये ।

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री सुधाकर सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री नरेन्द्र भाटी, श्री गोपाल कृष्ण सहित कई सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर से अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने तथा नारेबाजी करने पर घोर व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के पश्चात् जू० हा० स्कूलों में आने पर वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में वेतन निर्धारण एवं समता समिति की रिपोर्ट के आधार पर वेतन निर्धारण करते समय ऐसे प्रा० पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों को, जो पदोन्नत होकर जू० हा० स्कूलों में आये उनका वेतन जू० हा० के सहायक अध्यापकों के बराबर रखा गया और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गयी ? क्या पदोन्नति पर गये अध्यापकों को चयनित वेतनमान नहीं दिया गया जबकि जो पदोन्नति नहीं हुए उनको दस वर्ष का अनवरत सेवाकाल मानकर चयन वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विसंगतियों को दूर करने की कृपा करेगी ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

जी हां ।

जी हां ।

एक ही पद पर दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर चयन वेतनमान पर वेतन भुगतान किया गया है ।

वर्ष 1986 से पूर्व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल के वेतनमान भिन्न थे किन्तु वर्ष 1986 से वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उक्त दोनों पदों के वेतनमान एक कर दिया गया । इस आधार पर इन दोनों को एक ही स्तर पर रखते हुए उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में पांचवें संशोधन (1993) इसका प्राविधान किया, जिस पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी है, जिसे रिक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । स्थगनादेश रिक्त होने पर ही वेतन विसंगतियों का निराकरण संभव हो सकेगा ।

सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ली जाने वाली फीस का मानक निर्धारण एवं फीस के विनियमन बनाये जाने की मांग

*3–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में चल रहे सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ली जा रही फीस का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त फीस के विनियमन के विषय में कोई कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां,तो कब तक ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डाक्टर नैपाल सिंह)–

शुल्क की विभिन्न दरें शिक्षा संहिता व विभिन्न शासनादेशों के अधीन निर्धारित हैं । राजकीय व सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के कारण शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है । अशासकीय असहायिक माध्यमिक विद्यालयों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण शुल्क लिये जाने की अनुमति शासनादेश दिनांक 15-7-97 द्वारा प्रदान की गई है ।

शुल्क की विभिन्न दरें संलग्न हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति इसकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 43 पर)

[मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा की मांग

*1–श्री नारायण रामदास–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों/कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सुविधा इन कर्मचारियों को भी दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं ।

नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं ।

औचित्य नहीं है ।

बलिया और देवरिया को जोड़ने वाले घाघरा नदी (भागलपुर) पुल पर आने जाने वाले वाहनों पर टैक्स सीमा का निर्धारण

*2–श्री पारसनाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया और देवरिया को जोड़ने वाले घाघरा नदी (भागलपुर) पुल जो अस्थाई रूप से तैयार हुआ है ठेकेदार के माध्यम से मनमाने ढंग से टैक्स की वसूली की जा रही है ? क्या सरकार ने उक्त पुल पर आने-जाने वाले वाहनों पर लगाये जा रहे टैक्स की सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार मनमाने ढंग से की जा रही वसूली को रोकने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

बलिया और देवरिया को जोड़ने वाले घाघरा नदी (भागलपुर) पुल जो अस्थाई रूप से तैयार हुआ है पर ठेकेदार के माध्यम से मनमाने ढंग से टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है ।

जी हां, सरकार ने उक्त पुल पर आने जाने वाले वाहनों पर लगाये जा रहे टैक्स की सीमा निर्धारित की है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत मांग को पूरा करने के लिये परियोजनाओं के निर्माण की जानकारी एवं विद्युत मांगों की पूर्ति संबंधी सरकार की नीति

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत मांग को पूरा करने के लिये सरकार के पास क्या नयी परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वे परियोजनायें क्या हैं ? यदि नहीं, तो भविष्य की विद्युत मांगों को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत मांग को पूरा करने के लिये निम्नलिखित नयी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है :–

<u>क–निजी क्षेत्र</u>

1–रौजा तापीय परियोजना (567 मेगावाट)

2–जवाहरपुर तापीय परियोजना (800 मेगावाट)

3–विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट)

4–आनपरा ''सी'' तापीय परियोजना (1000 मेगावाट)

5–श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट)

6–नेपथा पर आधारित परियोजना (355 मेगावाट)

7–तरल ईंधन पर आधारित विद्युत परियोजनायें (700 मेगावाट) (सात विभिन्न स्थानों पर)

<u>ख–सार्वजनिक क्षेत्र</u>

1–लखवाड़ व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना (420 मेगावाट)

<u>ग–संयुक्त क्षेत्र</u>

1–राजघाट जल विद्युत परियोजना (22.5 मेगावाट)

2–टेहरी डैम स्टेज–1 जल विद्युत परियोजना (550 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश का हिस्सा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की जानकारी

*5–श्री राम नक्षत्र–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ?उन्हें अनुदान सूची में लाने के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

दिनांक 14-10-86 के पूर्व असहायिक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 144 है । दिनांक 14-10-86 के बाद वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या लगभग 1800 है ।

वित्तीय सीमितता के कारण दिनांक 14-10-86 के पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । दिनांक 14-10-86 के बाद वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की नीति नहीं है ।

राजकीय शिक्षकों की समस्याओं की मांगें तथा निराकरण की जानकारी

*6–श्री ज़गदम्बिका पाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षकों के एक शिष्ट मंडल ने माह जून, 1997 में प्रदेश के 65 हजार राजकीय शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 18 सूत्रीय ज्ञापन दिया

है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में प्रमुख मांगें क्या हैं ? शासन उसे कब तक पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

ज्ञापन में मुख्य रूप से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, चयन वेतनमान प्राप्त प्रवक्ता को राजपत्रित घोषित करने, एल० टी० स्नातकोत्तर को प्रवक्ता घोषित करने अध्यापकों को एल० टी० सी० सुविधा अनुमन्य कराने, सी० टी० संवर्ग को चयन वेतनमान के पश्चात् एल० टी० वेतन में संविलियन करने, सी० टी०/एल० टी० के लिये लागू जनपदीय/मण्डलीय व्यवस्था समाप्त करने, शासनादेश दिनांक 17-11-97 को पुनः लागू करने एल० टी०/बी० टी० सी० संवर्ग की प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने सी० टी० वेतनक्रम की एल० टी० प्रोन्नति के प्राविधान को कड़ाई से लागू कराने, प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को शिक्षकों को अवकाश आदि देने का अधिकार देने, रिक्त पदों को भरने, शिक्षकों का स्थायीकरण करने, निदेशालय की अव्यवस्था समाप्त करने, डाईट की स्थापना के प्रति समाप्त किये गये विद्यालयों को विकसित करने, महानिदेशक का पद सृजित करने, मा० शि० प० का चुनाव कराने, पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का अलंकरण समारोह आयोजित करने, प्रधानाचार्य के सभी पदों को प्रोन्नति से भरने आदि की मांग की गयी है ।

शिक्षक संघ की मांगों पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० ए० उपसंस्थान के निर्माण में किये गये घोटाला में सांसद एवं विधायकों के शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

*7–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कितने 400 के० वी० ए० उपसंस्थान का निर्माण चल रहा है ? उसकी अलग-अलग अनुमानित लागत क्या है ? क्या इसके निर्माण के लिये टेण्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों में और किस तिथि को ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन्हें फाइनेंस करने वाली विदेशी कम्पनी कौन थी और फाइनेंसिंग किन शर्तों/नियमों के अधीन है ? क्या इस घोटाले की सी० बी० आई० जांच हेतु माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं विधायकों ने अपने पत्र दिनांक 20-3-97 एवं 10-3-97 द्वारा मुख्य सचिव से अनुरोध किया किया है ? यदि हां, तो क्या सी० बी० आई० को जांच सौंपी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आनपारा पावर ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न 400 के० वी० उपसंस्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है, तथा उनकी वर्तमान अनुमानित लागत उनके आगे दर्शायी गई है :-

400 के०वी० उप संस्थान	अनुमानित लागत
(1) उन्नाव	100.99 करोड़ रु०
(2) आगरा	56.12 करोड़ रु०
(3) बरेली	69.94 करोड़ रु०
(4) सरोजनी नगर (लखनऊ) विस्तार	3.00 करोड़ रु०
(5) पनकी विस्तार	3.00 करोड़ रु०

(6) मुरादनगर विस्तार 3.00 करोड़ रु०

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त 400 के० वी० गोरखपुर उपकेन्द्र भी निर्माणाधीन है जिसकी लागत 52 करोड़ रुपये है ।

जी हां ।

उपरोक्त छः उपकेन्द्रों (गोरखपुर उपकेन्द्र को छोड़कर) के निर्माण के लिये टेण्डर निम्नलिखित समाचार पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथि पर प्रकाशित किये गये ।

समाचार पत्र	प्रकाशन तिथि
1–हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	11-2-93
2–टाइम्स आफ इण्डिया, लखनऊ	8-2-93
3–इण्डियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन, नई दिल्ल्ली	20-3-93

400 के० वी० गोरखपुर उपकेन्द्र हेतु माह मई, 95 में निम्न समाचार-पत्रों में टेंडर प्रकाशित किये गये :–

1–हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ।

2–टाइम्स आफ इण्डिया, लखनऊ ।

400 के० वी० उपकेन्द्र गोरखपुर का निर्माण पी० एफ० सी० को ऋण सहायता एवं परिषद् के आन्तरिक संसाधनों से कराया जा रहा है । शेष छः उपकेन्द्रों को ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड, जापान के ऋण द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है ।

उक्त विदेशी के फाइनेन्स की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :–

ऋण अनुबन्ध संख्या

	आई० डी० पी०–65	आई० डी० पी० 108
1–ऋण अनुबन्ध राशि	19,318 मिलियन येन	12,020 मि० येन
2–ऋण अनुबंध राशि का दिनांक दिनांक	13 जून, 1991	25 जून, 96
3–ऋण अनुबन्ध प्रभावी दिनांक	30 जुलाई, 96	तदैव
4–ऋण अनुबन्ध समाप्ति दिनांक	31 दिसम्बर; 98	26 मार्च, 2000
5–ब्याज की दर	2.5 %	2.3%
6–रीपेमेन्ट (ग्रेस पीरियड)	30 साल (10 साल)	30 साल 10 (साल)
7–ऋण प्राप्तकर्ता का नाम	भारत के राष्ट्रपति	
8–कार्य करने वाली एजेंसी	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	

जी हां ।

मा० सांसद का पत्र दिनांक 20-3-97 प्राप्त हुआ है जिस पर परीक्षणोपरान्त/आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगर पंचायत व नगर परिषद् के कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिलाने की मांग

*8–श्री बिन्दु लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत व नगर परिषद् के कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां,तो क्या इस मामले पर सरकार शीघ्र निर्णय ले लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागर स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी संस्था है । उनके कर्मचारियों के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय का है । अतएव शासकीय कोषागार से भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आनपारा ''सी'' में उत्पादन की तिथि तथा निर्माण में किये गये सहयोग की जानकारी

*9–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आनपरा ''सी'' में उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा तथा यह किसकी सहायता से बनाया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

आनपारा ''सी'' परियोजना से उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि का सही आंकलन मे० हुण्डई हैवी इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड कोरिया (निजी कम्पनी) एवं राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऊर्जा क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही करना सम्भव हो सकेगा ।

राज्य सरकार/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं मै० हुन्डई हैवी इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड कोरिया (निजी कम्पनी) के मध्य दिनांक 14-8-95 को हस्ताक्षर हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आनपारा ''सी'' (2x500 मेगावाट) तापीय परियोजना को ज्वाइंट बेन्चर में बनाया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी भवन के निर्माण में हुई कथित अनियमितता

*10–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या लोक निर्माणमंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया गया है ? क्या इसमें अनुमोदित प्राक्कलन से अधिक धनराशि व्यय करके तथा स्वीकृत क्षेत्रफल में भवन न बनाकर करोड़ों रुपयों का घपला वर्तमान अपर निदेशक (प्रशासन) ने किया है ? क्या भवन का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों (राजकीय निर्माण निगम) के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं । कृषि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान अपर निदेशक (प्रशासन) को किसान मण्डी भवन के निर्माण से संबंधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों का अधिकार नहीं दिया गया ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य सितम्बर, 1995 में पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–श्री रंगनाथ मिश्र–

। दि० 22-7-97 को ता० प्र० सं० 3 द्वारा उत्तरित ।

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित बी० एड० (वोकेशनल) शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

*12–श्री राम औतार मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में संचालित व्यवसायिक शिक्षा के शिक्षण हेतु अप्रशिक्षित शिक्षकों से दैनिक वेतन पर अस्थाई रूप में कार्य लिया जा रहा है जबकि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित बी० एड० (वोकेशनल) शिक्षकों का प्रथम बैच अभी तक बेरोजगार है ? क्या व्यवसायिक शिक्षा हेतु बी० एड० (वोकेशनल) प्रशिक्षित शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

व्यावसायिक शिक्षा का शिक्षण कार्य रु० 50/- प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय के आधार पर ट्रेड से संबंधित तकनीकी ज्ञान एवं अर्हता रखने वाले अतिथि विषय विशेषज्ञों से लिया जा रहा है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं किया गया है । अतः नियमित नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में विद्यालयों में डबल शिफ्ट लागू करने की सरकार की योजना की जानकारी

*13–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री शिव प्रताप शुक्ला–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में विद्यालयों की संख्या न बढ़ने की दशा में कक्षा 9 व 11 में प्रवेश की समस्या को हल करने के उद्देश्य से इस वर्ष विद्यालयों में डबल शिफ्ट लागू करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है उसको किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

विभिन्न जनपदों में स्थित राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) में प्रवेश के बढ़ते दबाव को कम करने के लिये द्विपाली योजना लागू की गई है । इस योजनान्तर्गत विद्यालय में द्विपाली में कक्षायें संचालित की जाती है । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये शिक्षण व्यवस्था हेतु विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है ।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा मार्च, 1997 में कराई गयी आडिट जांच में पाये गये तथ्यों की जानकारी

*14–श्री बिहारी लाल आर्य–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा मार्च, 1997 में कराई गई आडिट जांच रिपोर्ट में पुष्टाहार आपूर्ति करने वाली फर्म मार्डन फूड इंडस्ट्रीज द्वारा किये गये अनुबन्ध में पहले 313 परियोजनाओं में प्रायोगिक तौर पर पुष्टाहार की आपूर्ति तय हुई थी, परन्तु विभागीय अधिकारियों ने प्रदेश स्तर पर सम्पूर्ण परियोजनाओं की आपूर्ति एक साथ ले ली ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस मामले में व्यापक स्तर पर वित्तीय धांधली की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन)–

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० के साथ निष्पादित मेमोरेन्डमं आफ अण्डर स्टैफिडंग (एम० ओ० यू०) में उस समय संचालित 313 परियोजनाओं का उल्लेख है, परन्तु यह भी प्राविधान है कि भविष्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में भी आपूर्ति मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा की जायेगी । महालेखाकार द्वारा मार्च 97 में की गई लेखा परीक्षा में प्रश्नगत उल्लेख नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अनियमित सत्र को नियमित करने के लिये सरकार की योजना की जानकारी

*15–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित हैं ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे विश्वविद्यालय कौन-कौन हैं ? क्या सत्र नियमित करने के लिये शासन में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां । उत्तर प्रदेश के मात्र तीन विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित हैं ।

लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचनों हेतु विश्वविद्यालय कैम्पस का उपयोग किये जाने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में, छात्र आन्दोलन के कारण इलाहाबाद में एवं उत्तराखण्ड आन्दोलन के कारण कुमायूं में शैक्षिक सत्र अनियमित हो गये हैं ।

इलाहाबाद, कुमायूं और लखनऊ विश्वविद्यालय ।

सत्र नियमित किये जाने के निमित्त विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त इसी संबंध में शासन से दिनांक 11-6-97 को एक परिपत्र निर्गत किया गया है, जिसमें यह अपेक्षित है कि 31 अगस्त के बाद प्रवेश न हों, परीक्षायें 30 अप्रैल तक पूरी हो जायं तथा 15 जून तक परीक्षाफल घोषित किया जाय ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

[तीसरे बुधवार में ता० प्र० सं० 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में अवर वर्ग सहायक संवर्ग से विभागीय प्रोन्नति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की मांग

*17–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के प्रवर वर्ग सहायक पद पर अवर वर्ग सहायक सेवा संवर्ग के विभागीय प्रोन्नति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो दिनांक 31-5-97 को उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अवर वर्ग सहायक संवर्ग से विभागीय प्रोन्नति प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के प्रवर वर्ग सहायक के पद पर पृथक-पृथक कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में अवर वर्ग सहायक संवर्ग से विभागीय प्रोन्नति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो कोटे को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

विभागीय प्रोन्नति/चयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कानपुर रोड योजना सेक्टर–बी लखनऊ में अवशेष पड़ी भूमि को आवासीय करने की मांग

*18–श्री मस्त राम–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोड योजना सेक्टर–बी लखनऊ में व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से एक भी व्यवसायिक केन्द्र नहीं चल रहा है, जिससे अधिकतर दुकानें अनिस्तारित पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण को आर्थिक हानि से बचाने एवं व्यवसायिक केन्द्रों के चलाने हेतु सेक्टर–बी में अवशेष पड़ी भूमि का भू-उपयोग बदल कर आवासीय करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

ऐसा केवल एक व्यवसायिक केन्द्र निर्माण कराया गया है । निर्माण किये गये व्यावसायिक केन्द्र में 178 दुकानें बनाई गई हैं, जिनमें से 117 दुकानें बेची जा चुकी हैं, और उसमें व्यवसाय भी हो रहा है । केवल 61 दुकानें रिक्त हैं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्र में व्यवसायिक कार्यकलापों के लिये प्राविधान किया जाना आवश्यक है । परिवर्तन कर दिये जाने से भविष्य में भी व्यवसायिक कार्यकलापों के लिये भूमि उपलब्ध न हो पायेगी । इसके अतिरिक्त आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने से प्राधिकरण को आर्थिक हानि होगी ।

उ० प्र० के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों में होने वाले घाटे के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*19–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों में घाटे का क्या कारण है ? क्या सरकार निगमों/उपक्रमों में हो रहे घाटे के कारणों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या घाटे के लिये दोषी व्यक्यिों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों में घाटे के मुख्य कारणों में निगमों की सामाजिक उपादेयता एवं विकासात्मक कार्य प्रकृति, स्थापित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाना, वित्तीय संसाधनों एवं कच्चे माल की आपूर्ति में कमी, उत्पादों का उचित विक्रय मूल्य न मिल पाना, विपणन संबंधी समस्यायें तथा कार्मिकों की अधिकता है ।

घाटे में चल रहे निगमों/उपक्रमों के पुर्नगठन/पुर्नसंरचना/पुनर्वासन आदि पर विचार करते समय घाटे के कारणों की जांच की जाती है । निगमों/उपक्रमों के पुनर्वासन/निजीकरण/अंशकों के विक्रय आदि पर विचार करने के लिये शासन द्वारा एक अधिकृत समिति का भी गठन किया गया है ।

ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

मुहल्ला आलोक नगर (अहिबरनपुर) सीतापुर रोड लखनऊ में दूषित जल का निस्तारण एवं ढिलाई बरतने वालेअधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*20–श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है मुहल्ला आलोक नगर (अहिबरन पुर) सीतापुर रोड, लखनऊ में डाली गयी पाइप लाइन में लगभग 6-7 वर्षों से पानी नहीं आता है ? क्या यह सही है कि उक्त मुहल्ले में लगे एक इण्डिया मार्क II का पानी दूषित हो गया है और उसमें बदबू आती है ? क्या दूषित पानी पीने से वहां के नागरिकों में बीमारियां उत्पन्न हो जाने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस समस्या का तुरन्त निस्तारण किये जाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । आलोक नगर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है ।

जी हां ।

स्थानीय निवासियों के द्वारा इस हैण्ड पम्प का पानी पीने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाता है । अतः नागरिकों में बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा नहीं है ।

दूषित पेयजल वाले हैण्डपम्प की रि-बोरिंग का कार्य उ० प्र० जल निगम द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है ।

जहां तक पाइप लाइन में पानी पहुंचाने का प्रश्न है । इस समस्या के निदान हेतु पतंग वाला पार्क जोनल पंपिग स्टेशन से खदरा में स्थित दोनों अवर जलाशयों को जोड़ने हेतु कार्य लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही संचालित होने वाला है । इससे समूचे क्षेत्र में पानी की बढ़ोत्तरी की पूरी सम्भावना है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी क्षेत्र में त्रिवेणीनगर फेस–III में एक नलकूप भी निर्मित किया गया है जो शीघ्र ही चालू हो जायेगा ।

प्रथम दृष्टया उपरोक्तानुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष प्रतीत नहीं होता । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फिरोजाबाद टूण्डला क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने विषयक श्री शिव सिंह चक, स० वि० स० का पत्र पर कार्यवाही

1–श्री शिव सिंह चक–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-97 जो टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद में कन्या महाविद्यालय खोले जाने विषय है,उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-4-97 प्राप्त हुआ है ।

पूर्व में निदेशालय द्वारा एक अधिकारी को भेजकर कन्या महाविद्यालय खोले जाने के औचित्य की स्थानीय जांच करायी गई । स्थानीय जांच के आधार पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री शिव सिंह चक–

(तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद खीरी मोहम्मदी क्षेत्र में अम्बेडकर ग्रामों की संख्या तथा विद्युतीकरण करने की सरकार की योजना की जानकारी

3–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपपद खीरी के मोहम्मदी, विधान सभा क्षेत्र के कितने अम्बेडकर नगर ग्राम हैं तथा उनमें कितने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? जिन अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है वहां कब तक कराने की योजना है ?

सुश्री मायावती–

जनपद खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में कुल 89 अम्बेडकर ग्राम हैं । उनमें से 58 ग्रामों का विद्युतीकरण विगत में हो चुका है ।

वर्ष 1997-98 में 10 अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में कोई निश्चित तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है ।

जिला मथुरा के नगर पंचायत बरसाना में 132 के० वी० सब स्टेशन निर्माण हेतु सरकार की प्रस्तावित योजना

4–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बरसाना जिला मथुरा में 132 के०वी० सब स्टेशन निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण की अवधि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पंचायत बरसाना जिला मथुरा में 132 के० वी० सब स्टेशन निर्माण करने का प्रस्ताव इस कारण से नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में यहां से लगभग 15 कि० मी० की दूरी पर अधिष्ठापित 132 के० वी० कोसी कला उपकेन्द्र पर लगे 2x20 एम० वी० ए० के ट्रान्सफार्मरों पर अभी भी अतिरिक्त विद्युत भार वहन करने की क्षमता उपलब्ध है ।

जनपद महराजगंज के महात्मा गांधी इण्टर कालेज सिसवा बाजार में आरक्षण नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की नियुक्ति

5–डा० सरजीत सिंह डंग, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह तथा श्री विनोद मणि–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी इण्टर कालेज सिसवा बाजार, जनपद–महराजगंज में सेवा निवृत्त नथुनी पंसारी चपरासी के लड़के गिरजा प्रसाद सवर्ण जाति को जमादार/स्वीपर बिना पद सृजित के ही अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र पर एक अप्रैल, 1995 में नियुक्ति कर ली गई है ? क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन विद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है तथा वेतन बिना कार्य के एरियर के रूप में 36,000.00 बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षण नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की नियुक्ति न करके सवर्ण की नियुक्ति करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा नियुक्ति निरस्त करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित श्री नथुनी पंसारी नहीं अपितु श्री नथुनी प्रसाद जमादार, अनुसूचित जाति के सेवानिवृत्त होने पर उसके लड़के श्री गिरजा प्रसाद की उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण-पत्र डोम/जमादार, अनुसूचित जाति के आधार पर नियुक्ति की गयी है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के महात्मा गांधी इण्टर कालेज सिसवा बाजार में श्री दयानन्द सिंह की नियुक्ति का मामला

6–डा० सरजीत सिंह डंग, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह तथा श्री विनोद मणि–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महात्मा गांधी इण्टर कालेज, सिसवा बाजार, जनपद–महराजगंज के कला अध्यापक हरिश्चन्द्र माह मार्च, 1995 में चिकित्सीय अवकाश लेकर कुछ समय के लिये उपचार कराने चले गये थे ? क्या उनके स्थान पर नियम विरुद्ध कला अध्यापक की नियुक्ति जुलाई, 95 में करके नियुक्त अध्यापिका से बिना अध्यापन कार्य कराये ही 4 माह पहले का फर्जी एरियर (माह मार्च, 95 से लेकर जून, 95 तक) निकाला गया है ? क्या बीमार कला अध्यापक की मृत्यु अप्रैल, 95 में हो जाने पर मृतक आश्रित के अन्तर्गत दयानन्द सिंह की भी नियुक्ति उक्त पद पर कर ली गयी ? यदि हां, तो एक ही पद पर दो नियुक्ति नियम विरुद्ध करने का कारण क्या था ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । श्री दयानन्द सिंह की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अधिसंख्य पद पर की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियुक्ति नियम विरुद्ध नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत मुहल्ला बिलन्दपुर में पूर्व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद की पत्नी श्रीमती सिमीरता देवी के मकान हेतु रास्ते की मांग

7–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के शहर मुहल्ला बिलन्दपुर से संबंधित विकास हेतु कोई महायोजना जी० डी० ए० के पास है ? यदि हां, तो इस मुहल्ले के विषय में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने अपनी पत्नी श्रीमती सिमीरता देवी के नाम से इस मुहल्ले में बने मकान व स्वीकृत नक्शे के संबंध में रास्ता हेतु सचिव, जी० डी० ए० गोरखपुर आदि का वर्ष 1993 से अब तक कितने पत्र दे चुके हैं ? इस पर विकास हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सन्दर्भित मुहल्ले के विकास की कोई योजना प्राधिकरण द्वारा नहीं बनायी गई है ।

विकास प्राधिकरण में मानचित्र संख्या 2752/जी०डी०ए०/18-01-79 श्रीमती सिमीरता देवी के नाम से दाखिल किया गया था । वर्ष 1979 में ही एक प्रार्थना-पत्र देकर उक्त मानचित्र श्रीमती कमला देवी के नाम से संशोधित करा दिया गया जो दिनांक 21-2-79 को स्वीकृत किया गया । गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1993 से अब तक रास्ते के निर्माण के लिए दो प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-10-96 व 17-12-96 का प्राप्त होना पाया गया ।

सन्दर्भित क्षेत्र में सेवाओं का रख-रखाव प्राधिकरण द्वारा न किये जाने के कारण सड़क निर्माण/मरम्मत प्राधिकरण द्वारा किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में स्थित उप विद्युत केन्द्र राजधानी में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित उप विद्युत केन्द्र राजधानी में शिकायती पंजिका में तथा अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण) प्रथम खण्ड गोरखपुर को कुल कितने शिकायती-पत्र लाइन के डिम रहने, बिजली न जाने, फेज बढ़ाने आदि के संबंध में वर्ष 1995 से 11-6-97 तक शासन व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुये हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

4/95 से 30-6-97 तक विद्युत उपकेन्द्र राजधानी में कुल 2249 शिकायतें (सामान्य, निजी नलकूप एवं राजकीय नलकूप से संबंधित) प्राप्त हुई ।

2246 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है ।

शेष 3 शिकायतें जो लकड़ी के खम्भें बदलने, वोल्टेज सही करने के लिये फेज बढ़ाने के संबंध में, सामान न उपलब्ध हो पाने के कारण लम्बित है । आवश्यक भंडार सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

9–श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1992-93 व 1993-94 में लोक निर्माण अनुभाग–6 उ० प्र० शासन के संयुक्त सचिव द्वारा अनियमितता, फर्जी सत्यापन करने वाले कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध शासन को हुई क्षति की भरपाई हेतु आदेश जारी किये गये ? क्या मंत्री जी अर्ध० शा० पत्र संख्या 4876/23-6-1416 दिनांक 6-12-93 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे कितने अभियन्ता हैं जिनसे वसूली प्रारम्भ नहीं की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 25 अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रतिलिपि संलग्न है । प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग उ० प्र० लखनऊ की सूचनानुसार कुल 21 अभियन्ताओं से वसूली की जानी अवशेष है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144–147 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया में हो रहे उपभोक्ताओं के शोषण की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

10–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया में कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट नं० 8 के अनुसार एन–ए/एन आर/आई डी० एफ० आर० डी० एफ० एवं कम्प्यूटर रिपोर्ट नं० 13 एवं 14 के अनुसार परिषद् द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या यह सत्य है कि इसके परिषद् के राजस्व की हानि के साथ-साथ उपभोक्ताओं का शोषण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 25-1-95 जो कि सचिव, उ० प्र० रा० वि० प० को संबोधित था, पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के आनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में ठेके पर कराये गये कार्य में की गयी अनियमितता की शिकायत

11–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के आनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में कौन-कौन से कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन महाप्रबन्धक ने दिये थे ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक घाटे के उपक्रमों के पुनर्गठन/पुनर्संरचना/निजीकरण के विकल्पों पर सरकार की योजना

12–श्री बादू राम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक घाटे के उपक्रमों के पुनरोद्धार के लिये कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सार्वजनिक क्षेत्रों के बीमार उद्योगों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितना उद्योगवार घाटा रहा है ? क्या यह सत्य है कि इन निगमों को चलाने वाले अधिकतर आई०ए०एस०/पी०सी०एस० अधिकारी ही है ? यदि हां, तो निगमों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या निगमों को घाटे में डालने हेतु दोषी अधिकारियों की सम्पत्ति से वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

घाटे के उपक्रमों के पुनर्गठन/पुनर्संरचना/निजीकरण के विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकृत समिति का गठन किया गया है जिसमें वाह्य वित्तीय तथा औद्योगिक विशेषज्ञ को भी रखा गया है ।

सीका की धारा–3(1) (ओ) में दिये गये रूग्णता के मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1995-96 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर कुल 13 निगम रुग्ण थे, जिनमें विगत तीन वर्षों में हुई हानि की सूची संलग्न है ।

जी हां, लेकिन निगमों की कार्य प्रकृति के कारण आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया गया है ।

निगमों में कार्यदक्षता सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 1 जून, 1994 को दिशा-निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं जो मुख्य रूप से निम्नवत् हैं :–

(1) सभी निगम कारपोरेट प्लान बनायें ताकि वे भविष्य में नियोजित ढंग से अपना विकास कर सकें ।

(2) निगमों द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं को समाप्त किया जाये जिनका योगदान उद्यमों की निश्चित लागत की पूर्ति हेतु नगण्य अथवा ऋणात्मक है ।

(3) सभी उद्यमों द्वारा रहतियों एवं देनदारियों की समीक्षा कर उन्हें यथासम्भव कम किया जाये और इस प्रकार फंसी हुई धनराशि को अवमुक्त कराकर व्यवसाय में लगाया जाये ।

(4) उद्यमों द्वारा अतिरिक्त कार्मिकों का अभिज्ञान करके उन्हें नियोजित ढंग से कम किया जाये ।

(5) सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का रखा जाये ।

(6) सामाजिक उपादेयता तथा जनकल्याण से जुड़े हुए उपक्रमों/इकाइयों को छोड़कर जो उपक्रम/इकाइयां हानि की स्थिति में हैं और जिन्हें लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता तथा/अथवा जिनकी उपयोयिता नगण्य है, के निजीकरण पर विचार किया जाये ।

ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 148 पर)

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग–2 लखनऊ के विरुद्ध इलाहाबाद अर्द्ध कुम्भ मेला में कराये गये निर्माण कार्यों की लोकायुक्त के अधीन चल रही जांच आख्या की जानकारी

13–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग–2 लखनऊ के विरुद्ध इलाहाबाद कुम्भ मेला में कराये गये निर्माण कार्यों की लोकायुक्त के अधीन जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी ? जांचोपरान्त उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1994-95 में अर्द्धकुम्भ मेला इलाहाबाद में हुई अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त कतिपय अधिकारियों के संबंध में मा० लोकायुक्त उ० प्र० द्वारा जांच की जा रही है । उक्त अर्द्धकुम्भ मेला के दौरान अधिशासी अभियंता, अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग–2 लखनऊ भी इलाहाबाद में तैनात थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० के० श्रीवास्तव ए० पी० एम० राजकीय निर्माण निगम शाखा कानपुर द्वारा बस्ती जनपद में भवन निर्माण में की गई अनियमितता की जांच आख्या

14–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० के० श्रीवास्तव ए०पी०एम० जो राजकीय निर्माण निगम की शाखा कानपुर में कार्यरत हैं, के विरुद्ध बस्ती जनपद में भवन निर्माण कार्यों में की गयी गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जांच रिपोर्ट में श्री श्रीवास्तव को शिथिल नियंत्रण, कर्तव्यों में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाया गया है।

श्री श्रीवास्तव की एक वार्षिक वेतन-वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गयी है तथा वित्तीय अनियमितताओं हेतु विस्तृत जांचोपरान्त आर्थिक क्षति की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के भोगांव के ग्राम आलीपुर खेड़ा में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने की मांग

15–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी के ग्राम आलीपुर खेड़ा में विद्युत सब-स्टेशन बनने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार सब-स्टेशन बनाने का निर्णय शीघ्र लेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम आलीखेड़ा जनपद मैनपुरी में 33 के०वी० उपकेन्द्र की निर्माण की आवश्यकता का परीक्षण क्षेत्रीय तकनीकी समिति के माध्यम से कराने के आदेश दे दिये गये हैं ?

कस्बा खेकड़ा (मेरठ) के विद्युत सब स्टेशन की क्षमता और बढ़ाये जाने की मांग

16–श्री रूप चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कस्बा खेकड़ा (मेरठ) में 33 के० वी० सब-स्टेशन पर उसकी क्षमता से अधिक विद्युत भार है ? यदि हां, तो क्या उस सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

राज्य विद्युत परिषद् की कठिन वित्तीय स्थितियों के कारण कस्बा खेकड़ा में 33/11 के०वी० उपकेन्द्र की क्षमता-वृद्धि का कार्य वर्ष 1997-98 की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

समुचित वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण इस उपकेन्द्र की क्षमता-वृद्धि का कार्य कराने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में स्थित सभी प्राइमरी पाठशालाओं में समूह क/ख/ग/घ के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला

17–श्री अजय भट्ट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में स्थित सभी प्राइमरी पाठशालाओं में कुल कितने पद (समूह–क/ख/ग/घ) वर्तमान में स्वीकृत है तथा कितने अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? वर्तमान में कुल कितने पद नियुक्तियों के अभाव में रिक्त चल रहे हैं तथा इन पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद अल्मोड़ा में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 4,066 पद स्वीकृत हैं ।

285 प्राथमिक विद्यालयों के कुल 570 अध्यापकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जून, 1997 में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 60 तथा अर्न्तजिला स्थानान्तरण से 35 कुल 95 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं जिन पर शीघ्र ही नियुक्तियां की जायेगी ।

जनपद उन्नाव के माध्यमिक स्तर के फर्जी शिक्षकों को पेंशन स्वीकृत से हुई अनियमितता की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के पूर्व/वर्तमान संयुक्त शिक्षा निदेशक (षष्ठ मण्डल) लखनऊ श्री मित्रलाल व डा० दलजीत सिंह पुरी के विरुद्ध उन्नाव कोतवाली में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज हुई है कि उनके कार्यकाल 1995-96 में उन्नाव जनपद के माध्यमिक स्तर के फर्जी शिक्षकों के पेंशन स्वीकृत करने के आदेश के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व का गबन हुआ है ? क्या इसी प्रकरण पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत तराई क्रान्तिदल के महासचिव श्री रामेन्द्र जनवा द्वारा वर्ष 1996 के दिसम्बर में शासन से की गयी थी ? उक्त शिकायती-पत्र पर किन-किन तिथियों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच तथा आर्क फर्नेस/स्टील में की गई अनियमितता का मामला

19–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) लखनऊ के विरुद्ध मई, 1997 तक कितनी आर्थिक/प्रशासनिक जांचे लम्बित हैं इनके क्षेत्र में कुल कितनी आर्क फर्नेस/स्टील प्लाण्ट औद्योगिक संस्थान हैं ? उनके नाम क्या हैं तथा उनका

लोड क्या है ? प्रतिमाह कुल कितना अलग-अलग विद्युत बिल भुगतान किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि इनके कार्यकाल में विद्युत चोरी बड़े पैमाने पर की गयी है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अवधि में श्री अबुल हसन अंसारी मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र के पद पर तैनात थे जिनके विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मई, 1997 तक जांच का केवल एक प्रकरण लम्बित है ।

लखनऊ क्षेत्र में कुल 18 आर्क फर्नेस/स्टील प्लाण्ट हैं ।

आर्क फर्नेस/स्टील प्लाण्ट्स के नाम, उसका लोड तथा जून 1997 में भुगतान किये गये बिल का विवरण संलग्न है ।

इनके क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों की मीटरिंग प्रणाली एवं ऊर्जा खपत की जांच समय-समय पर विभिन्न जांच टीमों द्वारा कराई जाती रही है । परिषद की टीम द्वारा भी मे० ओम स्टील, फैजाबाद, मे० सण्डीला मेटल वर्क्स, हरदोई एवं मे० गौरी/क्रान्ति स्टील, बहराइच की चेकिंग की गई थी ।

उपरोक्त जांच् में मुख्य अभियन्ता का इन्वाल्मेन्ट संज्ञान में नहीं आया ।

अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 149 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता लखनऊ में लाईन लासेज का खण्डवार विवरण तथा जांच

20–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता लखनऊ, क्षेत्र लखनऊ के अधीन लाईन लासेज खण्डवार क्या है ? क्या फैजाबाद में विद्युत चोरी कराने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-96 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था एवं भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 9-1-97 एवं श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 16-12-96 जोकि मुख्य सचिव को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी मुख्य अभियन्ता द्वारा किये गये आर्थिक अनियमितता की जांच राज्य सतर्कता आयोग से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

लखनऊ क्षेत्र के अधीन/लाईन लासेज निम्नवत् हैं :–

क्र० सं०	खण्ड का नाम	लाईन लासेज 3/97 तक
1	2	3
1	वि० वि० खण्ड–1, रायबरेली	14.00
2	वि०वि० खण्ड–11, ,,	9.22
3	वि०वि० खण्ड, उन्नाव	14.98
4	वि०वि खण्ड, सीतापुर	19.59
5	वि०वि० खण्ड, हरदोई	20.49
6	वि०वि० खण्ड–1, खीरी	19.45
7	वि०वि० खण्ड–11, खीरी	20.33

1	2	3
8	वि०वि० खण्ड–1, फैजाबाद	19.22
9	वि०वि० खण्ड–11, फैजाबाद	22.64
10	वि०वि० खण्ड, अम्बेडकरनगर	45.27
11	वि०वि० खण्ड, सुल्तानपुर	15.93
12	वि०वि० खण्ड, जगदीशपुर	17.69
13	वि०वि० खण्ड, बाराबंकी	30.51
14	वि०वि० खण्ड, गोण्डा	18.57
15	वि०वि० ख़ण्ड, बलरामपुर	13.54
16	वि०वि० खण्ड, बहराइच	17.29

जी हां ।

उक्त पत्रों में श्री अबुल हसन अंसारी, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु सम्पूर्ण प्रकरण विद्युत परिषद की सतर्कता इकाई को सौंपा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत गृहों का मासिक पी० एल० ए० रिपोर्ट तथा राज्य सेक्टर की योजनाओं की स्थिति की जानकारी

21–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1994 से फरवरी, 1997 तक मासिक पी० एल० एफ० क्या है ? इन्हीं वर्षों में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पादन हुआ एवं कितनी ऊर्जा एन० टी० पी० सी० से खरीदनी पड़ी ? उसकी दर क्या थी ? प्रतिमाह एन० टी० पी० सी० को क्या भुगतान हो रहा है ? क्या यह सत्य है कि पी० एल० एफ० में लगातार गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो शासन विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कौन-कौन सी नई परियोजनाओं का निर्माण करा रहा है ? कितनी परियोजनायें निजी क्षेत्रों को दे दी गयी हैं ? उनसे किन दरों पर विद्युत खरीदी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत गृहों का जनवरी, 94 से मार्च, 97 तक का मासिक पी० एल० एफ० संलग्नक–1 में इंगित । इन्हीं वर्षों में राज्य विद्युत परिषद के उत्पादन के आंकड़े भी संलग्नक–1 में दर्शाये गये हैं । (संलग्नक हेतु देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 150-151 पर) वर्ष 1994-95, 95-96, एवं 96-97 में तापीय विद्युत उत्पादन क्रमशः 15, 611 मिलियन यूनियन 17,813 मिलियन यूनिट एवं 18423 मिलियन यूनिट था तथा तापीय विद्युत गृहों का पी० एल० एफ० क्रमशः 43.6, 47.5 व 49.2 प्रतिशत था । एन०टी०पी०सी० से उपरोक्त समय में क्रय की गई ऊर्जा उसकी दर एवं कुल धन का विवरण निम्नवत् है :–

अवधि	क्रय की गई ऊर्जा (मि० यूनिटों में)	बिलों की राशि रु० करोड़ों में	दर प्रति यूनिट
1	2	4	4
जनवरी, 94 से मार्च, 94 तक	3385	305	90.24
अप्रैल, 95 से मार्च 96 तक	11681	1154	98.83

1	2	4	4
अप्रैल 95 से मार्च 96 तक	12802	1278	99.80
अप्रैल, 96 से फरवरी 97 तक	11937	1317	110.2

जी नहीं । पी० एल० एफ० लगातार बढ़ रहा है । वर्ष 1994-95 में पी० एल० एफ० 43.6% था जो कि 1996-97 से बढ़कर 49% हो गया है तथा वर्ष 1997-98 में अप्रैल से जून का पी० एल० एफ० 52.5% है ।

राज्य सेक्टर में निम्न विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है :–

1–टाण्डा तापीय परियोजना की चतुर्थ 110 मे० वा० इकाई इसी वित्तीय वर्ष 97-98 में चालू हो जानी संभावित है ।

2–लखवार व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना कुल क्षमता 420 मे० वा० वर्ष 2001-02 में चालू हो जानी लक्षित है ।

3–संयुक्त क्षेत्र में राजघाट जल विद्युत परियोजना, प्रदेश का अंश 22.5 मेगावाट इसी वित्तीय वर्ष 97-98 में फलीभूत होना लक्षित है । इस परियोजना का कार्य बेतवा रिवर बोर्ड के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है ।

4–टिहरी बांध परियोजना प्रथम चरण, प्रदेश का अंश 550 मे० वाट वर्ष 2001–02 में फलीभूत होनी लक्षित है । इस परियोजना का कार्य टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है ।

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

	परियोजना का नाम	क्षमता मे०वा०	फलीभूत होने की तिथि
1.	जवाहर पर तापीय	800	2001–02
2.	रौजा तापीय	567	2001–02
3.	आनपारा ''सी'' तापीय	1000	2001–
4.	परतबपुर तापीय	2000	2001–02
5.	विष्णु प्रयाग जलीय	400	2002–03
6.	श्रीनगर जलीय	330	2002–03
7.	मनेरी भाली स्टेज–2	304	2002–03
8.	तरल ईंधन आधारित परियोजनायें (सं०–8)	1107	1999–2000
9.	लघु जलीय परियोजनायें (सं०–8)	88	2000–01

सही-सही विद्युत विक्रय की दर ऊर्जा क्रय अनुबन्ध अन्तिम तौर पर फाइनल एवं फाइनेन्शियल क्लोजर हो जाने के बाद ही निर्धारित हो सकेगी । तरल ईंधन परियोजनाओं से लगभग रु० 2.50 के आस-पास तथा लघु जलीय से प्रथम वर्ष में लगभग रु० 2.25 प्रति यूनिट अनुमानित है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु बनायी गयी नियमावली की जानकारी की मांग

22–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कोई नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सही है कि उसका पालन नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जौनपुर एवं इलाहाबाद देवरिया जनपद के विभिन्न वितरण खण्डों में एच० बी० सी० एच० डी० सी० बिल क्लर्क कैशियर, अनुबन्ध लिपिक मानचित्रक, संगणक आशुलिपिक आदि विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही जनपद में एक ही सीट स्थान खण्ड में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या जनहित में इनका स्थानान्तरण अन्यत्र जनपदों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित विद्युत कनेक्शनों की जानकारी

23–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्होंने विभागीय विद्युत कनेक्शन लिये हैं ? उनकी अलग-अलग संख्या क्या है ? क्या इस संबंध में कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 27-11-95 जो कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभागीय कनेक्शन लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी हां । माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 27-11-95 प्राप्त हुआ है किन्तु यह उक्त संबंध में नहीं है वरन् एक विभागीय कर्मचारी के विद्युत कनेक्शन को विभागीय उपभोक्ता दर सूची से सामान्य उपभोक्ता दर सूची में परिवर्तित करने हेतु था जिसे संबंधित क्षेत्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया, किन्तु प्रश्नगत विभागीय उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण आवश्यक कार्यवाही लम्बित है ।

मेसर्स हिण्डालको, रेनूकूट द्वारा की जा रही विद्युत चोरी के संबंध में मा० सदस्य की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

24–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स हिण्डालको, रेनूकूट द्वारा करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक, श्री देवी प्रसाद सिंह, सांसद, राज्य सभा एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 10-1-97 जो कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

विभागीय निर्माण इकाई अनुरक्षण (विद्युत) लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा जनवरी, 1996 से मार्च, 1996 तक क्रय की गयी सामग्री में खर्च की जानकारी

25–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विभागीय निर्माण इकाई अनुरक्षण (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में वर्क अधीक्षक द्वारा जनवरी, 1996 से मार्च, 1996 तक कितना बजट, सामग्री क्रय पर खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि मार्च, 1997 में ही कार्य अधीक्षक द्वारा निर्धारित बजट से अधिक बजट खर्च कर उसका दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त खर्च किये गये सारे बजट की सतर्कता विभाग से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनवरी, 1996 से मार्च, 1997 तक सामग्री क्रय पर रु० 51.66 लाख बजट खर्च किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की मांग

26–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के फेस 3 में मंदिर के सामने रोड लाइट का कार्य विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा देखा जाता है ? यदि हां, तो उक्त रोड लाईट पर वर्ष 1996-97 में कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि आवास संख्या आर० एस० 2/285 के सामने बना पार्क जो अंधेरे में रहता है और आये दिन वहां पर चोरियां होती हैं, क्या सरकार उक्त उपरोक्त स्थानों पर परमानेन्ट लाईट लगाकर रह रहे कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उक्त योजना पर वर्ष 1996-97 में रु० 20100.00 का व्यय मार्ग प्रकाश अनुरक्षण पर किया है ।

आवास संख्या आर० एस० 2/285 के समीप सभी मार्ग प्रकाश बिन्दु समान रूप से जल रहे हैं तथा पार्क के चारों ओर पांच नई ट्यूब फिटिंग लगा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच घाघरा घाट से लेकर बहराइच मुख्यालय तक बौद्ध परिपथ की सड़क पर की गई अनियमितता की जांच

27–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में घाघरा घाट से लेकर बहराइच मुख्यालय तक बौद्ध परिपथ की सड़क जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही है, पर स्थानीय संबंधित अभियन्ताओं द्वारा मानक के अनुसार सामग्री न लगाकर भारी अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच टी० ए० सी० से कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पूर्व में प्राप्त शिकायतों पर प्रश्नगत मार्ग की टी० ए० सी० द्वारा जांच करा ली गयी है । जांच आख्या के आधार पर टालरेन्स संबंधी परीक्षण मुख्य अभियन्ता स्तर पर विचाराधीन है ।

मुन्नी देवी सहायक अध्यापिका, तारा बालिका इण्टर कालेज, बहराइच के वेतन वृद्धि तथा अवशेष वेतन भुगतान की मांग

28–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मुन्नी देवी सहायक अध्यापिका, तारा बालिका इण्टर कालेज, बहराइच ने वेतन वृद्धि एवं अवशेष वेतन भुगतान करने संबंधी एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-6-90 को शिक्षा निदेशक, शिक्षा सामान्य (1) अनुभाग, इलाहाबाद को दिया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

संदर्भगत प्रार्थना पत्र शिक्षा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री अजय भट्ट–

[2रे बुध में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

30–श्री राम औतार शाक्य–

[2रे बुध में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में स्थित बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु प्राप्त विदेशी सहायता के प्रयोग की जानकारी

31–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत 1995, 1996 और 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश स्थित बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी, कब और किस देश से ? क्या सरकार जनपद फर्रुखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा को विकसित करने एवं उसे मैनपुरी से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये मैनपुरी व फर्रुखाबाद की सीमारेखा के मध्य काली नदी में हुमायूंपुर राजघाट पर उपरोक्त धन से पक्का पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वर्ष 1994-95 में रु० 766.78 लाख वर्ष 1995-96 में रु० 1703.73 लाख तथा वर्ष 1996-97 में रुपया 3513.00 लाख की धनराशि ओ०ई०सी० एफ० (जापान) से केन्द्र के माध्यम से प्राप्त हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओ० ई० सी० एफ० (जापान) की सहायता से कार्यान्वित की गयी बौद्ध परिपथ परियोजना में यह कार्य सम्मिलित नहीं है ।

कस्बा खेकड़ा (मेरठ) में पेयजल की टंकी बनाये जाने की मांग

32–श्री रूप चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खेकड़ा (मेरठ) में वहां के निवासियों की वर्षों से चली आ रही मांग को देखते हुये एक पेयजल की टंकी बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण ।

उ० प्र० शासन द्वारा घोषित दिल्ली–सहारनपुर मार्ग पर लोनी बार्डर से बागपत तक राजमार्ग के चौड़ीकरण की मांग

33–श्री रूप चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासनकाल में उ० प्र० शासन द्वारा घोषित दिल्ली–सहारनपुर मार्ग पर लोनी बार्डर से बागपत तक के राजकीय राजमार्ग को कब तक चौड़ा कर बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ? क्या लोनी बार्डर से लोनी कस्बे तक सड़क के दोनों ओर नाली भी बनाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

इस मार्ग हेतु केवल सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है जो कार्य 15 अप्रैल, 1997 को प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

सामान्यतः लोक निर्माण विभाग नाली निर्माण नहीं करते हैं ।

जनपद महराजगंज में पनियारा–परतावल कप्तानगंज पिच मार्ग पर दोनों तरफ ईंट की सोलिंग करके सड़क चौड़ा कराने की मांग

34–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में पनियारा परतावल कप्तानगंज पिच मार्ग पर दोनों तरफ ईंट की सोलिंग करके सड़क चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि

हां, तो क्या मंत्री जी विभाग को निर्देशित करके सड़क को चौड़ा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं है ।

प्रदेश में नकली पाठ्य पुस्तकों को रोकने की योजना की जानकारी

35–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में नकली पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में नकली पाठ्य पुस्तकों को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य उपाय क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

शासन को इस प्रकार की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जी हां ।

मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों एवं विभागीय मण्डलीय तथा जनपदीय अधिकारियों को समय-समय पर टैलेक्स/फैक्स/परिपत्र भेजकर नकली/फर्जी/अवैध पाठ्य पुस्तकों के चलन को रोकने हेतु छापा डालने के निर्देश दिये गये हैं । यह भी अपील की गयी है कि नकली/जाली पुस्तकों को जलाकर नष्ट कर दिया जाये अथवा उनकी पल्प बनाई जाये । अभिभावकों/छात्रों को भी इस संबंध में समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति निकाल कर नकली/फर्जी/अवैध पाठ्य पुस्तकों का क्रय न करने का अनुरोध किया गया है । मण्डलायुक्तों को निर्देश भेजकर यह अपेक्षा की गयी है कि कापीराइट ऐक्ट के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग उ० प्र० को प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही की मांग

36–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक अ 87563 दिनांक 20-11-96 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों को लेपन करवाने हेतु सरकार स्टेट सेक्टर में धन का आवंटन करके इसी वित्तीय वर्ष में लेपन कार्य करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

37–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक आ 87553 दिनांक 20-11-96 और पत्रांक संख्या अ 87562 दिनांक 20-11-96 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को टी० ए० सी० जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या टी० ए० सी० से जांच करवायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मा० सदस्य, विधान सभा का इसी विषय पर एक अन्य पत्र संख्या–अ 17271 दिनांक 13-1-97 भी प्राप्त हुआ है जिन पर मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों पर कथित अनियमितता हेतु उच्च स्तरीय विभागीय एवं टी० ए० सी० जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद फिरोजाबाद की टूण्डला विधान सभा क्षेत्र में जमुना की तलहटी की सम्पूर्ण जर्जर सड़कों के निर्माण का मामला

38–श्री शिव सिंह चक–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद का टूण्डला विधान सभा क्षेत्र जमुना की तलहटी में बसा हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों का अभाव है एवं लगभग सम्पूर्ण मार्ग जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । इस क्षेत्र का एक अंश जमुना की तलहटी में है ।

क्षेत्र में ऐसे ग्राम हैं जो अभी सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर गांव बालेपार विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती को पक्की सड़क से जोड़ने का मामला

39–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि अम्बेडकर गांव बालेपार विकास खण्ड रुधौली (जनपद बस्ती) को पक्की सड़क से जोड़े जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड द्वितीय, बस्ती द्वारा मनैतापुर से जो सड़क बनाई जा रही है वह मुख्य गांव बालेपार तक न बनाकर केवल एक छोटा सा मजरा–सेखवनियां तक बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को मुख्य गांव बालेपार तक निर्मित किये जाने हेतु आदेशित करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग का निर्माण कार्य ग्राम बालेपार के पहले मजरे तक किया जा रहा है ।

आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लखनऊ स्थित अम्बेदकरपुरम् तेलीबाग में स्वीकृत हैण्डपम्पों को लगाये जाने की मांग

40–श्री हरि नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित अम्बेदकरपुरम् तेलीबाग, लखनऊ में कुल कितने इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं ? क्या मानक के आधार पर हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? लगाये गये हैण्ड पम्पों में से कितने चालू अवस्था में हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या मंत्री जी जनसंख्या को देखते हुये खराब हैण्ड पम्पों को बदल कर नये हैण्ड पम्प स्वीकृत करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मार्च, 97 तक अम्बेदकरपुरम् में 4 हैण्डपम्प अधिष्ठापित थे । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 हैण्डपम्प मण्डी परिषद् द्वारा लगाये गये हैं । अन्य कोई हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं है ।

नागर क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर हैण्डपम्प लगाये जाने का कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

अधिष्ठापित 6 हैण्डपम्पों में से 5 हैण्डपम्प चालू अवस्था में है । एक हैण्डपम्प खराब है जो कि मण्डी परिषद् द्वारा हाल ही में लगाया गया है ।

खराब एक हैण्डपम्प मण्डी परिषद् का है और इसको बदलवाने आदि से नगर विकास विभाग संबंधित नहीं है ।

41–श्री राम बिशुन आजाद–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को दिये गये पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

42–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख 153195 दिनांक 22-6-95 और ख 153198 दिनांक 22-6-95 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्णित पत्रों में से पत्र संख्या–ख–153195, दिनांक 22-6-95 प्राप्त हुआ है ।

द्वितीय पत्र संख्या–ख–153198 दिनांक 22-6-95 उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता (मु०–1) लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० लखनऊ से संस्तुति सहित आख्या/आगणन मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद एटा के कासगंज विद्युत खण्ड से शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति का विवरण

43–श्री नेतराम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के कासगंज के विद्युत खण्ड से नगर में कौन-कौन शीतगृह को बिजली सप्लाई की जाती है ? पिछले पांच वर्षों में किस-किस शीतगृह में कितने-कितने मूल्य की बिजली खपत हुई ? क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

सुश्री मायावती–

विद्युत खण्ड से कासगंज नगर में 8 शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

<u>विवरण संलग्न है ।</u>

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(विवरण देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 152 पर)

जनपद बस्ती में लुम्बनी–दुद्धी मार्ग से रोसिहापार मार्ग के निर्माण का मामला

44–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में लुम्बनी–दुद्धी मार्ग से रोसिहापार मार्ग के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1517/35–5–96(56)–105 दिनांक 4-9-96 द्वारा 1.06 कि०मी० हेतु जारी की गयी है ? क्या इस 1.06 कि० मी० लम्बाई के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता ने मनमानी तरीके से 3.00 कि० मी० लम्बाई में कार्य कराकर पूर्वांचल विकास निधि के धन का दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में रिंग रोड बनाये जाने की कथित योजना पूर्ण किये जाने की मांग

45–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में रिंग रोड बनाये जाने की योजना कब तक पूरी कर दी जायेगी ? क्या रिंग रोड हेतु कोई समरेखन किया गया है ? यदि हां, तो यह समरेखन क्या है ? क्या राष्ट्रीय मार्ग नं०–3 से इरादत नगर रोड, शमशाबाद रोड, फतेहाबाद रोड को यमुना के पेन्टिंग पुल से होकर राष्ट्रीय मार्ग नं०–2 से जोड़ने वाले वर्तमान निर्मित मार्ग राष्ट्रीय मार्ग 2 से 3 को ही रिंग रोड के रूप में विकसित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

रिंग रोड बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

रिंग रोड हेतु कोई समरेखन अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री मस्तराम–

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

47–श्री मस्तराम–

[चौथे मंगल के लिए स्थगित ।

विकास खण्ड औरास जनपद उन्नाव के विद्युत गृह के निर्माण का मामला

48–श्री मस्तराम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड औरास, जनपद उन्नाव में विद्युत गृह का निर्माण सन् 1986-87 से अधूरा पड़ा है ? उक्त विद्युत गृह आज तक पूरा न होने का क्या कारण है ? उक्त विद्युत गृह का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

संसाधनों के अभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका ।

परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण इस उपकेन्द्र के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1996-97 में नये कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि में की गई कथित अनियमितता

49–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 96-97 में नये कार्यों की कितनी स्वीकृतियां, सिद्धार्थनगर जनपद के लिये की गयी है ? क्या इन स्वीकृतियों के लिये होने वाले कार्य का निविदा द्वारा या मानक टेण्डर के आधार पर कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गलत व्यक्तियों से कार्य कराये जाने पर जो वित्तीय अनियमितता हुई है उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 96-97 में 950.76 लाख की स्वीकृति नये कार्यों के लिये दी गयी ।

जो कार्य कराया गया है वह निविदा के आधार पर कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रथम दृष्ट्या अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० एन० राय अवर अभियन्ता द्वारा मार्ग–2 सिद्धार्थनगर हेतु प्राप्त धन के कथित दुरुपयोग

50–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० एन० राय, अवर अभियन्ता, मार्ग–2, सिद्धार्थनगर के विरुद्ध वर्ष 1995-96 में एवं अन्य मामलों में राजकीय धन के दुरुपयोग किये जाने की जांच चल रही है, के संबंध में दिनांक 28-5-97 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत शिकायती पत्र अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में जल व्यवस्था हेतु नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग

51–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में कितने लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसतन उपलब्ध है ? क्या यह मानक के अनुसार है अथवा उससे कम है ? क्या सरकार मानक के अनुसार पानी उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त नलकूपों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

32.50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ।

यह मानक से कम है ।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । इस कारण समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जनपद रामपुर के ब्लाक चमरौव्वा में इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

52–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर के ब्लाक चमरौव्वा में कोई भी इण्टर कालेज न होने के कारण चमरौव्वा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है ? क्या सरकार इस पिछड़े हुये क्षेत्र ब्लाक चमरौव्वा के चमरौव्वा ग्राम में शिक्षा का स्तर उठाने की दृष्टि से इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

वर्तमान में इस स्थान पर इण्टर कालेज की स्थापना करना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के गन्दे नाले पर पुल आदि के निर्माण कराये जाने की मांग

53–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर में सिद्धनाले पर नौराह गांव के निकट पटिया-परम कूप मार्ग पर, गागन नदी पर सेफनी–चन्दपुरा कला मार्ग पर पटवाई सूरजपुर नवाबगंज मार्ग पर गन्दे नाले पर पुल न होने से क्षेत्रीय जनता को चिकित्सा आदि हेतु यातायात सुविधा में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार जिला स्तर से उक्त पुलों के निर्माण हेतु भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

1–सिद्ध नाले पर नौराह गांव के निकट वर्तमान में 2.15 आकार के 5 दरों का आर्च पुल बना हुआ है ।

2–गांगन नदी पर सैफनी चंद्रपुरा कला मार्ग पर किमी० 2 में सेतु के सर्वेक्षण के आदेश दि० 18-3-97 को जारी किये जा चुके हैं। नाव की विभागीय फेरी द्वारा आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

3–पटवाई सुरजपुर नवाबगंज मार्ग पर गन्दे नाले पर आर्च पुल बना हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण/जी०पी०एफ० आदि के भुगतान में अपनायी जा रही प्रक्रिया को ठीक कराने की मांग

54–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण/जी०पी०एफ० आदि देयों से संबंधित निधि आवंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-97 एवं 12-3-97, जो कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख (ऊर्जा), उ० प्र० शासन को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कन्या प्राइमरी पाठशाला बांकी पो० बौरडीह तिवारी जनपद देवरिया हेतु आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

55–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कन्या प्राइमरी पाठशाला बांकी, बौरडीह तिवारी, जनपद देवरिया के लिये कोई भूमि आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी गाटा संख्या क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि आवंटित भूमि पर पाठशाला का निर्माण न कराकर गाटा संख्या–86क/073 एयर पर निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या इसकी वसूली संबंधित अधिकारियों से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में माननीय नरेन्द्र प्रताप सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 23-3-96 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

1–546/057

2–86क/073

जी नहीं। आवंटित दो भूमि खण्डों में एक भूमि खण्ट गाटा सं० 86 क/073 पर निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिस भूमि पर भवन निर्मित है वह अनुदानित दो भूमि खण्डों में से एक है तथा वह भूमि खण्ड विद्यालय के नाम से राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार अंकित है।

संदर्भगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशेष एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु अपनायी गयी नीति की जानकारी

56–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशेष एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रेप सम्मिलित) सामग्री का निस्तारण के लिये क्या नीति अपनाई गयी है ? पिछले तीन वर्षों में निस्तारण से खण्डवार कुल कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या यह सत्य है सामग्री के निस्तारण में जो धन प्राप्त हुआ है उसको अन्य मदों में व्यय किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसके लिये परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में उपलब्ध अभिलेख एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रेप सम्मिलित) सामग्री का निस्तारण के लिए निम्न नीति अपनायी गयी है :–

(1) वितरण स्कन्ध–भण्डार संगठन के माध्यम से खुली नीलामी द्वारा पूर्व प्रसारित स्थान एवं तिथि पर ।

(2) उत्पादन परियोजनाओं, पारेषण स्कन्ध एवं केसा विभिन्न क्रय समितियों द्वारा उनके वित्तीय अधिकार के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण खुली निविदा द्वारा कराया जाता है ।

(3) परिषद् द्वारा स्थायी रूप से बन्द कर दिये गये दस लघु ताप विद्युत गृह के संयंत्रों एवं उपकरणों तथा निष्प्रयोज्य डीजल जेनरेटिंग सेट्स/डी०सी० कनवरटल सेट्स के निस्तारण का कार्य भी खुली निविदा द्वारा कराया जाता है ।

(4) वर्तमान में परिषद् में समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण भारत सकरार के उपक्रम मै०एम०एस०टी०सी० लि०, नई दिल्ली के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है ।

सूची संलग्न है ।

सामग्री निस्तारण से प्राप्त धन का व्यय परिषद् में समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 153–154 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित सचिवालय कर्मियों के लम्बित वादों का प्रकरण

57–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० संख्या 102 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री जी श्रम न्यायालय के निर्णय को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नही, तो क्यों ? अपर जिलाधिकारी (राजस्व) द्वारा क्या आदेश दिये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 10 प्रतिशत की दर से जिलाधिकारी, लखनऊ को कितना भुगतान किया गया तथा इस वाद (केस) की पैरवी के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी नियत किये गये हैं ? क्या परिषदीय सचिवालय कर्मियों के वेतन आदि के संबंध में निदेशक (कार्मिक) ने मई, 1992 में किसी समिनित का गठन किया था ? यदि हां, तो समिति ने अब तक क्या निर्णय लिया ?

सुश्री मायावती–

माननीय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्णय वाद संख्या 44/89 में पारित निर्णय प्रस्तुत है (अनुलग्नक–1) ।

वर्णित परिस्थितियों में परिषद् को एक माह का समय बकाया धनराशि जमा करने के लिए दे दें ।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा परिषद् के अनुरोध के बाद भी 10 प्रतिशत संग्रह व्यय तथा प्रोसेस फीस सहित कुल रु० 3,87,283.30 की राशि बैंक से रिलीज करा ली गयी थी जिसमें रु० 35,218.50 संग्रह राशि एवं प्रोसेस फीस के जुड़े हुए हैं ।

पैरवी हेतु तत्कालीन कार्मिक अधिकारी श्री रवि प्रकाश मिश्रा को अधिकृत किया था । अन्य कार्य हेतु श्री एम० सी० सिन्हा, तत्कालीन प्रवर वर्ग सहायक को निर्देशित किया गया था ।

जी नहीं ।

समिति का गठन सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किया गया था ।

समिति ने निम्न मत दिया :–

1–परिषद आदेश संख्या 886-एस०ए०/राविप–11/85-32/एस०ए०/76,दिनांक 13-2-85 को संशोधित कर दिया जाय और उसके पूर्व में दो पदों के संविलियन के समय अपनाई गयी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का समावेश कर दिया जाए ।

2–वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन विसंगति के बारे में समिति का मत है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का मूल कारण कनिष्ठ कर्मचारियों का संविलियन के समय अनियमित रूप से वेतन निर्धारण है । यदि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया संशोधित नहीं की जाती है तो भी वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन कनिष्ठ के बराबर करने का औचित्य नहीं है क्योंकि यह सामान्य नियमों अथवा परिषदीय आदेशों के प्राविधानों से आवरित नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 155 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर द्वारा विद्युत चोरी के मामले के संबंध में दिया गया शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही

58–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता वितरण खण्ड, हमीरपुर द्वारा 30 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत चोरी के संबंध में राज्य सतर्कता जांच संबंधी श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 25-9-96, जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से जांच करायी जा रही है ।

लखनऊ स्थित शेखूपुरा आवास विकास कालोनी अलीगंज में बसे हुई झोपड़ियों हेतु सुलभ शौचालय निर्मित करने की मांग

59–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित शेखूपुरा आवास विकास कालोनी, अलीगंज (लखनऊ) के आस-पास बसे हुये झोपड़ियों के निवासियों के लिये सुलभ

शौचालय जैसी सुविधा देने पर प्रशासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कालोनी से कूड़ा करकट हटवाकर सफाई करवाने के आदेश प्रशासन की ओर से शीघ्र जारी किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

क्योंकि झुग्गी झोपड़ी के निवासी अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ।

कूड़ा करकट उठवा दिया गया है ।

शेखूपुरा आवास विकास कालोनी कुर्सी रोड लखनऊ स्थित अवैध झोपड़ियों को प्रति सरकार की नीति

60–श्री गंगा प्रासद सिंह चौहान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगंज (लखनऊ) स्थित शेखूपुरा आवास विकास कालोनी में कुर्सी रोड पर स्थित तमाम झुग्गी झोपड़ियां वैध घोषित कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो उक्त अनधिकृत व्यक्तियों को वहां से हटाने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत अनधिकृत अध्यासी दुर्बल आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं जिन्हें शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आश्रय स्थल/भवन उपलब्ध करा कर हटाये जाने का प्राविधान है । अतः जो व्यक्ति वैकल्पिक व्यवस्था ''आफर'' करने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्हें उ० प्र० चार योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम 1997 के प्राविधानों के अंतर्गत हटाने की आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

नगर महापालिका सांडी जनपद हरदोई के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत की मांग

61–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सांडी, जनपद हरदोई के अन्तर्गत आने वाली ठन्डी सड़क मोहल्ला नवाबगंज से मीठा कुआं, मो० नवाबगंज से इमामबाड़ा बाया नौसहारा एवं मो० नवाबगंज से मंगला देवी मन्दिर तक की सड़कों की मरम्मत करायी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जर्जर सड़कों से होने वाली आम नागरिकों की कठिनाई कोदेखते हुये सरकार द्वारा प्रश्नगत सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकाय के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय है । नगर पालिका परिषद्, सांडी, जनपद हरदोई अपने संसाधनों से प्रश्नगत सड़कों की मरम्मत नहीं करा सकी ।

नगर पालिका परिषद्, सांडी को शासनादेश दिनांक 6 मई, 97 द्वारा सड़कों के अनुरक्षण, सुधार, नवीनीकरण, निर्माण एवं उसके किनारे की नालियों बन्द नालियों के बनाने एवं सीवरेज से जोड़ने के प्रयोजनार्थ रुपए 6 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है । शेष धनराशि की व्यवस्था अपने संसाधनों से करके पालिका को प्रश्नगत सड़कों को शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत अनावर्तक अनुदान भुगतान की मांग

62–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991-92 में अनावर्तक अनुदान प्रदेश के असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को वर्ष 92-93 में भुगतान हेतु स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसका भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां, कतिपय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था ।

जी नहीं ।

उपरोक्त स्वीकृति आदेश निरस्त किये जाने के फलस्वरूप भुगतान नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में स्थित स्टाफ क्वार्टर में आवश्यक परिवर्तन/मरम्मत हेतु प्रेषित पत्र एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

63–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में स्थित स्टाफ क्वार्टर में आवश्यक परिवर्तन/मरम्मत सुधार करने के संबंध में तत्कालीन महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून के पत्रांक 3010/विविध-आवास/93-94, दिनांक 24-9-93, 5327/विविध-आवास/93-94, दिनांक 18-2-94 व पत्रांक 1479/ग्रा० यो० पौड़ी/94-95, दिनांक 14-6-94 के द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो इन निर्देशों के अनुपालन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

महाप्रबन्धक के निर्देशों के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, गढ़वाल जल संस्थान, पौड़ी द्वारा अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत आवश्यक मरम्मत व रंगाई-पुताई करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

। दूसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

प्रदेश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य हेतु सरकार की योजना

65–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश शासन को संविधान के निर्देशानुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था न कर पाने के लिये क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की गई है ? यदि हां, तो वह टिप्पणी क्या है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

केवल राज्य सरकार ही नहीं अपितु भारत के समस्त राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के लिए रिट याचिका संख्या 81/94 सतपाल आनन्द बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसका आशय निम्न प्रकार है :–

"मा० सर्वोच्च न्यायालय ने याची को व्यक्तिगत रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि आनुतोष जैसा कि बाद में मांगा गया है, उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परन्तु तात्कालिक रूप से इस अभ्यास का उद्देश्य यह है कि कन्द्र तथा राज्य सरकारें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने की दिशा में गतिशील है ।"

काशी में घाटों पर एकत्रित होने वाली मिट्टी को हटाने सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग

(५)–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादू)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काशी के घाटों पर एकत्रित हो जाने वाली बाढ़ की मिट्टी को हटाकर घाटों की सफाई करने की जिम्मेदारी किस विभाग पर है ? क्या उक्त मिट्टी को अन्यत्र स्थानान्तरित न कर उसे पुनः गंगा में बहा देना गंगा के निर्मलीकरण के विरुद्ध है ? क्या घाटों पर एकत्रित मिट्टी की सफाई कराकर घाटों को स्वच्छ रखने हेतु सरकार कोई स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

काशी के घाटों पर एकत्रित हो जाने वाली बाढ़ की मिट्टी को हटाकर घाटों की सफाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम, वाराणसी की है ।

जी नहीं ।

नगर निगम, वाराणसी द्वारा घाटों पर एकत्रित मिट्टी की सफाई कराकर घाटों को स्वच्छ रखने का कार्य प्रति वर्ष बरसात के बाद किया जाता है । यह एक स्थाई व्यवस्था है ।

पडरौना जनपद के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बसन्तपुर मरचहवा में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धन में की गई अनियमितता की शिकायत

67–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पडरौना जनपद के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बसन्तपुर मरचहवा में वर्ष 1991-92 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु एक लाख अस्सी हजार रुपये स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि विद्यालय भवन निर्माण की समस्त धनराशि का गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय कब तक निर्मित हो जायेगा ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

प्राथमिक हेतु रु० 90,000/- तथा उच्च प्राथमिक हेतु रुपया 1,80,000.00 स्वीकृत हुआ था ।

प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण की धनराशि का उपभोग कर भवन हेतु निर्माणकर्ता को 1,35,000/- दिया गया था, उनके द्वारा रु० 90,000/- का उपभोग किया गया है तथा एक किश्त रु० 45,000/- संयुक्त खाते में जमा है ।

भवन निर्माण को समय से न पूरा कराने हेतु संबंधित व्यक्ति को निलम्बित कर उसके देयकों का भुगतान रोक दिया गया है ।

उपरोक्तनुसार, प्रश्न नहीं उठता ।

भवन को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगर पंचायत खड्डा पडरौना में वर्ष 1996 में निर्मित खड़ंजा कार्य में हुई कथित अनियमितता

68–श्री दीप लाल भारती–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर पंचायत खड्डा (पडरौना) में अप्रैल, 1996 में निर्मित खड़न्जा कार्य कक्ष सं०-10 में श्री खालिक चीक के घर के पास व कक्ष संख्या 9 बाजार में शिव मेडिकल के सामने पुराने खड़न्जा कार्य को ही नया खड़न्जा कार्य दिखाकर भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो कितना-कितना भुगतान हुआ है ? जांच में दोषी पाये जाने वाले को कब तक दण्ड मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

अभी कोई भुगतान नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा का विकास खण्ड छपिया सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत छपिया गोनहा मार्ग, महुलीखोरी पायर खास मार्गों के निर्माण का मामला

69–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा का विकास खण्ड छपिया सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित है ? क्या छपिया गोनहा मार्ग, मसकनवा-साहिला मार्ग, मसकनवा-तेदुआ-रानीपुर मार्ग, परसामण्डप मार्ग, महुलीखोरी पायर खास मार्गों पर पत्थर कुटाई कार्य कई वर्ष पूर्व हो चुका है ? क्या यह सही है कि लेपन कार्य न होने से पत्थर उखड़ कर ऊपर आ गये हैं ? यदि हां, तो सुनिश्चित रोजगार योजना में उक्त मार्गों पर लेपन हेतु धन आवंटित कर कब तक कार्य पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

कुछ भाग में लेपन न होने से पत्थर उखड़ते रहते हैं जिसकी मरम्मत करा दी जाती है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम तहसील मुख्यालय में विद्युत आपूर्ति काफी दिनों से न होने की शिकायत

70–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के बिलग्राम तहसील मुख्यालय में विद्युत आपूर्ति कई हफ्तों तक ठप्प रहने के कारण कई बार धरना, आमरण अनशन व चक्का जाम करने के उपरान्त जिलाधिकारी, हरदोई की अध्यक्षता में दिनांक 27-11-96 को यह तय हुआ था कि इस समस्या के निदान हेतु हरदोई से बिलग्राम तक नई लाइन तथा तद्नुसार 132 के० वी० उपकेन्द्र हरदोई पर आवश्यक उपकरण तथा ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य विद्युत परिषद् को लिखा जायेगा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रस्तावित कार्य करना आवश्यक नहीं है ।

परिषद् स्तर पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि विद्युत आपूर्ति की वर्तमान प्रणाली बिलग्राम तहसील के लिये संतोषजनक है ।

जनपद हरदोई को माधौगंज विकास खण्ड के कुरसठ नगर पंचायत कछोना तक लेपित मार्ग व सई नदी पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

71--श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के माधौगंज विकास खण्ड के कुरसठ नगर पंचायत की अध्यक्षता भगवती देवी द्वारा क्षेत्रीय जन विकास जन आन्दोलन हरदोई के बैनर तले माधौगंज कुरसठ कछोना तक लेपित मार्ग व इसी पर बाण परौली के मध्य सई नदी पर पक्के पुल के निर्माण हेतु 15 अगस्त, 96 से आज तक क्रमिक अनशन चल रहा है ? क्या यह सही है कि 1 मई, 97 को आत्मदाह की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां । वर्णित संस्था के 01 मई, 1997 के पत्र में आत्मदाह का उल्लेख था, परन्तु आत्मदाह के कार्यक्रम की कोई विशिष्ट सूचना नहीं थी ।

जनपद हरदोई में बाण परौली के मध्य सई नदी पर सेतु के निर्माण हेतु प्रमुख अभियन्ता (नियोजन वर्ग) लोक निर्माण विभाग से आख्या/आगणन मांगा गया है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के लिए सांडी ब्लाक स्थित चौसर से श्रीमऊ ग्राम तक की सड़क निर्माण तथा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

72–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के सांडी ब्लाक स्थित चैसार से श्रीमऊ ग्राम तक की सड़क का निर्माण वर्ष 1993-94 में कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर चैसार ग्राम के निकट पड़ने वाली गम्भीरी नदी पर पुल न बनाये जाने से उक्त मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा है ? क्या उक्त पुल के निर्माण हेतु सरकार आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत स्थान पर ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई रूप से यातायात की व्यवस्था है । केवल बरसात में जल-भराव के कारण आंशिक रूप से मार्ग का उपयोग नहीं होता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव मे प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री के० पी० सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी अफो, जनपद फिरोजाबाद की बालिकाओं के लिये शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान की मांग

73--श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक असहायिक मान्यता प्राप्त श्री के० पी० सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गढ़ी अफो, जनपद फिरोजाबाद की कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिये शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विद्यालय का अवशेष भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करेगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत बालिकाओं के क्षतिपूर्ति हेतु योजना न होने के कारण इसका भुगतान नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव शुक्लागंज में विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही

74–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में स्थापित उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के गठन के समय क्या महायोजना के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र का आंकलन किया गया था ? यदि हां, तो बिना नक्शा पास निर्माणों के लिये दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 7-12-83 को हुआ था तथा इसके पश्चात् महायोजना 3 जून, 1988 को लागू हुई थी । निर्मित क्षेत्र का आंकलन वर्ष 1994 को किया गया था । बोर्ड द्वारा 12-4-96 की बैठक में अनुमोदन किया गया । प्राधिकरण के गठन के पश्चात् निर्मित तथा गैर निर्मित क्षेत्रों में किये गये अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

कस्बा खेकड़ा, मेरठ में दिल्ली सहारनपुर राजकीय राजमार्ग से कस्बे तक टूटे मार्गों को मरम्मत कराने की मांग

75–श्री रूप चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खेकड़ा (मेरठ) में दिल्ली सहारनपुर राजकीय राजमार्ग से कस्बे तक लगभग डेढ़ कि० मी० टूटे मार्ग की मरम्मत कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग में मात्र 670 मी० मार्ग क्षतिग्रस्त है जिसके मरम्मत की कार्यवाही प्रगति पर है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक परीक्षक इंदिरा भवन, लखनऊ के पत्र के अनुसार प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा लोहाघाट की जांच

76–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक परीक्षक, इंदिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 174/सी०टी०ई०/23 पी० डब्लू-51 कम्प्लेन्ट/96/97 दिनांक 29 अप्रैल, 1997 की सूचनानुसार प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा 14/15-5-97 को लोहाघाट में जांच की गयी ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में दिये गये पैरावाइज शिकायतों का क्या परिणाम पाया गया ? क्या आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा पूर्ण की जा रही है ।

उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत स्टेनोग्राफरों के वेतनमान के संशोधन का मामला

77–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत स्टेनोग्राफरों के वेतनमान रु० 1640–2900 संशोधित करने हेतु शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो अभी तक कर्मचारियों को उक्त वेतनमान का लाभ न मिलने का क्या कारण है ? उक्त प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है और क्यों ? क्या उक्त संशोधित वेतनमान शीघ्र जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है । सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

अम्बेडकर नगर में उ० प्र० के जल निगम, द्वारा फैजाबाद में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में फिल्ट्रेशन प्लान्ट में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत

78–श्री शेर बहादुर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28-2-97 को पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली, अम्बेडकरनगर ने एक शिकायती पत्र उ० प्र० शासन को उ० प्र० के जल निगम निर्माण व डिजाइन सेक्शन की इकाई द्वारा उक्त जनपद में निर्माणाधीन स्टेडियम व जनपद फैजाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माणाधीन फिल्ट्रेशन प्लान्ट में भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा था जिसकी प्रति अध्यक्ष जल निगम को भी दी है ? यदि हां, तो संबंधित पत्र में क्या शिकायत है ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त फिल्ट्रेशन का ठेका पूर्व में 33 लाख में स्वीकृत किया गया था जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा निरस्त कर 19 लाख कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं, किन्तु श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र दिनांक 12-3-97 प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हीं शिकायतों का ही उल्लेख किया गया है, जो प्रश्न में इंगित हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं । अम्बेडकर नगर में स्टेडियम के फिल्ट्रेशन प्लान्ट का रु० 33.00 लाख का ठेका विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ । श्री ओंकार नाथ मेहरोत्रा, परियोजना प्रबन्धक द्वारा रु० 24.74 लाख का फिल्ट्रेशन प्लान्ट से सम्बन्धित आंशिक कार्यों का आदेश दिनांक 10-9-1996 को स्वीकृत किया गया था। विशिष्टियों एवं विभिन्न सामग्रियों की मात्रा में पुनरीक्षण के कारण सम्बन्धित वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा इसे निरस्त करने के आदेशों के अनुपालन में श्री मेहरोत्रा द्वारा ठेका निरस्त कर दिया गया । इसके बाद पुनरीक्षित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महाप्रबन्धक (पर्या०) के निर्देशों के अनुसार पुनः कुटेशन आमंत्रित किये गये । इस बीच श्री ओ० एन० मेहरोत्रा का स्थानान्तरण हो गया, दिनांक 15-2-97 को कार्यमुक्त हो गये । उनके स्थानान्तरण के बाद इनके प्रतिस्थानी द्वारा पुनरीक्षित स्पेशिफिकेशन्स एवं मात्राओं के प्लान्ट एवं सम्बन्धित कार्यों का ठेका रु० 19.97 लाख में दिनांक 3-5-97 को दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री शेर बहादुर–

[दिनांक 17-7-97 को अता० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

लालगंज, आजमगढ़ में बालिका हाईस्कूल खोले जाने की मांग

80–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालगंज, आजमगढ़ में बालिका हाई स्कूल खोलना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक स्थापित कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो के ग्राम बघैया कमालपुर प्रा० पा० के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने का मामला

81–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो के ग्राम बघैया कमालपुर प्रा० पा० का निर्माण कब किस एजेन्सी द्वारा कराया गया है ? क्या इस विद्यालय का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? इस अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण वर्ष 1995-96 में जनपद स्तर पर विकास खण्ड के अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया गया ।

भवन का निर्माण करा लिया गया है केवल फर्श निर्माण तथा खिड़की एवं दरवाजे के पल्ले लगाने का कार्य शेष है । निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत फर्श निर्माण का कार्य तथा खिड़की एवं दरवाजे के पल्ले लगाने का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका । उक्त अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है । शीघ्र ही अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर गांव बसहिया विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती की सड़क निर्माण को पूर्ण किये जाने का मामला

82–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर गांव बसहिया, विकास खण्ड रुधौली (जनपद बस्ती) के सड़क निर्माण का कार्य आबादी से लगभग 500 मीटर पहले ही रोक दिया गया है ? यदि हां, तो आबादी तक सड़क निर्माण कराने हेतु आदेश करने तथा दोषी अधिकारी को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग पर 180 मीटर की लम्बाई में भू-स्वामियों की आपत्ति के कारण कार्य अवरुद्ध है ।

भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दि पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट के अधीन रा० मा० से अतिक्रमण हटाने/भूमि अध्याप्ति कार्यवाही हेतु स्टेट आफीसरों की तैनाती की जानकारी

83-श्री रामपाल राजवंशी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दि पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट, 1971 के अधीन रा० मा० से अतिक्र मण हटाने/भूमि अध्याप्ति आदि की कार्यवाही के लिये लो० नि० वि० में स्टेट आफीसर के 5 पदों का सृजन 18 नवम्बर, 1987 को शासन ने किया था ? यदि हां, तो इन पदों पर अब तक किन-किन स्टेट आफीसरों की तैनाती की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

स्टेट आफीसर के पदों पर अब तक किसी की तैनाती नहीं की गयी ।

इन पदों के लिये पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की कमी के कारण

लखनऊ विकास प्राधिकरण, सीतापुर रोड, के अन्तर्गत साइट एक्ट सर्विसेज भू-खण्ड के लिये अधिग्रहण करके किसानों का मुआवजा का मामला

84-श्री रामपाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत साइट एक्ट सर्विसेज भू-खण्ड के लिये भूमि का अधिग्रहण करके किसानों को मुआवजा वितरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दिनांक 17-8-1988 से 30-9-1988 के मध्य पंजीकृत आवेदकों के पक्ष में लाटरी के आधार पर भूखण्ड आवंटन करके लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ कब तक रजिस्ट्री करवा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों की लगभग 1527 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1981 में किया गया था तथा अभिनिर्णय वर्ष 1986 में घोषित किया जा चुका है । अभिनिर्णीत वांछित धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जा चुकी है । साइट एण्ड सर्विसेज के अन्तर्गत आने वाली आंशिक भूमि खसरा संख्या 38 व 42 का भुगतान कुछ किसानों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है । संबंधित कृषकों को नोटिस विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दी जा चुकी है ।

दिनांक 17-8-88 से दिनांक 30-9-88 के मध्य 1330 पंजीकृत कुल आवेदक थे जिनके मध्य दिनांक 17-6-89 को लाटरी डाल कर 400 लोगों को भूखण्ड का आवंटन कर दिया गया है । जिन क्रेताओं द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा दी जाती है उन्हें निबन्धन करके कब्जा दे दिया जाता है । हाल ही में प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में निबन्धन करवाने के लिये विशेष कैम्प भी लगाये थे ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत विभव खण्ड में आवंटियों की सूची

85–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 4/79 से 4/85 विभव खण्ड किसके-किसके नाम पर आवंटित हुए हैं ? प्रत्येक आवंटियों ने किन-किन तिथियों में कितना-कितना रुपया जमा किया है और

कितना रुपया जमा किया जाना अवशेष है ? आवंटियों के पक्ष में कब तक भूखण्डों की रजिस्ट्री करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–4/75 से 4/85 विभव खण्ड के आवंटियों की सूची संलग्न है ।

संलग्न सूची में विवरण अंकित है ।

गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत विभव खण्ड में किसानों का प्रतिरोध होने के कारण विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है । स्थल पर किसानों का प्रतिरोध समाप्त होते ही विकास कार्य पूर्ण कराके जिन आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी है, के पक्ष में रजिस्ट्री कराई जा सकेगी ।

(सूची देखिये नत्थी 'झ' आगी पृष्ठ 156–158 पर)

86–श्री रामपाल राजवंशी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनियों में सड़क बनाये जाने की सरकार की योजना

87–श्री रामपाल राजवंशी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनियों में सड़क बनाने के लिये शासन के आदेश हैं ? यदि नहीं, तो क्या लखनऊ में रवीन्द्र पल्ली के कि०मी० । में मिक्स सील द्वारा मार्च, 95 में कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो इस शासकीय हानि के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार लखनऊ की अन्य प्राइवेट आवासीय कालोनियों में भी सड़क बनाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

इस संबंध में कोई सामान्य निर्देश नहीं है ।

जी हां । यह कार्य शासन द्वारा स्वीकृत था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

88–श्री राम औतार शाक्य–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

89–श्री राम औतार शाक्य–

[तीसरे सोम में अता० प्र० सं० 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुखलिसपुर के पास कुआनो नदी पर पुल निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

90–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जिले में मुखलिसपुर के पास कुआनो नदी पर पुल का निर्माण कार्य 1965 में हुआ था ? यदि हां, तो कितनी लागत उक्त पुल में लगी ? टोल टैक्स के माध्यम से विभाग ने मई, 1997 तक कितना रुपया वसूल किया ? क्या यह सही है कि लागत से अधिक धन वसूल किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार टोल टैक्स समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । बस्ती जिले में मुखलिसपुर के पास कुआनो नदी पर पुल का निर्माण वर्ष 1963 में हुआ था ।

रु० 6.12 लाख ।

रु० 26.17 लाख ।

जी हां ।

जी नहीं ।

किसी पुल पर पथकर का उदग्रहण उस समय तक जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, कुल व्यय पर ब्याज एवं पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय अथवा उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 (पचास) वर्ष की अवधि जो भी पहले हो किया जाता है ।

91–श्री छोटे लाल–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत परिषद् उ० प्र० में वित्तीय व्यय का मदवार विवरण दिये जाने की मांग

92–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री विद्या सागर गुप्त तथा श्री बाबूराम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तृतीय शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 43 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 150 करोड़ रुपये वित्तीय व्यय का मदवार विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय सचिवालय के अधिकारियों ने आंकड़ों में हेराफेरी की है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मा० सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल का पत्र एवं अधिभार (अनुमानित) लगाने की दर में एकरूपता लाने की मांग

93–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री बाबूराम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या 155 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्र दिनांक 30-5-94 को गायब करने एवं सदन को गलत उत्तर देने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत उपभोक्ताओं से अधिभार परिषद् के किस आदेश के तहत लिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि पहले अनुमानित अधिभार लगाकर उपभोक्ताओं को भेजा जाता है तथा बाद में उसे कम कर दिया जाता है अथवा माफ कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–155 में वर्णित माननीय श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 30-5-94 गायब नहीं हुआ था, अपितु दिनांक 10-6-94 को आवश्यक कार्यवाही हेतु इसे संबंधित मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र को भेज दिया गया था । अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह गायब नहीं किया गया था और न ही सदन को गलत उत्तर देने का उद्देश्य ही था तथा पत्र की अनुपलब्धता दर्शाये जाने के लिये राज्य विद्युत परिषद् के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को सचेत किया गया है ।

उपभोक्ताओं से परिषद् की दर सूची की अधिसूचना संख्या 8–एच सी/राविप-पांच–1974-1204-सी/97, दिनांक 3 जनवरी, 1997 द्वारा वर्तमान में अधिभार लिया जाता है ।

जी हां। सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त दर सूची के अनुसार ही अधिभार की वसूली की कार्यवाही की जाती है जो पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों को विशेष भत्ता, वाहन भत्ता आदि सुविधाओं को दिये जाने का मामला

94–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री बाबूराम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या 7 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जिन चार सुविधाओं को पूरे राज्य विद्युत परिषद् में दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त अन्य दो विशेष सुविधाओं यथा विशेष भत्ता एवं वाहन भत्ता का जिक्र न करने का क्या कारण था ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–7 सुविधाओं के बारे में पूछा गया था अतः उसके उत्तर में अनुमन्य की जा रही सुविधाओं मात्र का ही उल्लेख किया गया था। विशेष भत्ता एवं वाहन भत्ता, सुविधायें नहीं अपितु भत्ते हैं, इसी कारण उनका उल्लेख उत्तर में नहीं किया गया था।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, लेसू, लखनऊ के अधीन हुए घोटाला के संबंध में मा० सांसद का पत्र एवं कृत कार्यवाही की मांग

95–श्री बाबूराम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के अधीन ही एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व घोटाला किये जाने के संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 16-12-96 जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर पालिका परिषद् अयोध्या, जिला फैजाबाद के कर्मियों के पिछले माहों के बकाये वेतन को दिलाये जाने की मांग

96–श्री बाबू राम–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् अयोध्या, जिला फैजाबाद के सफाई कर्मचारियों सहित अन्य का कुल कितने माह का वेतन नहीं दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि पिछले 19 माह का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिला कोषागार से कर्मचारियों का वेतन अंशदान प्रतिमाह प्राप्त कर लिया गया है ? क्या इस संबंध में उ० प्र० स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, शाखा अयोध्या एवं जलकल कर्मचारी संघ उ० प्र० शाखा, अयोध्या (फैजाबाद) का पत्र दिनांक

20-1-97 एवं 20-2-97 जो कि मंडलायुक्त, फैजाबाद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पालिका परिषद् अयोध्या के कर्मियों का 18 माह का वेतन बकाया है । (जून, 1997 तक)

19 माह का वेतन नहीं । केवल 18 माह का वेतन अवशेष है । वेतन का नियमित भुगतान नगर पालिका परिषद् अयोध्या की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं हो पा रहा है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा इन पत्रों के सन्दर्भ में मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद से जांच कराई गयी तथा जांचोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु उनके द्वारा नगर पालिका परिषद्, अयोध्या को निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

वर्ष 1993 में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, पौड़ी तथा नैनीताल द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्ति किये जाने का मामला

97–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1993 में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, पौड़ी तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, नैनीताल द्वारा सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के कितने पद (प्रत्येक मण्डल में) किस-किस विषय के विज्ञापित किये गये थे ? प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उनसे शुल्क के रूप में कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई ? प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अभिमुख्य (अगेन्स्ट) कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर निगम लखनऊ के कर्मचारियों को भवन कर सीवर व जलकर में छूट दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जाने की मांग

98–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, लखनऊ की दिनांक 20-6-92 की सामान्य बैठक में यह निर्णय हुआ था कि महापालिका के कर्मचारियों को भवन कर, सीवर व जल कर में छूट दी जायेगी ? यदि हां,तो शासनादेश कब निर्गत हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भवन कर, सीवर कर व जल कर में कोई छूट दिये जाने की शासन की नीति नहीं है, अतः शासनादेश निर्गत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में नगरपालिका गेट से पीपल चौराहा होते हुए कन्नौज मार्ग तक सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

99–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में नगरपालिका गेट से पीपल चौराहा होते हुए कन्नौज मार्ग तक की सड़क की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई है ? क्या सरकार उक्त मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई मुख्यालय में बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना की मांग

100–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई मुख्यालय से बिलग्राम तहसील मुख्यालय हरदोई की दूरी लगभग 30 कि०मी० है और तहसील मुख्यालय के आसपास 5-6 इण्टर कालेज होने के बावजूद भी कोई डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र-छात्राओं को लम्बी दूरी 70 कि०मी० तक तय करके स्नातक शिक्षा के लिये जनपद मुख्यालय हरदोई आना पड़ता है ? क्या यह सही है कि उक्त मुख्यालय पर डिग्री कालेज न होने से छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थित को देखते हुए सरकार विलग्राम मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हरदोई की बिलग्राम तहसील जनपद मुख्यालय से 27 कि०मी० दूरी पर है । वर्तमान में तहसील के आस पास दो इण्टर कालेज हैं । बिलग्राम तहसील मुख्यालय की 50 कि०मी० की परिधि में 5 महाविद्यालय स्थापित हैं ।

उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए बिलग्राम मुख्यालय पर शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अम्बेडकर पार्क, गोमती नगर, लखनऊ के निर्माण में आय-व्ययक का विवरण

101–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर पार्क, गोमती नगर, लखनऊ की प्रस्तावित निर्माण लागत क्या है और इसके निर्माण पर धन आय-व्ययक के किस लेखा शीर्षक से व्यय किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि अन्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों हेतु स्वीकृत फण्ड को भी इस पार्क के निर्माण में खर्च किया गया है ? क्या यह सत्य है कि पार्क हेतु अधिग्रहीत भूमि को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

गोमती नगर लखनऊ में निर्माणाधीन अम्बेडकर उद्यान के निर्माण पर रुपये 2164.00 लाख का व्यय अनुमानित है । इस निर्माण पर धन आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "2217–शहरी विकास–आयोजनागत–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता–05–विकास प्राधिकरणों के कार्यालय भवनों, सामुदायिक केन्द्रों तथा पार्कों के निर्माण सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" से व्यय किया जा रहा है । राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि प्रथमतः "8000–आकस्मिकता निधि" से तथा अन्ततः उपरोक्त उल्लिखित लेखा शीर्षक में डाली जायेगी ।

जी नहीं ।

मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम/परिषद् द्वारा निर्बल आय वाले नागरिकों हेतु आवासीय योजना की जानकारी की मांग

102–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम/परिषद् द्वारा निर्बल आय वाले नागरिकों के लिये कोई आवासीय योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उस पर निर्बल आय धारकों द्वारा कितना धन व्यय करने पर आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा ? क्या स्वच्छता के दृष्टिकोण से शुष्क पड़े शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन उस पर कितना व्यय प्रति शौचालय करेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर परिषद् देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड की नालों की सफाई करने तथा विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी

103–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर परिषद् देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड के बड़े नालों की सफाई नहीं करायी गयी है जिससे गम्भीर संक्रामक रोग फैलने की आशंका है ? यदि हां, तो इसकी नियमित सफाई के लिये शासन क्या उपाय कर रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी नगर परिषद्, देवरिया में कार्यरत हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद्, देवरिया में विभिन्न श्रेणी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :––

(1) श्रेणी–1 (समूह क)
(2) श्रेणी–2 (समूह ख)
(3) श्रेणी–3 (समूह ग)
(4) श्रेणी–4 (समूह घ)
सफाई कर्मचारी

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों पर रेड मानिटरिंग यूनिट द्वारा मारे गये छापों की जानकारी

104–श्री बाबू राम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कितने रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेस हैं ? कितने औद्योगिक संस्थानों पर रेड मानिटरिंग यूनिट द्वारा जनवरी, 1994 से अगस्त, 1996 तक छापे मारे गये ? छापे के बाद कितना अतिरिक्त लोड स्वीकृत किया गया ? कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया है ? उनके नाम, पदनाम व तैनाती स्थान एवं पुनः बहाल की तिथि क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रोलिंग/आर्क एवं इन्डक्शन फर्नेश के उपभोक्ताओं के संस्थानों पर प्रश्नगत अवधि में 27 छापे रेड यूनिट (रेड मानिटरिंग यूनिट) द्वारा डाले गये। मारे गये छापों की सूची संलग्नक–1 पर संलग्न है। छापे डालने के उपरान्त इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल 10200 के० वी० ए० का अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त अवधि में डाले गये छापों के विरुद्ध निलम्बित किये गये अधिकारियों की संख्या 13 है।

सूचना संलग्नक–2 पर संलग्न है।

(सूचना हेतु संलग्नक–1 एवं 2 देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 159 पर)

जनपद गोरखपुर में रोलिंग मिल एवं स्टील प्लान्ट्स की संख्या तथा रेड रेवन्यू मानिटरिंग यूनिट द्वारा छापा तथा उसकी रिपोर्ट

105–श्री बाबू राम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर में कुल कितने रोलिंग मिल एवं स्टील प्लान्ट्स हैं तथा कितना-कितना लोड कब तक स्वीकृत किया गया ? परिषद् के रेड मानिटरिंग यूनिट द्वारा वर्ष 1995 एवं 1996 में उन मिलों पर कब-कब छापे डाले गये ? क्या इस संबंध में कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 31-3-96 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

सुश्री मायावती–

जनपद गोरखपुर में रोलिंग मिल एवं स्टील प्लान्ट्स की संख्या 9 (नौ) है, इन इकाइयों की सूची वर्तमान स्वीकृत भार सहित संलग्नक–1 पर संलग्न है। इन इकाइयों को कितना-कितना लोड कब-कब स्वीकृत किया गया इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

वर्ष 1995 एवं वर्ष 1996 में इन इकाइयों पर परिषद् की रेड रेवन्यू मानिटरिंग यूनिट द्वारा कोई छापा नहीं डाला गया। जी हां, प्राप्त हुआ है लेकिन सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसके लिये जांचोपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 160 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशेष एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु अपनायी गयी नीति की जानकारी

106–श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री बाबू राम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशेष एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रेप सम्मिलित) सामग्री का निस्तारण के लिये क्या नीति अपनाई गयी है ? पिछले तीन वर्षों में निस्तारण से खण्डवार कुल कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या यह सत्य है कि सामग्री के निस्तारण में जो धन प्राप्त हुआ है, उसको अन्य मदों में व्यय किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में उपलब्ध अधिशेष एवं निष्प्रयोज्य (स्क्रेप सम्मिलित) सामग्री का निस्तारण के लिये निम्न नीति अपनाई गयी है :—

(1) वितरण स्कन्ध–भण्डार संगठन के माध्यम से खुली नीलामी द्वारा पूर्व प्रचारित स्थान एवं तिथि पर।

(2) उत्पादन परियोजनाओं, पारेषण स्कन्ध एवं केसा–विभिन्न क्रय समितियों द्वारा उनके वित्तीय अधिकार के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण खुली निविदा द्वारा कराया जाता है।

(3) परिषद् द्वारा स्थायी रूप से बन्द कर दिये गये दस लघु ताप विद्युत गृह के संयंत्रों एवं उपकरणों तथा निष्प्रयोज्य डीजल जेनरेटिंग सेट्स/डीसी करवर्टर सेट्स के निस्तारण का कार्य भी खुली निविदा द्वारा कराया जाता है।

(4) वर्तमान में परिषद् में समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण भारत सरकार के उपक्रम में एम एस टी सी लि० नई दिल्ली के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

सूची संलग्न है।

सामग्री निस्तारण से प्राप्त धन का व्यय परिषद् में समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 153-154 पर)

जिला साक्षरता समितियों द्वारा मानदेय पर नियुक्त किये गये कर्मचारी को राजकीय विभागों में समायोजित करने की मांग

107-श्री चन्द्र किशोर-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (संचालित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार) के अन्तर्गत जिला साक्षरता समितियों द्वारा मानदेय पर नियुक्त किये गये कर्मचारी तथा नवयुवक लिपिक, टंकक एवं परिचारकों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त उक्त कर्मचारियों को राजकीय विभागों में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या इन मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों को राजकीय विभागों में होने वाली नियुक्तियों में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जायेगी? यदि हां, तो इसका शासनादेश कब तक जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला साक्षरता समितियों द्वारा मानदेय पर नियुक्त विभिन्न स्तर के कर्मचारियों का चयन अन्य सरकारी अधिष्ठानों में सेवारत कर्मचारियों के समान सेवायोजन में निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना आवश्यक नहीं है तथा इन कर्मचारियों को राजकीय सेवा में प्राथमिकता देने से अन्य सरकारी विभागों में इसी स्तर पर तैनात कई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग उठेगी, जिसे पूरा कर पाना सम्भव नहीं है।

जनपद आगरा में फतेहाबाद में प्रस्तावित डोकी व आगरा उपकेन्द्र विद्युत बनाये जाने की मांग

108-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 3 नवम्बर, 1996 को आगरा जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में प्रस्ताविक डोकी व आगरा में उपकेन्द्र (विद्युत) बनाये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती-

इस विषय पर श्री विजय पाल सिंह विधायक का प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित दिनांक रहित पत्र नवम्बर, 1996 में प्राप्त हुआ था। इस पत्र में जनपद आगरा की फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में डोकी एवं मझरा में 33/11 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण का उल्लेख है।

(I) ताज ट्रिपेजियम की अनुपूरक योजना में डोकी/धमंडा में रु० 74.0 लाख की लागत का 1×3 एम० वी० ए० 33/11 केवी० उपकेन्द्र से निर्माण कार्य का प्रस्ताव सम्मिलित है ।

(II) मझारा में वर्तमान में 33/11 केवी० उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । वर्तमान में मझारा की विद्युत आपूर्ति 11 के०वी० मझारा फीडर के माध्यम से 33/11 केवी० धिमश्री उपकेन्द्र से की जा रही है क्योंकि क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 33/11 केवी० धिमश्री उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 2×3 एम० वी० ए० से 5×3 एम वी ए की जा चुकी है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विद्युतीकरण कराये जाने का मामला

109–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनका ऊर्जीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? क्या सरकार सर्वे करवाकर उन गांवों का ऊर्जीकरण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गोण्डा जनपद के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत 149 ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ।

उपरोक्त में से वित्तीय वर्ष 1997-98 में 12 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शेष ग्रामों हेतु शासन की नीति के अनुसार जिलाधिकारियों द्वारा चयनित किये जाने पर एवं समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा । परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

डी-ब्लाक इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थित कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर फ्लेक्चुयेशन एवं लो-वोल्टेज की समस्या का निदान करने की मांग

110–श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा श्री दया शंकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1993 के तीसरे शुक्र के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत विषय से संबंधित डी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थित कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर कई फैब्रिकेटरों को घरेलू लाइन से विद्युत कनेक्शन दिया गया है जिससे इस क्षेत्र के सैकड़ों घरेलू उपभोक्ताओं के यहां लगातार हैवी फ्लक्चुयेशन (उतार-चढ़ाव) एवं लो-वोल्टेज की समस्या अभी भी बनी हुई है ? क्या मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रश्न का सही उत्तर न देने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? फ्लक्चुयेशन एवं लो-वोल्टेज की समस्या का निदान कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । इस क्षेत्र में हैवी फ्लेक्चुयेशन की समस्या नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–105 का उत्तर सही दिया गया था ।

डी-ब्लाक, इन्दिरानगर, लखनऊ में लो-वोल्टेज अथवा हैवी वोल्टेज फ्लेक्चुयेशन की समस्या नहीं है ।

श्री आशलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपरपुर, सुल्तानपुर की आडिट रिपोर्ट की आपत्तियां

111–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आशलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीरपुर, सुल्तानपुर की स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा कार्यालय, सुल्तानपुर की वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 की आडिट रिपोर्ट की आपत्तियां क्या-क्या हैं ? क्या सरकार ने उक्त आडिट रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

प्रश्नगत विद्यालय की वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 की आडिट रिपोर्ट में निम्न आपत्तियां उठायी गयी हैं :––

1–संदान निधि में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन न जमा करना ।

2–राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, वेतन, क्षतिपूर्ति, पेंशन आदि के अतिरिक्त कोई अनुदान प्राप्त न होने की पुष्टि करना ।

3–शुल्क मुक्ति छात्रों से महंगाई शुल्क कम लिया जाना ।

4–छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान किया जाना ।

5–गृह किराया भत्ता का अधिक भुगतान संभावित होना ।

6–अनियमित वेतन भुगतान किया जाना ।

7–अध्यापकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करना ।

8–भविष्य निधि लेखों का सत्यापन न होना ।

उक्त आडिट आपत्तियों के क्रमांक–6 को छोड़ कर शेष आपत्तियों का निराकरण कराया जा चुका है । क्रमांक–6 की आपति की जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

मिर्जापुर जनपद के धौरहरा भझरा, भोगांव खजुआ में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

112–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद में धौरहरा भझरा, भोगांव खजुआ में 93-94 में विद्युतीकरण हेतु पूर्वांचल विकास निधि से धन दिया गया था ? क्या अभी तक कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मिर्जापुर जनपद के ग्राम मझरा के विद्युतीकरण हेतु पूर्वांचल विकास निगम से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है । ग्राम धौरहरा, भोगांव एवं खुतुआ के विद्युतीकरण हेतु पूर्वांचल विकास निधि द्वारा दिनांक 5-5-95 को धन उपलब्ध कराया गया ।

उपरोक्त तीनों ग्रामों का विद्युतीकरण दिनांक 23-7-97 को पूर्ण कर दिया गया है । ग्राम भझरा का पूर्वांचल विकास निधि से धन प्राप्त न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला आजमगढ़ के लालगंज में बाईपास मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजा के भुगतान का मामला

113-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला आजमगढ़ के लालगंज बाजार में बाई पास मार्ग के निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि के मुआवजा का पूर्ण भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

यथाशीघ्र भुगतान किया जायेगा ।

जिला आजमगढ़ के ग्राम पकड़ी डुभाव, ब्लाक तरवा में भगवान वाराह स्थल को विकसित करने की मांग

114-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराह भगवान स्थल ग्राम पकड़ी डुभांव, ब्लाक तरवा, जिला-आजमगढ़ को जहां दक्षिण भारत के यात्री दर्शन करने आते हैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का क्या स्वरूप है ? उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997-98 के परिव्यय के अन्तर्गत उक्त स्थल के विकास का कार्य जिला-राज्य योजना में सम्मिलित नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज बाजार बाई पास मार्ग के निर्माण को पूर्ण किये जाने की मांग

115-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज बाजार बाई पास मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र-

मार्ग हल्के वाहनों हेतु चालू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

। दूसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड खेसरहा में 33/11 केवी० ए० के एक सब स्टेशन के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराने की मांग

117-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा में 33/11 केवी० ए० का एक सब स्टेशन निर्माणाधीन है जिसमें सभी कार्य लगभग पूरे हो गये हैं, केवल कन्डक्टर के अभाव में सब स्टेशन तैयार नहीं हो पा रहा है जिससे लगभग 50 किमी० की लाइन पर अत्यधिक प्रेषण ह्रास के कारण न तो किसानों को सही बोल्टेज मिल पा रहा है और न ही शासन द्वारा ग्रामीण अंचल को विद्युत आपूर्ति के आदेशों का अनुपालन हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कन्डक्टर की आपूर्ति कराकर इस सब स्टेशन को चालू करने हेतु आदेशित करने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी हां

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा में 33/11 केवी० ए० का उपकेन्द्र निर्माणाधीन है । इस उपकेन्द्र के शेष कार्य वर्ष 1997-98 के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं । कन्डक्टर की वांछित मात्रा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ के छटनीशुदा अधिकारियों/कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग

118–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ के छटनी शुदा अधिकारी, कर्मचारी वर्ग के लोगों को अभी तक समायोजित नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि इस विषय में श्री अनुकूल प्रकाश तथा अन्य ने उ० प्र० सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में रिट पिटीशन 502 एस० बी० आफ 1995 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, उ० प्र० को दिनांक 22-2-96 को कुछ निर्देश दिये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उ० प्र० सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल रिट पिटीशन दायर किया था जो दिनांक 17-3-97 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन मुख्य सचिव उ० प्र० द्वारा अब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम रेवना विकास खण्ड हरिंगटनगंज में विद्युतीकरण में हो रहे विलम्ब के कारणों की जानकारी

119–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चयनित ग्राम रेवना, विकास खण्ड हरिंगटनगंज जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? इसके लिये कौन लोग दोषी है ?

सुश्री मायावती–

ग्राम रेवना, विकास खंड हरिगंटनगंज जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण हेतु चयन वर्ष 1996-97 में किया गया था । इस गांव के विद्युतीकरण के लिये पी०सी०सी० पोल माह मार्च, 1997 में भेजे गये थे जिनको समीप के गांव सिधौरा के वासियों ने जबरदस्ती उठा लिया था । इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26-3-97 को थाना मिल्कीपुर (इनायत नगर) में कर दी गयी है ।

इसके लिये ग्राम सिधौरा के निवासीगण दोषी हैं जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

120–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मैसर्स नोयडा पावर कम्पनी लि० से हुए विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी अनुबन्धों की जानकारी

121–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री लल्लू सिंह, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री बाबू राम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मेसर्स नोयडा पावर कम्पनी लि०से विद्युत आपूर्ति संबंधी कोई अनुबंध किया गया था ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या थी ? परिषद् द्वारा नोयडा कम्पनी को किस दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? दिसम्बर, 1993 से अब तक कुल कितना भुगतान नोयडा को करना है ? नोयडा कम्पनी के कुल कितना भुगतान किस आधार पर किया है ? समझौता के मुताबिक कार्य न करने के कारण क्या शासन समझौता रद्द करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी-धानी मार्ग के मुआवजा का भुगतान

122–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 174–बांसी, जनपद–सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत, बांसी-धानी मार्ग का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ? क्या मंत्री जी बांसी-धानी मार्ग का मुआवजा इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उक्त मार्ग पर अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन में ड्राफ्ट्समैन (यांत्रिक) के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला

123–श्री झब्बू पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन में ड्राफ्ट्समैन (यांत्रिक) के कुल पद रिक्त हैं, उनमें अनारक्षित पदों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार इन अनारक्षित पदों पर विभाग में अप्रेंटिस (ड्राफ्ट्समैन-यांत्रिक) किये हुए व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् उ०प्र० में लिपिक के कुल कितने पद रिक्त हैं, जिसमें अनारक्षित पदों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार इन अनारक्षित पदों पर विभाग में अप्रेन्टिस किये हुए व्यक्तियों को भविष्य में नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन में ड्राफ्ट्समैन (यांत्रिक) के कुल 04 पद रिक्त हैं ।

01 (एक)

जी नहीं । एक रिक्त पद पर विभागीय चयन समिति द्वारा ट्रेसर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियन्ता संवर्ग के लिपिक के कुल 119 पद रिक्त हैं ।

39 (उन्तालिस)

वर्तमान में परिषद् में अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध है । भविष्य में परिषद् की आवश्यकतानुसार अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने की दशा में अप्रेंटिस किये व्यक्तियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्ष 1995 में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनियमित ढंग से नियुक्तियों का मामला

124–श्री छब्बू पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्ष 1995 में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनियमित ढंग से नियुक्तियां की गयी थी, जिसके संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ? क्या जांच की कार्यवाही पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्ष 1995 में तृतीय श्रेणी के 49 पदों पर नियुक्तियां की गयी थीं । इन नियुक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ।

जी, हां ।

जांच आख्या की प्रति संलग्न है । † दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु कोई नियमावली उपलब्ध न होने के कारण इनका विनियमितीकरण संभव नहीं है ।

जिलाधिकारी देवरिया द्वारा शासन से जारी मार्ग निर्देशों की कथित अवहेलना

125–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में जिला योजनाओं के लिये मार्ग निर्देशक जारी किये गये थे ? यदि हां, तो वह मार्ग निर्देश क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद देवरिया में बिना जिला अनुश्रवण समिति की बैठक और सहमति प्राप्त किये जिलाधिकारी ने मनमाने ढंग से शासन द्वारा जारी मार्ग निर्देशों का अवहेलना करके सिर्फ अम्बेडकर गांवों के लिये प्रस्ताव भेज दिये जिसमें छटी कड़ियां, नवीन मार्ग तथा पुराने खड़ंजे स्तर के मार्गों पर धन मिलना कठिन हो गया है और जनपद का समन्वित विकास ठप्प है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग निर्देशों के अनुरूप जिला अनुश्रवण समिति में विचारार्थ उक्त प्रस्ताव को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मार्ग निर्देश शासनादेश संख्या–1600ई/23–लो०नि०–11–71ई/96, दिनांक 2-7-96 द्वारा जारी किये गये हैं ।

जी नहीं ,

जिला अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त ही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । अतः समन्वित विकास नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

वाराणसी जल संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जलकर में की गई वृद्धि

126–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन गजट सं० 2103/9-2-94-57 (106)–91 दिनांक 24 नवम्बर, 1994 वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी सं० 1574/11 ज० सं० (94-95) दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 के अधिनियम की धारा 7 द्वारा जल मूल्य तथा जलकर में प्रतिवर्ष 15 प्र० श० की वृद्धि लागू की है, जो बिना किसी अनुमोदन के प्रतिवर्ष स्वतः प्रभावी होगी ? क्या उक्त बढ़ोत्तरी से जनमानस अत्यधिक प्रभावित है ? क्या उक्त बढ़ोत्तरी को समाप्त किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 11-6-97 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उक्त वृद्धि प्रतिवर्ष महंगाई, वेतन वृद्धि, पेयजल शुद्ध करने में प्रयुक्त सामग्री में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त की गयी है अतएव प्रश्नगत पत्र पर विचार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ जिले के आलमबाग पुलियाना क्षेत्र में सीवर लाइन बनाये जाने की मांग

127–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जिले के मुहल्ला आलमबाग, पुलियाना के मकान नं०–551 ख/35 से मकान नं०–551 ख/40 तक के सामने सीवर लाइन नहीं पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकानों को भी सीवर लाइन से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

चूंकि उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन ही नहीं है । अतः उक्त मकानों को सीवर लाइन से जोड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पालेश्वरी देवी स्थल, पलहना जिला आजमगढ़ तीर्थ स्थल को विकसित करने की मांग

128–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालेश्वरी देवी स्थल, पलहना जिला आजमगढ़ को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई स्थित नीलमपुर से बम्टापुर के कतिपय गांवों में मार्ग निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

129–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4391 ई/23/लो० नि०–11-86 ई/94, दिनांक 29-11-94 द्वारा जनपद हरदोई स्थित नीलम पुल से बम्टापुर, चिल्लौर, पलिया से बेड़ी जोर वाया किरतियापुर, खरगपुर तिराहा से बड़ागांव, खरगपुर तिराहा से ऊंचागांव खरगपुर तिराहा से खद्दीपुर राजासाहब वाया शेखपुर नगरिया की सड़कों के निर्माण हेतु अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? उक्त सड़कों के अभी तक निर्मित न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब आवश्यक धनराशि जारी करके उक्त सड़कों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्णित शासनादेश द्वारा इन कार्यों पर धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी ? शासनादेश संख्या–3160ई/23–लो० नि०–11–86 ई/94, दिनांक 19 सितम्बर, 94 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–56 ई/23-11-66 ई/94 दिनांक 1 फरवरी, 95 द्वारा प्रश्नगत मार्गों के निर्माण हेतु अनुमानित आगणन की लागत का 10 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गयी थी जिसकी स्थिति निम्नवत् है :–

1.	नीलमपुल से बम्टापुर चिल्लौर ।	2.30 लाख
2.	पलिया से बेड़ीजोर वाया किरतियापुर ।	3.00 लाख
3.	खरगपुर तिराहा से बड़ा गांव ।	1.70 लाख
4.	खरगपुर तिराहा से ऊंचागांव ।	3.00 लाख
5.	खरगपुर तिराहा से खद्दीपुर राजा साहब वाया शेखपुर नगरिया ।	3.00 लाख

सीमित संसाधनों के कारण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जिला उन्नाव में मौरावां सब स्टेशन से ग्राम सगौली में बिना प्राक्कलन बिना स्वीकृति के विद्युत लाइन बनाये जाने की शिकायत

130–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में मौरावां सब स्टेशन से ग्राम सगौली में बिना प्राक्कलन/बिना स्वीकृति के विद्युत खम्भे लगाने के प्रकरण पर पूर्व मंत्री श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश को मिलकर दिये गये शिकायती पत्र माह जून, 1997 की जांच किसने की ? क्या अनियमित लाइन बनाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन दोषी पाये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

तत्संबंधी तथाकथित शिकायती-पत्र दिनांक 14-6-97 राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता शाखा को जांच हेतु दिनांक 16-6-97 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भेज दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

उन्नाव जिले के ग्राम सगौली में बिना प्राक्कलन तथा बिना स्वीकृति के अनियमित लाइन लगाये जाने की शिकायत पर जांच

131–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के ग्राम सगौली में बिना किसी प्राक्कलन तथा बिना किसी स्वीकृति के विद्युत लाइन माह जनवरी/फरवरी, 1997 में बनाई गई थी ? क्या यह भी सच है कि उक्त अनियमित लाइन के तारा को एस० डी० ओ० (विद्युत) ने स्वयं ही हटवा दिया था ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता (सरकिल रायबरेली) ने पुलिस प्रवर्तन दल भेजकर भी जांच करवाई थी और क्षेत्र के एस० डी० ओ०/अवर अभियन्ता को दोषी पाया था । यदि हां, तो क्या उसी मोहल्ले के

अनेक दलित परिवार भी कनेक्शन लेने हेतु अपनी धनराशि जमा करने के बावजूद न तो रसीद पा सके हैं और न ही उन्हें कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

इस प्रकरण के संबंध में प्राप्त शिकायत पर परिषद् की सतर्कता शाखा के माध्यम से जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना के महाप्रबन्धक द्वारा कथित गबन की जांच

132–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री बाबू राम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना के महाप्रबन्धक श्री ओम शंकर आस्थाना एवं श्री केदार नाथ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति संबंधी श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल विधायक (पूर्व) का पत्र दिनांक 17-9-96 जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? परिषद् को हुई क्षति की वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त संदर्भित पत्र पर पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के माध्यम से जांच करायी जा रही है ।

मार्च, 1997 के बाद व्यवस्थापन के सभी देयकों के भुगतान अविलम्ब कराने की मांग

133–श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1997 के बाद व्यवस्थापन के सभी देयकों का भुगतान एक राजाज्ञा के तहत अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से हटाकर जनपद के जिलाधिकारियों/कोषाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया से कई जिलों के जूनियर इंजीनियर का वेतन आहरण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खण्डों में स्वीकृत पदों से ज्यादा जू० ई० कार्यरत हैं ? क्या इन जूनियर इंजीनियरों के वेतन आहरण न होने से इनके समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के समाधान हेतु सरकार कोई उपाय करेगी तथा दोषी जिलाधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार देवरिया जनपद में स्वीकृत संख्या से अधिक अवर अभियन्ता होने के कारण वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ।

जी हां ।

समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

अलीगढ़ में आवास विकास परिषद् की योजना संख्या 9 लोधी विहार में आवंटन तथा अवैध निर्माण का मामला

134–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में आवास विकास परिषद् की योजना संख्या 9 लोधी विहार में भूखण्ड संख्या–2ए/233 का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह आवंटन कब किया गया ? क्या इस भूखंड का "साइड प्लान" आवंटन के बाद आवंटी को दे

दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस भूखण्ड पर विभाग की साजिश से अवैध निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन दिनांक 20-2-06 को कर दिया गया था ।

जी नहीं । क्योंकि उक्त भूखण्ड पर आवंटन से पूर्व का अनधिकृत निर्माण है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के गृह जनपद में स्थानान्तरण के रोक को हटाये जाने की मांग

135–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के गृह जनपद में स्थानान्तरण के रोक को हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

शीघ्र निर्णय दिया जायेगा ।

उत्तराखण्ड/उत्तरांचल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 मई, 1991 से तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को तथा प्रधानाचार्यों के विनयमितीकरण किये जाने की मांग

136–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तराखण्ड/उत्तरांचल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 मई, 1991 से तदर्थ रूप से कार्यरत 450 शिक्षकों व 31 जुलाई, 1988 के पश्चात् के तदर्थ 172 प्रधानाचार्यों का विनयमितीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अगस्त, 1997 तक उत्तराखण्ड के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त तदर्थ शिक्षकों व तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनयमितीकरण सरकार कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां, दिनांक 14 मई, 1991 के बाद तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों तथा 30 जुलाई, 1988 के बाद तदर्थ रूप से कार्यरत प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों की सेवाओं का विनयमितीकरण नहीं किया गया है ।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त प्रस्तर (2) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड के अवर अभियन्ताओं की पर्वतीय उपसंवर्ग (हिल कैडर) के अन्तर्गत प्रोन्नति में बनी वरिष्ठता सूची को लागू करने की मांग

137–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड के अवर अभियन्ताओं की पर्वतीय उपसंवर्ग (हिल कैडर) के अन्तर्गत प्रोन्नति की सूची वरिष्ठता से बना दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक प्रोन्नतियां न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार वरिष्ठता के आधार पर शीघ्र प्रोन्नतियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड के अवर अभियन्ताओं की पर्वतीय उपसंवर्ग की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त प्रोन्नति संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की सुविधा

138–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को जून, 1986 तक के पूर्व और 30 जून, 1989 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी गयी है ? क्या यह सही है कि 1-1-86 से 30 जून, 1989 तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ 26-12-89 के राजाज्ञा के अनुसार नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उत्तर प्रदेश संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान व पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधायें राजाज्ञा संख्या 7398/15-5-89, दिनांक 26-12-89 के अनुसार 1-1-86 से 30 जून, 1989 तक के वेतनमान एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को दूर की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अप्रैल, 1980 से 30-6-89 तक मात्र पेंशन योजना लागू थी । दिनांक 26-12-89 से पारिवारिक पेंशन योजना लागू होने पर राजाज्ञा के अनसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा अखोप माइनर से लेकर ग्राम तरछापार बहोवा तक रोड बनाने की मांग

139–श्री पारस नाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा अखोप माइनर से निकली नहर जो बहौरवा तक जाकर मिलती है की एक पटरी को पिच कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर मिट्टी व गिट्टी डालकर कार्य पूर्ण कराया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर अखोप से लेकर ग्राम तरछापार तक पिच करा दिया गया है परन्तु दलित बस्ती तरछापार से बहोवा तक कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष बचे सड़क ग्राम तरछोपार से बहोवा तक पिच कराने हेतु बजट आवंटन कर कार्यवाही पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । यह कार्य वर्ष 1993-94 में पूर्ण कराया जा चुका है ।

जी हां ।

स्वीकृत कार्य पूर्ण है । तरछापार से आगे 2 कि०मी० में पत्थर से खड़न्जा स्तर तक कार्य कराया गया है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के ग्राम अखोप माईनर की पटरी पर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण तथा अधिगृहीत भूमि के मुआबजे का भुगतान

140–श्री पारस नाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के ग्राम अखोप माइनर से निकली नहर की एक पटरी जो बहोरवा तक जाकर समाप्त होती है, पर लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1993 से मार्च, 1997 तक कितना धन मिट्टी व गिट्टी व अन्य सड़क निर्माण में खर्च किया गया है ? वहां का कार्य कहां तक हो चुका है ? कहां से कहां तक शेष पिच कराना है ?

श्री पारस नाथ यादव–

क्या यह सही है कि उक्त सड़क के किनारे कुछ किसानों को खेत सड़क में जाने से मुआवजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितने किसानों का कितना-कितना पैसा भुगतान हेतु शेष है ? इसे कब तक किसानों को भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण पर 1.80 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

स्वीकृत कार्य पूर्ण है ।

जी नहीं । प्रभावित कृषकों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में निर्मित प्रा० पा० भवन ससपना व इटौरा में हुई अनियमितता

141–श्री शेर बहादुर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में निर्मित प्रा० पा० भवन ग्राम ससपना व इटौरा में हुई अनियमितताओं की जांच स्वीकृत कर 23-11-96 व 30-11-96 को बी० एस० ए०, फैजाबाद/अम्बेडकर नगर को भेजी है ? क्या सरकार संबंधित जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेगी कि जांच के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है । †दोनों विद्यालयों के भवनों को निर्मित कराने वाले अध्यापक का सर्व प्रथम वेतन रोका गया एवं उसके पश्चात् अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए उन्हें निलम्बित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में बालागंज से लेकर अन्धे की चौकी तक की सकरी सड़क को चौड़ी करने तथा डिवाइडर बनाने की मांग

142–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में बालागंज से लेकर अन्धे की चौकी तक सड़क सकरी होने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बीच में डिवाइडर बनाकर सड़क चौड़ी कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

लखनऊ-मोहान रोड को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की मांग

143–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-मोहान रोड को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कब तक चौड़ा करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री हरि ओम चन्द, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के देयकों के भुगतान की कार्यवाही

144–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लोक शिकायत अनुभाग–5 का पत्र संख्या–696/1997-10(19)/97-लो० शि० 5, दिनांक 20-3-97 शिक्षा निदेशक, प्रमुख सचिव, शिक्षा एवं अन्य अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ? श्री हरि ओम चन्द तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक का दिनांक 18-1-92 को आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने पर स्व० श्री चन्द द्वारा पूर्व से नामित सदस्यों को देयों का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–सा-3–2102/दस-971/80, दिनांक 24-12-94 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कर अनावश्यक विलम्ब के लिये दायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां ।

सन्दर्भगत पत्र शिक्षा निदेशक एवं प्रमुख सचिव शिक्षा को प्राप्त हुआ है ।

प्रमुख सचिव ने निदेशक को कार्यवाही कर तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिये, शिक्षा निदेशक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी को तार भेजकर 90 प्रतिशत जी० पी० एफ० के पत्रजात मांगे गये थे । स्व० श्री हरि ओम चन्द्र अविवाहित थे अतः उनको नियमानुसार किसी पारिवारिक पेंशन आदि देयों की स्वीकृति नहीं हो सकती है और न ही उनके कोई प्रपत्र ही इस संबंध में प्राप्त हुये हैं । शिक्षा निदेशालय से 90 प्रतिशत जी० पी० एफ० की संस्तुति की जा चुकी है । मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 4-6-97 द्वारा भुगतान की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी को भेजी जा चुकी है । इस संबंध में नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को भुगतान हेतु निर्देश भी दिये गये हैं ।

इस संबंध में सम्बन्धित कार्यालयों से तत्काल भुगतान के बारे में जानकारी की जा रही है ।

संबंधित कार्यालय से आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती के अम्बेडकर गांव मेलानखुर्द विकास खण्ड, रुधौली को पक्की सड़क से जोड़ने का मामला

145–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर गांव मेलानखुर्द, विकास खण्ड, रुधौली (जनपद-बस्ती) को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु निर्माण हो रही सड़क के पेन्टिंग का कार्य मुख्य सड़क श्री बस्ती-मेंहदावल राज मार्ग से न करके बीच से ही पेन्टिंग की जा रही है और प्रारम्भ की लगभग 2 कि०मी० तक खड़ंजा स्तर पर ही छोड़ दी गई है ? क्या यह भी सही है सड़क मुख्य गांव मेलानखुर्द के

पहले ही बाग में रोक दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सड़क को गांव मेलानखुर्द की मुख्य आबादी तक निर्माण करने तथा बस्ती–मेंहदावल मार्ग से प्रारम्भ से मेलानखुर्द तक पेन्टिंग करने हेतु आदेशित करने की कृपा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं०–1 लखनऊ के समूह (ग) के कर्मचारियों का निलम्बन

146–श्री रामपाल राजवंशी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं०–1 लखनऊ में समूह (ग) के कर्मचारियों को वर्ष 1996 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या श्रेणी ''ग'' के नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता थे ? यदि नहीं, तो उनके द्वारा निलम्बन किये जाने का क्या औचित्य था ? क्या समूह (ग) के कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें नियुक्ति/निलम्बन के अधिकार दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इस अनियमित निलम्बन को रोकने के लिये कोई आदेश निर्गत करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

श्रेणी ''ग'' के कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता नहीं है । लेकिन उक्त खण्ड में समूह ''ग'' के कर्मचारियों का निलम्बन लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन की अधिसूचना संख्या–756 ई जी/23 पी०डब्लू०डी०–55ईजी/49, दिनांक 6-8-1963 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3754ईसी/364 ई०पी०सी–39/93, दिनांक 25-11-1993 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों एवं अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 2139/444/ई०पी०सी०–39/96, दिनांक 20-4-1996 में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया था ।

जी हां, शासनादेश संख्या–13-11-92 का–1/1992, दिनांक 27-6-92 में निहित निर्देशानुसार निलम्बन आदेशों की वापसी उसी स्तर से की जाती है जिस स्तर से निलम्बन के आदेश जारी हुए हैं ।

वर्तमान में दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं ।

इस संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई है । समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

147–श्री रामपाल राजवंशी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 13/47/87 का/1988, दिनांक 19 फरवरी, 1988 द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी वह अधिकारी होगा जिसने नियुक्ति की है ? यदि हां, तो क्या लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 1996 में विद्युत अनुरक्षण खण्ड–1, लखनऊ में निलम्बित किये गये सरकारी सेवकों के आदेश वैध हैं ? यदि नहीं, तो शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत निलम्बन आदेश इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन की अधिसूचना संख्या–756ईजी/23–पी०डब्लू०डी०–55 (ईजी)/49, दिनांक 6-8-1963 में प्रकाशित अधीक्षण अभियंताओं के, उनके नियंत्रणाधीन अधिशासी अभियंताओं को प्रतिनिधानित अधिकारों की व्यवस्था के अनुसार अधीक्षण अभियंता, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3754ईसी/364ई०पी०सी०–39/93, दिनांक 25-11-93 में अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिशासी अभियंता को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत किया गया है, जो वैध है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मार्डन फूड इण्ड० इण्डिया लि० से हुये अनुबन्ध के आधार पर दो करोड़ रुपये की बैंक गारन्टी के विरुद्ध अग्रिम का भुगतान

148–श्री सरवर अली तथा श्री संग्राम सिंह–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि मार्डन फूड इण्ड० इण्डिया लि० के साथ वर्ष 1993 में हुए अनुबन्ध में 2 करोड़ रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में रिवालविंग फण्ड का प्राविधान किया गया था ? उक्त धनराशि किन वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान की गयी ? नियमों के विरुद्ध अग्रिम भुगतान करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है और क्या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन–

जी हां ।

वर्ष 1993 में मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० से हुये अनुबन्धन के आधार पर दो करोड़ रुपये की बैंक गारन्टी के विरुद्ध रु० दो करोड़ की अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्डन फूड (इण्ड०) लि० द्वारा बाल बिकास एवं पुष्टाहार परियोजनाओं में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति

149–श्री सरवर अली–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों की संख्या के अनुसार आपूर्ति मात्रा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या मार्डन फूड (इण्डिया) लि० द्वारा परियोजनाओं में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या लाभार्थियों की संख्या के अनुपात में आपूर्ति न करने वाली फर्म के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के मोहल्ला कारवान (तोता का तालाब) पर स्थित डलावघर को हटाने की मांग

150–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कारवान (तोता का तालाब), आगरा पर स्थित डलावघर को हटाने के बारे में वहां की जनता ने आमरण अनशन किया था ? यदि हां, तो क्या जिला अधिकारी द्वारा 17-5-97 को उसे हटाने का आदेश पारित किया गया है ? क्या उसे हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

डलावघर को हटाना सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि कहीं न कहीं तो कूड़ा डम्प करना ही होगा, फिर भी जिलाधिकारी के आदेशों एवं जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आपसी विचार विमर्श के उपरान्त यह हल निकाला गया कि पुराने डलावघर के बगल में एक बन्द डम्प रखवा दिया जाये, जो रखवा दिया गया है अब उसी में कूड़ा डाला जा रहा है और गंदगी बाहर नहीं फैल पा रही है । अब यहां की कोई समस्या नहीं है ।

151–श्री विजय पाल सिंह (आगरा)–

क्या आवास नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना लोहा मण्डी आगरा मोहल्ला कारवान (तोता का तालाब) में स्थित डलावघर वर्ष 1993 में विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा क्या कोई स्थान चयनित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस जगह पर डलावघर बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मोहल्ला कारवान, आगरा विकास प्राधिकरण की सन्निकट योजना बिल्लोचपुरा सामान्य सुधार योजना के बाहर है, इसलिए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किसी डलाव घर का निर्माण नहीं किया गया ।

152–श्री वीरेन्द्र सिंह–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पडरौना के बुद्ध सरकिट के अन्तर्गत कुशीनगर (कसया) में विभिन्न योजनाओं को लागू करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

153–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुद्ध सरकिट के अन्तर्गत कुशीनगर (कसया), जनपद पडरौना के विभिन्न योजनाओं विषयक पत्र विशेष सचिव, पर्यटन को 28-1-97 को विधायक प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन योजनाओं की व्योरेवार समीक्षा कर कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कसया में जल भराव, पानी निकासी तथा प्रकाश शापिंग काम्पलेक्स एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की योजना तैयार कराकर सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर नियोजन सम्भाग द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है ।

कुशीनगर से कसया होते हुये कसया हवाई पट्टी तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 91.00 लाख का आगणन उ० प्र० पर्यटन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है ।

154–श्री अजय भट्ट–

[तीसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 17 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में "वेसु" के अन्तर्गत कार्यरत विद्युत वैकल्पिक कर्मियों को नियमित किये जाने की मांग

155–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि "वेसु" में सैकड़ों बिजली कर्मी विगत अनेक वर्षों से वैकल्पिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वैकल्पिक कर्मचारियों को विनियमित कर उनके साथ न्याय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी में काशी के घाटों को सुन्दर व आकर्षक स्वरूप बनाये जाने की मांग

156–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि काशी के घाटों पर व्याप्त गंदगी दुर्गन्ध एवं रात को पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के अभाव में रोजाना हजारों तीर्थ यात्रियों के साथ ही देशी तथा विदेशी पर्यटकों को जहां एक तरफ अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर वाराणसी की छवि भी खराब होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार काशी के घाटों के महत्व एवं आर्कषण को बनाये रखने हेतु नियमित सफाई एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

कथन सही नहीं हैं क्योंकि काशी के घाटों के महत्व एवं आकर्षण को बनाये रखने हेतु घाटों की नियमित सफाई कराई जाती है तथा प्रकाश व्यवस्था भी वर्तमान में नगर निगम, वाराणसी द्वारा सुनिश्चित की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् की सीमा के खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

157–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् की सीमा में लगे इण्डिया मार्का–2 नलों में से कितने नल खराब हैं तथा इनकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार जनहित में उक्त नलों को ठीक कराने के लिये जल निगम को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कुल 70 हैण्डपम्प खराब हैं जिसमें से 50 अस्थाई प्रकृति से खराब हैं एवं 20 नग स्थाई प्रकृति से खराब हैं ।

हस्तगत हैण्डपम्पों की मरम्मत की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर की है ।

शासन के पत्र संख्या–3745/9-5-97, दिनांक 25 जुलाई, 1997 द्वारा जल निगम तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों का वेतन पहली तारीख को दिलाये जाने की मांग

158–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने के क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जनहित में प्रत्येक स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नागर स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी संस्था है । नागर निकाय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन वितरण का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय का है । अधिकांश स्थानीय निकायों में कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने का कारण उनकी निजी आय के श्रोतों में कमी तथा करों की वसूली कम होना है ।

वेतन भुगतान का दायित्व संबंधित निकाय का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

159–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में कितने यूनिट विद्युत प्रतिदिन की आवश्यकता है तथा सरकार स्वयं कितनी विद्युत उत्पादन करती है व कितने यूनिट दूसरे राज्यों या केन्द्र के प्रतिष्ठानों से आयात करती है ? क्या सरकार की प्रदेश को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो विद्युत उत्पादन बढ़े इसके लिये सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है ? निजी क्षेत्रों में प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन का प्रारम्भ कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश की विद्युत मांग वर्ष 1996-97 में औसत 112.5 मि० यू० प्रतिदिन रही तथा प्रथम तिमाही में इस वर्ष औसतन 113.1 मि० यू० प्रतिदिन रही । राज्य विद्युत परिषद् ने वर्ष 1996-97 में औसतन 64.8 मि० यू० प्रतिदिन तथा वर्ष 1997-98 की प्रथम तिमाही में औसतन 65.9 मि० यू० प्रतिदिन का उत्पादन किया । वर्ष 1996-97 में औसतन 37.5 मि० यू० तथा वर्ष 1997-98 की प्रथम तिमाही में 38.1 मि० यू० प्रतिदिन का आयात किया गया ।

जी हां ।

विद्युत उत्पादन के लिये राज्य सरकार निजी क्षेत्र में एवं निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में (ज्वाइन्ट वेन्चर) तापीय, जल विद्युत एवं तरल ईंधन पर आधारित परियोजनायें स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं से प्रदेश की विद्युत आपूर्ति के लिये विद्युत लेना सुनिश्चित कर रही है । कुछ तापीय एवं जल विद्युत उत्पादन परियोजनायें

राज्य सरकार स्टेट सेक्टर में पूर्ण करा रही है । उपरोक्त के अतिरिक्त दो जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार के साथ ज्वाइन्ट वैन्चर में की जा रही है ।

निम्नलिखित तापीय परियोजनाओं को निजी क्षेत्र/ज्वाइन्ट वेन्चर में स्थापित करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं–

1–कोयले पर आधारित तापीय परियोजना

1–रोजा–567 मेगावाट

2–जवाहरपुर–800 मेगावाट

3–आनपारा ''सी''–1000 मेगावाट ।

ख–तरल ईंधन पर आधारित तापीय परियोजना

1–कोसीकलर (355 मेगावाट)

2–प्रदेश में 7 विभिन्न स्थानों पर (प्रत्येक लगभग 100 मेगावाट)

वित्तीय वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत निर्धारित योजना के तहत मैनपुरी में चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने का मामला

160–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में प्रदेश में कुल कितने ग्रामों को विद्युतीकृत का लक्ष्य रखा गया था और अब तक कितने ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं ? विगत वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत किये जाने वाले ग्रामों की नीति क्या थी ? क्या जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 में विद्युतीकृत किये जाने वाले ग्रामों को किसी समिति की बैठक में चयनित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विगत वित्तीय वर्ष में ब्लाक सुल्तानगंज, बेवर, जागीर जो विधान सभा क्षेत्र भोगांव में आते हैं, में किन-किन गांवों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया और उसका आधार क्या था ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1996-97 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा चयनित नये अम्बेडकर ग्रामों वर्ष 1995-96 के अवशेष अम्बेडकर ग्रामों पूर्व में चयनित गांधी ग्रामों एवं गैर अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना था । इस नीति के अन्तर्गत समस्त चयनित ग्रामों में कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्ती का विद्युतीकरण अनिवार्य था । उपरोक्तानुसार वर्ष 1996-97 के लिये ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं वास्तविक प्रगति में निम्नवत् है :–

क्र०सं०	कार्यों का विवरण	लक्ष्य	प्रगति
1	वर्ष 96-97 के अम्बेडकर ग्राम	1656	1140
2	वर्ष 1995-96 के अम्बेडकर ग्राम	863	366
3	पूर्व में चयनित अवशेष गांधी ग्राम	365	104
4	अविद्युतीकृत गैर अम्बेडकर ग्राम	2068	524

राष्ट्रपति शासन के दौरान जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 में चयन समिति न होने के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण का चयन शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत ब्लाक सुल्तानगंज, बेवर व जसरि में निम्नलिखित ग्रामों का जिलाधिकारी द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया :–

1–सरइया, 2–मेवास चक अब्दुलपुर, 3–सलिमपुर पड़ीना, 4–पदमनर, 5–हिन्दूपुर, 6–मीरापुर छदासी (अम्बेडकर)

प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया ।

जनपद मैनपुरी के भोगांव में लो० नि० वि० द्वारा राज्य सेक्टर में स्वीकृत सड़कों को बनाये जाने का मामला

161–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में लो० नि० वि० द्वारा राज्य सेक्टर से सड़कें स्वीकृत हुई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 1997-98 में सड़कें बनाने के लिये कोई प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो वे सड़कें कौन-कौन सी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सेक्टर में नबीगंज कैथोली से ग्राम मुढ़ई तक लिंक रोड का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रत्न मुनि जैन इण्टर कालेज, आगरा के प्रबन्धक मण्डल के विवाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

162–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रत्न मुनि जैन इंटर कालेज, आगरा के प्रबन्धकीय विवाद के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19-2-96 को दिये गये निर्णय के अनुसार विनय पाटनी, अध्यक्ष एवं संजय कुमार, प्रबन्धक वाली प्रबन्ध समिति को मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन अब तक न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

मा० सर्वोच्च न्यायालय के 19-2-97 को दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री विनय पाटनी, अध्यक्ष एवं श्री संजय कुमार, प्रबन्धक वाली प्रबन्ध समिति को मान्यता दे दी गई है ? अतएव मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम लहरा छयोंकरिया तथा विकास खण्ड बेवर में ग्राम नगला केहरी अरम सराय एवं ग्राम विनोदपुर में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की मांग

163–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह फरवरी, 1997 में शिक्षा सलाहकार समिति, मैनपुरी में आयोजित बैठक में ब्लाक सुल्तानगंज में ग्राम–लहरा छयोंकरिया तथा विकास खण्ड बेवर में ग्राम नगला केहरी, अरम सराय एवं ग्राम विनोदपुर में जूनियर हाई स्कूल बनना तय हुआ था ? यदि हां, तो कब तक उक्त ग्रामों में विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि

उक्त स्थानों की बजाय अन्यत्र विद्यालय निर्माण के लिये कार्यवाही में हेरा-फेरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं ।

अपितु जिला बेसिक शिक्षा समिति, मैनपुरी की बैठक दिनांक 4-3-97 में यह निर्णय लिया गया था ।

कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ कार्यालय में श्री के० सी० सक्सेना, वरिष्ठ नियोजक द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच

164–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों ने वर्ष 1992-93 में भारी वित्तीय अनियमितता करके लाखों रुपयों का आहरण किया था ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ? क्या यह सच है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ ने विशेष सचिव, आवास उ० प्र० शासन को अपने पत्रांक प्र० अ०/जांच/टी० सी० पी०/92-93, दिनांक 15-5-92 द्वारा वरिष्ठ नियोजक के विरुद्ध भारी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कठोर कार्यवाही किये जाने के लिये कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री के० सी० सक्सेना, वरिष्ठ नियोजक के द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों से संबंधित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र०, लखनऊ का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था ? उक्त शिकायत तथा शासन में प्राप्त अन्य अतिरिक्त शिकायती-पत्रों पर जांच के लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को निर्देशित कर दिया गया था । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला

165–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार ऐसे रिक्त पदों को भरने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मृतक आश्रित के लिये पृथक से किसी निर्धारित संख्या में पहले से ही पद सृजित नहीं किये जाते हैं । सम्प्रति कुल 22 मृतक आश्रितों की नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन है जिन पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में इण्टरमीडिएट स्तर के सरकारी विद्यालयों में संवर्गवार रिक्त पद तथा उसे भरे जाने की कार्यवाही

166–श्री अजय भट्ट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में स्थित इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालयों (सरकारी) में समूह क, ख, ग, घ के कितने पद (पदनाम सहित) रिक्त चल रहे हैं ? वे कब तक भर दिये जायेंगे ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में इण्टरमीडिएट स्तर के सरकारी विद्यालयों में संवर्गवार रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :–

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या	219
प्रवक्ता	1183
स्नातक वेतनक्रम	859
वरिष्ठ सहायक	22
शिविर सहायक	04
वरिष्ठ लिपिक	26
कनिष्ठ लिपिक	83
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	83
दफ्तरी	26
वाहन चालक	08
योग	2513

इन पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है ।

जिला कानपुर देहात स्थित ग्राम जोत से तहसील रसूलाबाद तक कथित सड़क निर्माण

167–श्री मुरलीधर एडवोकेट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार को उत्तरित अ० प्र० सं० 176 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानुपर देहात जिला स्थित ग्राम व पोस्ट जोत होकर तहसील रसूलाबाद तक सड़क का निर्माण किस विभाग द्वारा किस वर्ष में कितने रुपये व्यय करके बनवाया गया है ? क्या निर्माण अवधि के उपरान्त सड़क के रख-रखाव पर कोई धनराशि व्यय की गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

ग्राम जोत से तहसील रसूलाबाद के नाम से कोई मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम व पोस्ट जोत, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में सीमेन्ट के पड़े हुए खम्भों की स्थिति तथा विद्युतीकरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

168–श्री मुरलीधर एडवोकेट–

क्या सरकार की जानकारी में है कि ग्राम व पोस्ट जोत, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में विद्युत सुविधा हेतु सीमेन्ट के खम्भे लगभग 15 वर्षों से बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इनको कब तक लगवाकर ग्रामवासियों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करा देगी ?

सुश्री मायावती–

ग्राम व पोस्ट जोत, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में 39 सीमेन्ट के खम्भे वर्ष 1988-89 में रसूलाबाद के ग्रामवासी स्वयं उठा ले गये थे ।

इस ग्राम का विद्युतीकरण जिला चयन समिति द्वारा वर्तमान में चयनित न होने के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया और मनकापुर के कतिपय मार्गों को मानक के आधार पर लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग

169–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया और मनकापुर में छपिया गोंदहा मार्ग, महुली खीरी पायर खास मार्ग, मस्कनवां सुहैला परस मण्डफ मार्ग, अमवा वीरपुर मार्ग, चिरैया चौखट घाट मार्गों पर निर्माण कार्य क्या निर्धारित मानक के आधार पर करवाया गया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्गों पर पड़े पत्थर उभर कर ऊपर आ चुके हैं और सड़क के किनारे की पटरियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं लेपन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विशाल खण्ड-एक, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित सड़क को डामरीकृत किये जाने का मामला

170–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशाल खण्ड-एक, गोमती नगर, लखनऊ में मकान नम्बर 1/843 एवं 1/909 के सामने स्थित सड़क की सरकार डामर लेपन स्तर तक बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्षा ऋतु के उपरान्त क्रियान्वित कराये जाने वाले कार्य में इसे सम्मिलित कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले में बाल विकास परियोजना (आंगनबाड़ी) लागू किये जाने का मामला

171–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वाराणसी जिले में सभी ब्लाकों में बाल विकास परियोजना (आंगन बाड़ी) लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरी किशन–

जनपद वाराणसी के एक विकास खण्ड तथा एक शहरी परियोजना में बाल विकास परियोजना चलायी जा रही है, शेष विकास खण्डों में भारत सरकार से परियोजना चलाये जाने की अनुमति प्राप्त हो जाने पर परियोजना चलाये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी

172–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या बढ़ते अतिक्रमण को न रोक पाना दंड की कमी अथवा कठोर कानून के अभाव के कारण है ? क्या मंत्री जी इसमें सुधार करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये कानून एवं नियमों को और प्रभावी बनाया गया है। उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में हाल ही में कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिसमें सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है तथा अतिक्रमणकर्ता को एक वर्ष तक का साधारण कारावास और बीस हजार रुपये तक का जुर्माना किये जाने का दण्ड प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण को कुर्क व अधिगृहीत भी किया जा सकता है। अनधिकृत होने की दशा में उन्हें सीलबन्द भी किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में उस अधिकारी को भी एक माह तक का साधारण कारावास तथा दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है जो अतिक्रमण रोकने के लिये उत्तरदायी था तथा जानबूझकर उसमें उपेक्षा करता है।

उपरोक्तानुसार।

शाहजहांपुर में रौजा थर्मल पावर स्टेशन को बनाने की मांग

173–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री विद्युत दुर्व्यवस्था को देखते हुए विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रों में दिये जाने को प्रोत्साहित करेंगे ? यदि हां,तो क्या यह सही है कि शाहजहांपुर में रौजा थर्मल पावर स्टेशन पिछले 5 वर्षों से स्वीकृत होने के बाद भी पावर परचेज एग्रीमेंट ही हो पाया, उसका कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हो सका ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार विद्युत के संकट को देखते हुए रौजा थर्मल पावर बनने के लिये तत्काल कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

रौजा थर्मल पावर स्टेशन का पावर परचेज एग्रीमेंट (पी०पी०ए०), दिनांक 21-12-96 को राज्य विद्युत परिषद् एवं मैसर्स रौजा पावर कम्पनी (प्रमोटर मैसर्स इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर लि०) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है ।

पावर परचेज एग्रीमेंट (पी०पी०ए०) की शर्त के अनुसार कम्पनी द्वारा फाइनेन्शियल क्लोजर एवं अन्य क्लीयरेंस प्राप्त किये जाने के पश्चात् कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना का टेक्नो–इकोनामिक क्लीयरेंस भी कम्पनी द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना लम्बित है ।

जी हां, भारत सरकार के संबंधित विभागों से वांछित क्लीयरेंस उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक सहायता कम्पनी को प्रदान की जा रही है । पी० पी० ए० की शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा परियोजना का फाइनेन्शियल क्लोजर 27-12-97 तक पूरा किया जाना है । उसके पश्चात् ही परियोजना पर निर्माण कार्य कम्पनी द्वारा प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बनारस के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या के समाधान के संबंध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

174–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के विद्युत से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो समस्यायें क्या थीं और उनके समाधान हेतु क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पत्र में वाराणसी नगर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न भागों में 33/11 के० वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि एवं ओ सी बी की खराबी, एक नग 132 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण, पुराने एवं कम क्षमता के तारों को बदलना, 400 के० वी० ए० के एल० टी० उपकेन्द्रों का निर्माण, शिकायत केन्द्रों पर अवर अभियन्ता की तैनाती, राजस्व संग्रह काउन्टर एवं अनुरक्षण के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया था ।

पत्र में इंगित विभिन्न सुझावों में से निम्नलिखित पर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है:–

(1) अगस्त कुन्डा मोहल्ले में शिकायत केन्द्र पर कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गयी है एवं अवर अभियन्ता को उपकेन्द्र पर उपलब्ध रहने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

(2) गोदौलिया और दशाश्वमेध क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 33/11 के० वी० सब स्टेशन, शंकुल धारा एवं 33/11 के० वी० सब स्टेशन, भदैनी से अनवरत की जा रही है । बेनिया पार्क स्थित 33/11 के० वी० सब स्टेशन से भी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य किया जा रहा है जो अतिशीघ्र ही पूरा किया जा रहा है ।

(3) एल० टी० केबुल, पीवीसी केबुल, जम्फर, केबुल जम्फर, टिंग बाक्स एवं वीजल, रैबिट डाग कन्डक्टर आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं और सभी शिकायतों को उसी दिन निस्तारित किया जा रहा है ।

(4) शंकुल धारा की ओसीबी को ठीक करा दिया गया है एवं सीटी भी बदल दी गयी है ।

परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण शेष कार्यों को कराने की कोई समय सीमा निर्धारित कराना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी

175–स्वामी ओइमूवेश–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या पिछली आपूर्ति संकट से उबरने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

सुश्री मायावती–

यह सत्य है कि प्रदेश में विद्युत की कमी है क्योंकि प्रतिवर्ष बढ़ रही विद्युत की मांग के सापेक्ष उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में अन्तर होने के कारण विद्युत की आपात कटौती कराना आवश्यक हो जाता है ।

विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत परिषद् के चालू जलीय एवं तापीय विद्युत गृहों पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों को सम्पादित करके बेहतर उत्पादन प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाता है । इसके साथ ही नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में राज्य सेक्टर में, संयुक्त क्षेत्र में तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्य किया जा रहा है जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है ।

(विवरण देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 161-162 पर)

श्रीमती वीना देवी, सहायक अध्यापिका (सी० टी० ग्रेड), राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर को मूल पद पर वापसी का मामला

176–श्री संदीप अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती वीना देवी, सहायक अध्यापिका (सी०टी० ग्रेड) की राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर में नियुक्ति हुई थी ? क्या यह सही है कि श्रीमती वीना देवी को वर्ष 1988 से 1996 तक प्रतिनियुक्ति पर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में सम्बद्ध रखा गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि श्रीमती वीना देवी के आचरण से क्षुब्ध होकर श्री आर० के० चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर ने श्री रमेश चन्द्र शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को दिनांक 14-7-1996 को एक पत्र लिखा था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि श्रीमती वीना देवी के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर में अपने मूल पद पर वापस न करके उन्हें ए० डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर जहां कोई पद रिक्त नहीं था, से सम्बद्ध करने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

श्रीमती वीना देवी दिनांक 1-12-89 से दिनांक 30-6-96 तक प्रतिनियुक्ति पर रहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्हें अपने मूल पद पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर वापस किया गया । शिक्षिकाओं की कमी के कारण ए०डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर में सम्बद्ध किया गया था ।

कोई नहीं ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मूल पद पर वापस कर दी गयी हैं ।

हरिद्वार में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत प्रथम चरण के सम्पादित कार्य

177–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन के पश्चात् गंगा जल में प्रति लीटर बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० डिजांवल्ड आक्सीजन तथा टोटल कोलीफार्म फिकल कोलीफार्म प्रति 100 मि० ली० की स्थिति क्या है ?. क्या गंगा जल पीने योग्य है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

श्री लाल जी टण्डन–

हरिद्वार में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन के पश्चात् विभिन्न पैरामीटर्स की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

पैरामीटर्स	जून, 1997 तक मात्रा
बी०ओ०डी० (मि०ग्रा०/ली०)	2.0
सी०ओ०डी० (मि०ग्रा०/ली०)	8.6
डी०ओ० (मि०ग्रा०/ली०)	8.5
टोटल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/ फीकल कोलीफार्म 100 मि०ली० सम्मिलित करते हुए) ।	103

हरिद्वार में गंगा नदी का जल ट्रीटमेंट के पश्चात् पीने योग्य है ।

उपरोक्तानुसार ।

आगरा में ताजमहल के पास यन्नी शो से प्राप्त धन एवं व्यय का विवरण

178–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1997 के तीसरे सप्ताह में आगरा में ताजमहल के पास यन्नी कलाकार का जो शो हुआ था उससे ताजमहल के रखरखाव के लिए कुल कितना धन प्राप्त हुआ तथा सरकार का कितना धन इस शो पर खर्च हुआ ? इस आमदनी को सरकार किस प्रकार खर्च करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

भारत सरकार की अनुमति से कार्यक्रम का आयोजन ताजमहल से 300 मीटर एवं उससे अधिक दूरी पर हुआ, जिससे हुई आय निम्नवत् है :–

1–टिकट की बिक्री से	रु० 3.60 करोड़
2–प्रयोजन एवं भारत वर्ष में दूरदर्शन से, सजीव प्रसारण से	रु० 2.25 करोड़
3–पैन्टून ब्रिज के निर्माण हेतु	रु० 0.45 करोड़
कुल :	रु० 6.30 करोड़

राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से कोई व्यय इस पर वहन नहीं किया गया । उपरोक्त प्राप्त धनराशि में निम्नवत् कर/व्यय आरोपित किये गये :–

1–टिकट की बिक्री पर आरोपित मनोरंजन कर	रु० 200 लाख
2–पैन्टून सेतु आदि पर निर्माण में व्यय	रु० 45 लाख
3–आयकर की कटौती	रु० 208.72 लाख
	रु० 453.72 लाख

इस प्रकार समस्त व्यय के पश्चात् रुपये 176.28 लाख की शुद्ध बचत हुई ।

राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि का उपयोग ताजमहल के सौन्दर्यीकरण एवं उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास से संबंधी अवस्थापना पर व्यय में किया जायेगा ।

जनपद गोण्डा के वजीरगंज, मसकनवां तथा बभनान बाजार का विकास कार्य तथा नगर पंचायत बनाने की मांग

179–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वजीरगंज, मसकनवां, बभनान बाजार जो कई ग्राम सभाओं से जुड़े हैं, का विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त बाजारों को सरकार नगर पंचायत बनाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वजीरगंज, मसकनवां तथा बभनान बाजार का अन्य ग्राम पंचायतों की तरह विकास कार्य हो रहा है ।

जी नहीं ।

उक्त ग्राम सभायें नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु निर्धारित मानक पूरा नहीं करती ।

जनपद लखनऊ में स्थित ट्रांस गोमती सहकारी आवास समिति लिमिटेड पंजीकृत संस्था एवं निबन्धन संख्या का विवरण

180–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ट्रांस गोमती सहकारी आवास समिति लिमिटेड, लखनऊ रजिस्टर्ड समिति संस्था है ? समिति ने राजस्व खसरा संख्या 181 से 185 ग्राम इरादतनगर (सीतापुर रोड के पश्चिम), परगना व तहसील सदर, लखनऊ, जनपद लखनऊ की भूमि को कब-कब रजिस्ट्री शुदा क्रय की थी ? प्रश्नगत भूमि पर समिति के सदस्यों के नाम व प्लाट संख्या क्या-क्या हैं ? समिति का निबन्धन संख्या क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

खसरा संख्या–181, इरादतनगर का रजिस्ट्री शुदा क्रय दिनांक 13-3-86 को व खसरा संख्या–182 से 185 का रजिस्ट्री शुदा क्रय दिनांक 31-3-86 को किया गया था ।

प्रश्नगत भूमि पर समिति के सदस्यों के नाम व प्लाटों की सूची संलग्न है ।

समिति का निबन्धन संख्या–311, दिनांक 11-12-1980 है ।

(सूची देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 163-164 पर)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का हीरक जयन्ती समारोह मनाए जाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं ।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से 60 वर्ष पूर्व दिनांक 29 जुलाई, 1937 को इस सभा मण्डप में प्रदेश की प्रथम विधान सभा के माननीय सदस्य प्रथम बार एकत्रित हुए थे । आज दिनांक 29 जुलाई, 1997 को इस सदन का "हीरक जयन्ती दिवस" है । हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में आज इसी सभा मण्डप में सायंकाल 5 बजे से "हीरक जयन्ती दिवस" का आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश करेंगे । उद्घाटन समारोह के तुरन्त उपरान्त एक विचार–गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है जिसमें प्रमुख वक्तागण संसदीय विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । तदोपरान्त विधान भवन (मुख्य भवन) के मध्य भाग में सभी माननीय सदस्यों एवं अतिथियों के लिए रात्रि-भोज की व्यवस्था है । आप सभी से अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का कष्ट करें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सदन आपके नेतृत्व में हीरक जयन्ती मना रहा है लेकिन इसकी समुचित सूचना हम लोगों को पूर्व में नहीं मिल पायी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों का जो छोटा पिजन होल बना है, उसमें रखा दिया गया था और आज मैंने सदन में भी बता दिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि आज दूसरे ही उल्लास में यह हीरक जयन्ती होनी चाहिए, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करके उल्लास के साथ इसे मनाया जाना चाहिए । इस वर्ष भर इस हीरक जयन्ती को कई कार्यक्रमों में मनाया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं । इसके अलावा कई कार्यक्रम विभिन्न दिवसों में आयोजित करेंगे ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं । आज दिनांक 29 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं :–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बलिया जनपद में हरिजन ऐक्ट के दुरुपयोग एवं पिछड़ों पर किए जा रहे जुल्म से निजात दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिका चौधरी–

[महोदय, मैं बलिया जनपद में हरिजन ऐक्ट के दुरुपयोग व सरकारी शह पर पिछड़ों विशेषतः यादवों पर किये जा रहे जुल्म की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । थाना कोतवाली बांसडीह के गांव सुल्तानपुर के वासुदेव यादव की चचेरी बहन कु० इन्दु, उम्र 15 वर्ष को उसी गांव के गुड्डू पुत्र सुखदेव रतनी और कुटनी घर के समस्त जेवरात के साथ अपहरण 28-5-97 को कर ले गये । वासुदेव यादव की लिखित तहरीर पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई । जब वासुदेव यादव ने इसकी फरियाद उच्चाधिकारियों के यहां करना शुरू किया तो परिवार के लड़कों को हरिजन ऐक्ट में फंसाने की धमकी दी गयी । जब वे नहीं माने तो अन्ततः 5 जुलाई को एक फर्जी घटना बनाकर थाना गड़वार में वासुदेव यादव के परिवार के चार नौजवान लड़कों व उनके 3 रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हरिजन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और रासुका लगाने की धमकी दी जा रही है ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये पीड़ित यादव परिवार के साथ न्याय, अपहरण करने वालों को दण्ड और कु० इन्दू यादव को पुलिस द्वारा तत्काल बरामद करने की मांग करता हूं ।]

आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के देवारा अंचल को घाघरा नदी की कटान से रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम प्यारे–

[जनपद आजमगढ़ तहसील सगड़ी के देवारा अंचल अतिवृष्टि व घाघरा नदी की बाढ़ व कटान से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं । नाम उर्दिल और रोशनगंज एवं हैदराबाद उर्दिहा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनता का 20 जुलाई से क्रमिक अनशन 23 जुलाई से आमरण अनशन में परिवर्तित हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

देवरिया तथा कुशीनगर जनपद की नहरों में पानी की आपूर्ति, सफाई की व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

[महोदय, देवरिया तथा कुशीनगर जनपद में अवर्षण के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है । सिंचाई विभाग इस स्थिति से निपटने के लिये उदासीनता और लापरवाह है । गंडक नहर के राजवाहों में तथा अल्पिकाओं में पानी की आपूर्ति बन्द है । मिट्टी व सिल्ट से नहरें पट जाने से अपनी क्षमता की तुलना में बहुत ही कम पानी आपूर्ति कर पाती हैं । गंडक नहर प्रथम की करमैनी माइनर, अन्हया माइनर, सपटा माइनर, द्वारिका राजवाहा, धर्मागत पट्टी माइनर, भुजांली माइनर, कुलकुला माइनर, दीना पट्टी माइनर, प्रेमपुर राजवाहा तथा कुशीनगर राजवाहा एवं सेमरी राजवाहा के टेल से 10 कि०मी० पहले से ही, सुन्दरपुर माइनर, पकहा माइनर, विशुनपुरा माइनर जीत पट्टी माइनर में आज तक पानी की आपूर्ति न होने से हजारों हेक्टेयर धान की फसल सूख जाने की आशंका है । राजकीय नलकूप मोटर, स्टार्टर, ट्रान्सफार्मर तथा अन्य यांत्रिक गड़बड़ी तथा नालियों के टूटने से बन्द पड़े हैं । बार-बार इसे ठीक करने के आग्रह के बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी संवेदन शून्य हैं जिससे जनता में त्राहि-त्राहि मची है तथा भयंकर सूखे की आशंका से ग्रस्त है ।

फलतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय को सदन की संज्ञान में लाकर सरकार से तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर उपरोक्त नहरों में पानी आपूर्ति, सफाई की व्यवस्था तथा राजकीय नलकूपों की गड़बड़ियों को दूर कर उसको चलाये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद चन्दौली के राजकीय महाविद्यालय, धानापुर में विज्ञान की कक्षाएं चलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभू नारायण सिंह यादव–

[नवसृजित जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र धानापुर के विकास खण्ड धानापुर में राजकीय महाविद्यालय विगत 17 वर्षों से चल रहा है । पिछड़े ग्रामीण अंचल के आसपास के छात्रों की शिक्षा प्राप्ति का वह विद्यालय एक मात्र केन्द्र है । यहां तक की पूरे जनपद चन्दौली में मात्र एक ही राजकीय महाविद्यालय है जहां विज्ञान की मान्यता प्राप्त है । परन्तु इसके बावजूद भी आज तक विज्ञान की कक्षायें नहीं चलायी जा सकीं । करीब दो वर्ष से अधिक मान्यता प्राप्त हुये हो गया है । मान्यता केवल 3 वर्ष के लिये ही मिली । यदि विज्ञान की कक्षायें शीघ्रातिशीघ्र न चलायी गयीं तो मान्यता भी समाप्त हो जायेगी । विज्ञान कक्षायें न चलाये जाने से क्षेत्र के गरीब पिछड़े, दलित छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ।

आपके माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एवं मांग करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय, धानापुर में विज्ञान कक्षायें इसी सत्र से चलायी जायें ।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ के हरिजनों की जमीन पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उबैदुर्रहमान–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर के चम्पापुर तथा खजुनी परगना तहसील नौगढ़ के हरिजनों की जमीन पर अवैध कब्जा कामिल हुसैन उर्फ लाल बाबू द्वारा गैर कानूनी ढंग से किया जा रहा है ।

गाटा संख्या 622 व 623 की भूमि पर लगी कीमती वन सम्पदा के पेड़ों को सरकारी नियमों की अवहेलना कर अधिकारियों से सांठगांठ कर वन सम्पदा की कटाई की जा रही है तथा कामिल हुसैन उर्फ लाल बाबू द्वारा अपने भान्जे तथा बहनोई जो मूलतः नैपाल के ग्राम अवरहवा जिला कपिलवस्तु के नाम उक्त भूमि में राजस्व अभिलेख में नाम भी अंकित करवाया है और अधिकारियों के निहित स्वार्थ के कारण कुटुम्ब पंजिका में भी अंकन करवाया है । इस संबंध में जिला प्रशासन को भी सूचित किया जा चुका है तथा दिनांक 26-6-97 को माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सूचित किया जा चुका है ।

उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही न की गयी तो सरकारी करोड़ों रुपये वन सम्पदा की क्षति हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही करने की सरकार से मांग करता हूं ।]

आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, उपरोक्त क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, दयनीय, असहनीय कष्टदायक हो रही है । आये दिन ट्रान्सफार्मर फुंकते रहते हैं । जर्जर विद्युत तार आये दिन टूटते रहते हैं, जिनमें लकड़ी न बंधी होने के कारण सड़कों, खड़ंजों पर विद्युत प्रभावित तारों से चिपककर लोग और जानवर मरते रहते हैं । लता कुंज में विद्युत प्रभावित तार तीन दिनों से टूटने पर जनता द्वारा बार-बार लिखित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सूचना तार ठीक कराने हेतु देने पर भी विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही न करने के कारण दिनांक 27-6-97 को रात्रि 10.00 बजकर 30 मिनट पर एक 5 वर्षीय बालिका कु० कनिका शर्मा की विद्युत करेन्ट में मौत हो गयी जिसकी प्राथमिकी रिपोर्ट मु० अ० सं० 257/97 धारा 304 ए० आई० पी० सी० थाना हरीपर्वत में भी करायी गयी ।

यही हाल अन्य मोहल्लों जैसे बारह खम्भा सेवा का नगला, ख्वासपुरा आदि क्षेत्रों में हो रही है । बारह खम्भा में विद्युत तार आये दिन टूटकर गिरते रहते हैं तथा इनमें लकड़ी न बंधी होने से जमीन पर आ जाते हैं जिससे कई बार जानवर आदि चिपक कर मर चुके हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्थानों पर तुरन्त नये विद्युत तार बदलवाये जायें तथा कु० कनिका के परिवारजनों को न्याय दिलाते हुए भविष्य में इन घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायें । ।

(डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक'' का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा सूची से निम्न दो सूचनायें ले रहा हूं :–

(श्री कैलाश नाथ यादव का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर में किसानों का भुगतान न होने के कारण व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

[महोदय, सरकार द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्य का भुगतान 85 प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु इसके विपरीत सुल्तानपुर की चीनी मिल में मात्र 43% भुगतान किया गया है । टेकिंग आदेश के हिसाब से गन्ना मूल्य के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि रुपये 1066-87 लाख पूर्ण रूप से गन्ना मूल्य खाते में स्थानान्तरित की जानी थी परन्तु ऐसा न करके इसके विपरीत गन्ना मूल्य खाते से 374-05 लाख रुपये का भुगतान अन्य मदों में अनियमित व अवैधानिक रूप से कर दिया गया । इसकी पुष्टि उप गन्ना आयुक्त, फैजाबाद को भेजी गयी जिला गन्ना अधिकारी, सुल्तानपुर की जांच आख्या पत्रांक 264, दिनांक 16-5-97 से की जा सकती है । जिलाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रधान प्रबन्धक की मनमानी एवं अवैधानिक कार्यों से किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है । किसान गम्भीर आर्थिक संकट में है, जिसका प्रतिकूल असर धनाभाव के कारण खरीफ की फसल पर भी पड़ रहा है । किसान काफी त्रस्त है तथा किसानों में भयंकर रोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए गन्ना मूल्य का भुगतान तुरन्त कराये जाने तथा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर की उक्त जांच आख्या पर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :–

श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मुरलीधर, श्री राम कृपाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री दीप लाल भारतीय, श्रीमती कृष्णा राज, श्री विनोद मणि, श्री पीटर पैंथम, श्री अमरमणि, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री के० सी० सिंह बाबा, श्री दलवीर सिंह, श्री चन्द्र नाथ सिंह,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रीमती उर्मिला यादव, श्री समरपाल सिंह, श्री राधेश्याम सिंह, श्री राम विशुन आजाद, श्री महेन्द्र कुमार आदि श्री लाल जी वर्मा, श्री सुरेन्द्र सिंह, भारत सिंह रावत, श्री मित्रसेन यादव, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री ओम प्रकाश, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री लाखीराम जोशी, श्री मुन्ना चौहान, श्री अफजाल अहमद व श्री रंगनाथ मिश्र ।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं ।

आज दिनांक 29-7-97 को नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें दो सूचनायें इस सदन की कार्यवाही से संबंधित है जिसमें पहली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है ।

श्री अशोक बाजपेयी तथा समाजवादी पार्टी के अनेक मा० सदस्यों द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 97 को सदन न चलने देने की धमकी दिये जाने और शोर मचाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मानीनय सदन के सम्मुख औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कल डा० अशोक बाजपेयी जी ने सदन में अनके बार कहा कि सदन नहीं चलने दिया जायेगा । इतना ही नहीं यहां काफी अपने साथियों को लेकर शोर मचाया और सदन के बाहर समाचार पत्रों के माध्यम से कहा कि 28 तारीख को सदन नहीं चलने देंगे । सदन से बाहर कोई माननीय सदस्य सदन के बारे में इस प्रकार बयान देकर ठीक काम नहीं करते हैं क्योंकि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है । श्रीमन्, यह हम सब के लिये एक ऐसा प्रश्न है, श्री बाजपेयी जी एक सम्मानित सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि वह इस प्रकार का बयान देने को स्वयं ही लालायित नहीं होंगे । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को सदन में प्रश्न उपस्थित करने के लिये, समस्याओं के निराकरण के लिये, प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत नियम और उपनियम बने हैं जिनके तहत प्रश्नकाल होता है ।

कल प्रश्नकाल आरम्भ होते ही श्री बाजपेयी जी वेल में चले आये और 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संपादित नहीं हो सकी । प्रश्न उपस्थित करने के लिये नियमावली के अन्तर्गत हम सभी को अधिकार है । हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये शून्य प्रहर और कार्य स्थगन प्रस्ताव हमारे नियमावली में बने हैं । प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है । एक प्रश्न की सूचना मंगाने में काफी धन व्यय होता है और उस व्यय के उपरान्त यहां पर उत्तर आ जाय लेकिन अनुपूरक प्रश्न न पूछ सके तो कितना नुकसान होता है इसको आप जानते हैं । इसलिये हम सभी को मर्यादाओं में रहकर प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करना चाहिये । प्रश्नों के संबंध जो नियम और उपनियम हैं उन्हीं के अनुसार यहां प्रश्न करना चाहिये । इस वेल में रोज-रोज आना ठीक नहीं है । इसलिये सदन की मर्यादा को बनाये रखने में हम सभी को पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस औचित्य के प्रश्न पर आप गम्भीरता से विचार करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री वर्मा जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । उन्होंने एक चिन्ता व्यक्त की और मेरा नाम लिया । मैं भी इस आदरणीय सदन की पिछले बीस साल से सेवा करता रहा हूं । इस सदन के नियमों/कानूनों का अधिक से अधिक पालन कर सकूं और उसके अनुरूप अपना आचरण करने का प्रयास करता रहा हूं । पता नहीं श्री वर्मा जी ने किस दृष्टि से देखा और अपने मिथ्या भाष्य में यह कहा कि मैं कई बार वेल में आ गया । मान्यवर, पिछले 20 साल से मैं शायद ही कभी वेल

में गया हूं। मेरे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पता नहीं श्री वर्मा जी ने इसे कैसे ग्राह्य कर लिया ? इस सदन की कार्यवाही सही ढंग से चले इसमें हम लोगों का भी सहयोग रहता है। परन्तु मान्यवर, सार्वजनिक जीवन में कभी-कभी किसी घटना को लेकर उत्तेजना के क्षण आते हैं और आते रहे हैं। सण्डीला में एक घटना घटी और पूरे जनपद में लोग आक्रोषित रहे तथा वहां का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और उस घटना को लेकर निरन्तर वहां पर जन-आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन चलते रहे।

इसलिये संडीला की इस घटना को विधान सभा में उठाकर मैंने अपने विधायक के दायित्व का निर्वहन किया। मैंने कहा कि मैं इस घटना को विधान सभा में बल पूर्वक उठाने का काम करूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। वैसे भी मान्यवर, समाचार-पत्रों के भाष्य का संज्ञान यह विधान सभा लेता नहीं है। यह सदन जन समस्याओं को उठाये जाने का एक प्रतीक है संडीला में इतनी बड़ी घटना घटी, एक नौजवान मारा गया और निरपराध लोगों के विरुद्ध मुकदमें पंजीकृत हुए। उत्तेजना का जो क्षण कल यहां पर आया, उसका हम सबको कष्ट है और साथ ही खेद भी हैं। हम चाहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही विधिवत् चले और निर्बाध गति से चले, उसमें हमारा सहयोग रहता है। वर्मा जी ने अपने भाष्य में बार-बार यह कहा कि मैं कई बार वेल में गया, मुझे उनसे यह अपेक्षा नहीं थी। मैं कभी वेल में गया ही नहीं। दूसरा, माननीय श्री वर्मा जी ने जो यहां पर कहा, वह भी तोड़-मरोड़ कर कहा और ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राजनैतिक दुराग्रह से उन्होंने ज्यादा कहा और सदन निर्बाध गति से चले, उस लिहाज से उन्होंने नहीं कहा। उनके भाष्य में आक्षेपात्मक बात ज्यादा थी। मान्यवर, मैं स्वयं चाहता हूं कि पीठ से जो भी निर्देश हों उनका मैं पालन करूं और उसके अनुरूप अपना आचरण करूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दोनों माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुना। उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले, इसके लिये सहयोग देने की बात कही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि नियमों/कानूनों के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही को चलाने में वह अपना सहयोग देंगे। इस सूचना को मैं यहीं पर निस्तारित कर रहा हूं।

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है। इसका आशय स्पष्ट नहीं है इसलिये माननीय श्री शाक्य जी इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास समय भी बहुत कम है।

विधान सभा के अन्दर लिखे गये निर्देशों का अनुपालन न करने और विधायकों द्वारा लिखे गये पत्रों का उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में पीठ की ओर से सरकार को जो निर्देश दिये जाते हैं, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विधायकगण माननीय मंत्रीगण या प्रमुख सचिवों को सीधे पत्र लिख देते हैं परन्तु विधायकों को उनका समुचित उत्तर नहीं दिया जाता है। एक प्रकरण ऐसा ही है। मैंने प्रमुख सचिव, गृह को एक पत्र लिखा। एक बहुत बड़ा अपराधी श्री उपदेश सिंह चौहान है, जिसने श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या कर दी, वह जेल में भी रहा। उसने कत्लेआम करने की एक सूची बनाई है, जिसमें मेरा नाम भी है। इसके खिलाफ (5) अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, अवैध बसें चलती हैं, सट्टे का काम जुएं का काम वह करता है। मुझे अपने जीवन का खतरा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अतारांकित प्रश्न के सवाल में जवाब दिया कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं परन्तु एक-दो दिन पहले उसे फ्री आफ कास्ट एक गनर दे दिया गया इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। उन निर्देशों के मुताबिक क्या सरकार ने उसका पालन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया ? उन्हें फ्री आफ कास्ट गनर देकर जो लम्बी लिस्ट उसने निकाली है लोगों को मरवाने की उसके तहत मरवाने का काम किया है । जो माननीय सदस्य नियम 301 और नियम 51 में सूचनायें देते हैं, जो अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिये जाते हैं सरकार उसको अन्यथा ले रही है और उन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । आपकी बात आ गयी है । अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात लिखी नहीं जायेगी । आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । आपकी बात नहीं लिखी जा रही है । यह प्रथम दृष्टया इसमें नहीं आती है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनका मैं खण्डन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह आरोप निराधार हैं । मान्यवर, जो यह प्रश्न पूछा गया था यह दूसरे सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 हैं । इसमें इन्होंने पूछा था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय–1 के पत्रांक दिनांक 30-4-97 के साथ प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्राप्त हुआ ? तो इसका उत्तर आया "जी हां" । फिर उन्होंने उसके बिन्दु मुख्य क्या हैं इसके बारे में पूछा उसका भी जबाब आया फिर पूछा गया कि अब तक इसमें क्या कार्यवाही हुई है ? तो यह जवाब आया श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षार्थ एक गनर तथा उनके परिवार की आवासीय सुरक्षा हेतु दो सशस्त्र आरक्षी उपलब्ध करा दिये गये हैं । तो मान्यवर, यह कार्यवाही की गयी है । अब इसमें कोई कार्यवाही शेष बचती नहीं है । तो इस तरह से सदन का बेशकीमती समय को इस तरह से नष्ट न किया जाय और मैं समझता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है अतः इसे निरस्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम औतार शाक्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं सूचना भी किसी प्रकार से नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तीसरी सूचना के संबंध में आप एक मिनट इसमें हमको सुन लें । हम आपका संरक्षण चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । फिर आपको सुनने के बाद हमें श्री समरपाल सिंह जी को और मित्रसेन जी को भी सुनना पड़ेगा ।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, आज संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । आज माननीय मंत्री जी सदन के अन्दर कुछ कह रहे हैं और प्रदेश के बाहर वरिष्ठ अधिकारी उसका विरोधाभाष आदेश दे रहे हैं । गन्ना आयुक्त ने 9 जुलाई के पत्र में गन्ना समितियों को यह कहा है कि 14 दिन से ज्यादा विलम्ब से भुगतान होने पर 15 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जाय और माननीय मंत्री जी ब्याज दिलाने से मुकर गये, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, जो शुगर कन्ट्रोल आर्डर, 1960 है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करते हैं तो उनको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा । मान्यवर, हमारे यहां एक-एक साल का भुगतान नहीं हुआ है । पिछले दिनों हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कोई परम्परा नहीं है कि ब्याज दिलाया जाये । स्पष्ट उत्तर दिया गया था और गन्ना आयुक्त ने जिला गन्ना अधिकारियों और सभी गन्ना उप आयुक्तों को लिखित दिया है कि चीनी मिल मालिकों से बकाये पर ब्याज वसूल किया जाये । तो इस प्रकार से दोनों में विरोधाभाष है और यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

*श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में गन्ने के मूल्य के बकाया को भुगतान करने के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है, माननीय मंत्री जी ने परसों ही कहा है कि यह पहली सरकार है जो पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान करायेगी । मान्यवर, कानून बना है कि 14 दिन के अन्दर भुगतान कराया जाये और अगर 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज दिया जायेगा । मान्यवर, ब्याज देना तो दूर की बात है, उनका मूल ही नहीं मिल पा रहा है, तो मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जगदम्बिका पाल, समरपाल सिंह, मित्रसेन यादव को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रथम दृष्टया यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं । दूसरी सूचना श्री रेवती रमण सिंह जी की है, यह भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदन की भावना को लेकर केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजनी चाहिए । इस समस्या पर विस्तृत चर्चा होकर कोई हल निकाला जाना चाहिए । भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा है कि हमारे खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है । तो क्या यह सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा । यह अधिनियम 1989 में बनाया गया था जिससे हरिजनों का उत्पीड़न न हो ।

श्री ददूद प्रसाद–

हरिजन शब्द संसदीय नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं आग्रह कर रहा था कि उत्पीड़न न हो, इसलिए इस बात का ख्याल रखा गया था कि अगर आवश्यकता होगी तो अमेंडमेंट किया जायेगा । अगर कोई रिपोर्ट लिखा दी जाती है, तो उसको जेल जाना पड़ता है और 15 दिन बाद जमानत होगी । आप भी तो बहुत बड़े वकील हैं और जानते हैं कि बिना जेल जाये जमानत नहीं होगी । मेरा सबमिशन है कि पहले उसकी सुनवाई हो जाये कि घटना सही है या नहीं है, अगर घटना सही हो तो कार्यवाही हो, लेकिन यह उत्पीड़न का काम कर रहे हैं । सदन की भावना को देखकर माननीय मंत्री जी को केन्द्र सरकार को संशोधन करने के लिए लिखना चाहिए । मुख्य मंत्री जी की विज्ञप्ति निकली है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको दूर किया जायेगा ।

*डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, शेड्यूल कास्ट एण्ड सेड्यूल ट्राइब्स (प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटीज) ऐक्ट, 1989 बनाया गया है, लेकिन आज यह ऐक्ट उत्पीड़न का केन्द्र बिन्दु बन गया है । इसके तहत बेगुनाह लोगों पर फर्जी मुकदमें चल रहे हैं । मैं इसका एक दृष्टान्त देना चाहता हूं । (व्यवधान) एटा में एक बेगुनाह प्रिंसिपल इसका शिकार है उसमें स्थिति यह थी कि वहां के एक लिपिक के खिलाफ शिकायत थी कि वह हरिजन छात्रों को उनका वजीफा नहीं देता था इस पर उस लिपिक के विरुद्ध प्रिंसिपल ने कार्यवाही की । इसी पर नाराज होकर लिपिक ने रिपोर्ट कर दी कि मुझे प्रिंसिपल ने चमार शब्द कहा जिसके कारण प्रिंसिपल जेल में बन्द है । इसका आज नतीजा यह है कि कोई अधिकारी कार्य करने की हिम्मत नहीं करता है । इस अधिनियम की धारा 3, 4, 7, 8 और धारा 14 में गैर जमानती वारण्ट जारी होता है जो एक संज्ञेय अपराध माना गया है । सामान्यतया किसी भी मामले में जब एफ०आई०आर० दर्ज होती है तो उसकी विवेचना होती है तब उसके बाद उस पर कार्यवाही होती है लेकिन इस धारा में बिना विवेचना के ही संबंधित व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है । इस ऐक्ट का बहुत ज्यादा दुरुप्योग हो रहा है । अगर आप इसके दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर प्रदेश के अन्दर कौन व्यवस्था करेगा इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह ऐक्ट प्रमोशन आफ एट्रोसिटीज के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगा हुआ है । माननीय वर्मा जी पर लगा हुआ है (व्यवधान) उच्च न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित किया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं (व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जैसा कि आपको भी जानकारी है और मुझे भी जानकारी है, माननीय सदन इस बात को जानता है कि यह ऐक्ट 1979 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया (व्यवधान) उस समय जो केन्द्र में सरकार थी वह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । कांग्रेस पार्टी ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वी० पी० सिंह जी की सरकार थी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस समय जहां तक मुझे स्मरण है माननीय वी० पी० सिंह जी कांग्रेस में थे (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

यह क्रान्तिकारी कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था कि इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग पर जिसके साथ आये दिन अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए इस ऐक्ट की आवश्यकता महसूस की गयी । आज की बातों को देखकर ऐसा लगता है उस समय की सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क था । यह पहली सरकार है भाजपा और बसपा की जिसने इमानदारी से इस ऐक्ट को लागू किया है ।

जहां तक उत्पीड़न का सवाल है मान्यवर, दिनांक 16-3-97 से 30-6-97 तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल 1600 मुकदमें दर्ज हुए और वर्ष 1996 में इसी अवधि में 1737 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार वर्ष 1995 में इसी अवधि में 2767 मुकदमें दर्ज हुए हैं। पूर्व वर्षों की तुलना में वर्तमान शासन काल में इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये जाने वाले मुकदमों की संख्या कम है। तो इससे स्पष्ट है कि किसी पर फर्जी मुकदमें दर्ज नहीं हुए हैं, किसी को फर्जी मुकदमों में नहीं फंसाया गया है। इसके बावजूद भी सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। इस बात के निर्देश जारी किये गये हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इस ऐक्ट के अन्तर्गत फर्जी तरीके से मुकदमें में न फंसाया जाय। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं लगाया जाना चाहिये कि लोग उत्पीड़न करते रहें और उत्पीड़न बर्दाश्त किया जाता रहे। इस ऐक्ट की मंशा के अनुरूप सरकार कार्यवाही कर रही है। जहां पर आवश्यकता है वहां निश्चित तौर पर कोई समझौता सरकार करने वाली नहीं है। यह निमय 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। जो आरोप लगाये गये हैं वे निराधार हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवतीरमण सिंह, माननीय अशोक बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 3(X) के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसको निरस्त करता हूं। (शोर)

डा० अशोक बाजपेयी–

यह सरकार हरिजन ऐक्ट में निरपराध लोगों को फंसा रही है। हरिजन ऐक्ट के दुरुपयोग के विरोध में हम सदन से त्याग करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन से चले गये)

श्री अध्यक्ष–

अंगली सूचना श्री समरपाल सिंह और श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की हरिद्वार में लाखों की संख्या में कांवरियों को सुविधायें न देने के बारे में हैं। यह नियम 3(X) में नहीं आती है, इसको निरस्त किया जाता है।

अगली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कर्मचारियों को उच्चीकृत वेतनमान न दिये जाने के बारे में हैं, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको निरस्त किया जाता है।

अगली सूचना, श्री अम्बरीष कुमार राम सिंह, सैनी, श्री संजय सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री मुन्ना सिंह चौहान की सूचना भी कांवरियों को सुविधा न दिये जाने के बारे में है इसको निरस्त किया जाता है।

एक सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जन प्रतिनिधियों के अधिकार एवं सम्मान के संबंध में हैं। यह नियम 300 में नहीं आती है। इसको निरस्त किया जाता है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन 1994 संख्या–2 (वाणिज्यिक)†

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह बसपा और भाजपा की पहली सरकार है । मान्यवर, यह दूसरी सरकार है । पहली सरकार की छीछालेदर हो चुकी है और जल्दी ही दूसरी सरकार की छीछालेदर होने वाली है ।

श्री अध्यक्ष–

तकनीकी दृष्टि से यह पहली सरकार है । पहले वाली सरकार का केवल एक दल का बाहर से समर्थन था ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह केन्द्रीय अधिनियम है और इन्हीं की सरकार केन्द्र में है । मैं चुनौती देता हूं कि अगर इनमें ताकत हो तो केन्द्र से इस ऐक्ट को बदलवा दीजिये, समाप्त करवा दीजिये । (शोर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

यह कानून बदला जायेगा ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1995 संख्या–2 (वाणिज्यिक) †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1996 संख्या–2 (वाणिज्यिक) †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1995 (सिविल) संख्या–3 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–3 उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे 1994-95 एवं विनियोग लेखे 1994-95 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे 1994-95 एवं विनियोग लेखे 1994-95, उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1996 संख्या–3 (सिविल) †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त लेखे 1995-96 एवं विनियोग लेखे 1995-96 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे 1995-96 एवं विनियोग लेखे 1995-96, उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन 1995 संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां), उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन 1996 संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां), उत्तर प्रदेश सरकार को ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 ††

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक को 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन-प्रस्ताव में चर्चा की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव में हम लोग और जो माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं कि पर चर्चा की मांग करते हैं। मान्यवर, आप देखें सामान्य बजट पर चर्चा होनी

---

† छापे नहीं गये।

है । मेरा आपसे निवेदन है कि अगर चर्चा की मांग कार्य-स्थगन में होती है तो उसे न लिया जाय । जब चर्चा होनी है तब उसमें काफी समय मिलेगा । इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अमर मणि–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के द्वारा हम आपके सामने अपनी समस्या लाते हैं । इसमें समय मिलना चाहिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है उस पर विचार कर लें और यह भी देख लें कि एक दिन में कितने बजट रखे गये हैं और कितने लोग बोल पायेंगे कितने नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक है कि बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो सामान्य चर्चा में कहे जा सकते हैं लेकिन फिर भी नियम–५६ की जो सूचनायें होती हैं या और जो सूचनायें प्राप्त होती हैं जिनको मैं नियम–५६ में परिवर्तित कर देता हूं । उस पर जो प्रक्रिया नियमावली में नियम दिये हैं उसके अनुसार कार्यवाही होती है । उसी के अनुरूप में इन सूचनाओं को ले रहा हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों का मामला है । पहले पांच सूचनायें ग्राह्यता पर सुनी जाती हैं, शेष पांच पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है । पहली जो पांच सूचनायें हैं उसमें स्थिति इस प्रकार है– आज दिनांक 29-7-97 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–५६ में परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार नियम–५६ के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध की गई हैं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जायगा । पहली सूचना जो मेरे पास है इसमें कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं मेरा निवेदन है कि पहले दो माननीय सदस्य बोल लें । कौन दो माननीय सदस्य बोलेंगे यह आप तय कर लें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, नाम पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है पहली सूचना में जो नाम हैं वह इस प्रकार है सर्वश्री अशोक बाजपेयी, राम सिंह सैनी, ओम प्रकाश, राम तेज यादव एडवोकेट, अम्बिका चौधरी, रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, राम औतार शाक्य, राम प्यारे, अम्बरीष कुमार, महेन्द्र कुमार, श्रीमती उर्मिला यादव ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 28 जुलाई को हरदोई जनपद के मल्लावां कस्बे में मल्लावां नगरपालिका की बैठक में पार्षद तकदीर हुसैन, जो समाजवादी पार्टी के थे, हिस्सा लेने गये वहां उनकी हत्या कर दी गई । गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई । श्रीमन्, मल्लावां बस्ती के नेता, मल्लावां क्षेत्र के मेयर श्री अजय मुंशी ने, जो बसपा के नेता थे नगर पालिका परिसर में उनकी हत्या कर दी । श्रीमन्, ताहिर हुसैन जो मल्लवां कस्बे के सम्भ्रान्त नागरिक हैं, उनके यहां अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा था, जब तकदीर हुसैन ने इसके लिये मना किया तो बसपा के नेता ने पालिका परिसर में

समाजवादी पार्टी के नेता जो मल्लावां के पार्षद थे तकदीर हुसैन उनको गोली मार दी गई । संडीला में समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्यायें की जा रही हैं । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने का कार्य किया जा रहा है । अभियुक्त स्वतंत्र घूम रहे हैं अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जनजीवन में आक्रोश व्याप्त है । लोग असुरक्षित हो गये हैं । सईद की हत्या संडीले में बसपा नेताओं द्वारा की गई । कोई नगरपालिका परिसर में नगरपालिका की बैठक में भाग लेने जाये और परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी जाए, तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी ? इस सरकार के हाथ खून से सने हैं । यह सरकार निरन्तर निर्दोष लोगों की हत्यायें कराने का काम कर रही है । यदि सरकार की मंशा ऐसी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में लोगों की जान कैसे बच पाएगी ? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया है । मुख्य मंत्री जी की सारी घोषणायें कपोल-कल्पित है शासन के कान पर जूं नहीं रेंगती है । हत्यारे निर्वाध रूप से स्वच्छन्द रूप से कार्य कर रहे हैं । उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । यह शासन के इशारे पर यह घटनायें हो रही हैं । प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और प्रशासन के अधिकारियों के हाथ अभियुक्तों तक नहीं पहुंच रहे हैं । एक सुनियोजित ढंग से सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्यायें की जा रही हैं । यह एक बहुत गम्भीर विषय है । आज पूरा हरदोई जनपद बेचैन है हरदोई नगर का जनजीवन आक्रोषित है । अगर ऐसे में कार्यवाही नहीं की गई तो हरदोई नगर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है । कोई दुर्घटना हो सकती है । अभी तक तकदीर हुसैन के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है । अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वहां पर लोगों के मन में भय और बेचैनी व्याप्त है । वहां पर कोई भी जन-आन्दोलन खड़ा हो सकता है । उसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का काम करेगी, बर्बर लाठी चार्ज करवायेगी तथा निर्दोष लोगों को जेलों में बन्द करवाने का कार्य करेगी । यह सरकार गूंगी और बहरी सरकार हो गयी है । निरन्तर सपा के नेताओं की ओर कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं । यह सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवा लें तथा इस सरकार को निर्देश दें कि तत्काल अभियुक्तों को पकड़ा जाय तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए ।

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

श्रीमन्, जब से सदन चल रहा है और जब से यह सरकार सत्तासीन हुई है बराबर हम अपनी बात को सदन में कह रहे हैं कि यह सरकार संवेदनहीन सरकार है यह बदले की भावना से कार्य कर रही है । जब से यह सरकार सत्तासीन हुई है 200 से अधिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है उनके नेताओं की हत्या की गई है । जो मल्लावां में घटना घटी उसी तरह से कल संडीला में घटना घटित हुई । सरकार की तरफ से संसदीय कार्य-मंत्री जी कह देते हैं कि यह सरकार पारदर्शी और संवेदशील सरकार है तथा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जायगा । किसी को बक्शा नहीं जाएगा । जो लोग समाजवादी पार्टी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी साजिश के तहत हत्या की जा रही है । इस सरकार का दामन उनके खून से सना हुआ है । मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण पर चर्चा करा ली जाए तथा यह जो गूंगी और बहरी सरकार है उसको आप निर्देश दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इसी तरह की एक घटना मेरे क्षेत्र की है मुझे भी एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपके दस्तखत इस सूचना पर नहीं हैं आपको नियम 56 के अन्तर्गत सुना जा सकता है ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे भी इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं । मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, यह घटना की चर्चा आपके सामने की जा रही है उसी तरह की घटनायें उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, जहां न घट रही हों । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कत्ल किया जा रहा है । यह बहुत ही घृणित और जघन्य कार्य इस बसपा और भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर जवाब देंगे लेकिन उनके जवाब से कोई संतुष्ट नहीं होगा । बहराइच में पखरपुर में सच्चिदानन्द पाण्डे शिवपुर के सब्बीर हुसैन की हत्या कर दी गई । इसी तरह से मल्लावां के तकदीर हुसैन को मारे जाने की घटना है । आप चाहे मेरठ, सहारनपुर, इटावा, बहराइच, फैजाबांद, इलाहाबाद किसी जगह की बात करें सब जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार सुन रही है लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, कोई निर्णय लेने के लिये तैयार नहीं है । मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि सरकार यह जबाव देना बन्द कर दे कि सबको न्याय मिलेगा, यह बड़ी संवेदनशील सरकार है और दूध का दूध का और पानी का पानी अलग कर देगी मुझे तो लग रहा है कि यह खून को ही पानी कर दे रही है । यह महत्वपूर्ण प्रकरण है इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री ओम प्रकाश जी और डा० अशोक बाजपेयी जी ने जो बातें कही हैं मैं उसका रिपीटीशन नहीं करूंगा । मैं उसी सूचना पर दूसरी बात कहना चाहता हूं । श्री तकदीर हुसैन सभासद की जो हत्या मल्लवां में हुई है वह एक सम्भ्रान्त परिवार के हाजी नबी साहब के लड़के थे और उनकी आयु 45 वर्ष थी । दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई जिस समय उनकी हत्या हुई वह चबूतरे पर बैठे हुये थे और जनता की बात कर रहे थे, जिन लोगों ने हत्या की वह एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं । मान्यवर, आप रोज यहां जो सवाल उठाये जाते उनको सुनते हैं और इन्हीं प्रश्नों को लेकर विधान सभा स्थगित होती रहती है । आज सत्ता पक्ष के लोग दिन दहाड़े हत्यायें कर रहे हैं, इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है । श्रीमन्, सरकार हमेशा यह कहती रहती है कि अविलम्ब और प्रभावी कार्यवाही करेंगे लेकिन उनके कार्यकर्ता पुलिस के दायरे से निकल गये आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और सारे प्रदेश में यही स्थिति है, हत्यायें रोज हो रही हैं लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है । इसलिये सारे प्रदेश की जनता उद्वेलित है । आप सरकार को प्रताड़ित करें, शासन को नियंत्रित करने के लिये कोई निर्देश दें यह सरकार आपके नियंत्रण के बाहर है और आपके निर्देशों का पालन नहीं कर रही है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है । समाजवादी पार्टी के 200 से अधिक कार्यकताओं की हत्या हो गयी और चिन्ता का विषय है कि ये हत्यायें या तो सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रही हैं या फिर सत्ता पक्ष के द्वारा अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण से हो रही हैं । अभी कल संडीला के मामले में जिसमें सईद अन्सारी की 20 जुलाई, 97 को हत्या हुई थी, उस पर चर्चा हुई और कल ही हरदोई जिले में तकदीर हुसैन, पार्षद की दिन दहाड़े हत्या हुई जब वह जनता की समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे, उस समय घटना हुई । यही नहीं मेरे जनपद फैजाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र सुहावल के थाना पूरे कलन्दर में दुखीराम कोरी जो कि दलित समाज का है, परसों चाकू घोंपकर उसका पेट चीर दिया गया क्योंकि वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था वह मायावती जी की जाति का नहीं था, कोरी विरादरी का था । श्रीमन्, यह सरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह का सन्देश देना चाहती है ? यह गम्भीर मामला है लेकिन सरकार इसको गम्भीरता पूर्वक नहीं ले रही है इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को कड़े निर्देश दें कि इस तरह की जो हत्यायें हो रही हैं उनका सिलसिला बन्द किया जाये । यह सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रही है । श्रीमन्, समाजवादी पार्टी दब नहीं सकती क्योंकि वह इतनी आगे निकल गयी है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर भी इस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । इसलिये सरकार अपनी हरकतों से बाज आये और समाजवादी पार्टी के लोगों की जो हत्यायें हो रही हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो । मैं मांग करता हूं कि यह सरकार और मुख्य मंत्री मायावती इस्तीफा दे दें । मान्यवर, इस गम्भीर मामले पर माननीया मुख्य मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, सदन में आकर जवाब दें । मैं मुख्य मंत्री जी के बर्खास्तगी की मांग करता हूं ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्या प्रमोद कुमार जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गये हैं, क्योंकि वह उधर जाकर बैठे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जहां भी जायेंगे, भाई चन्द्र नाथ सिंह को साथ लेकर ही जायेंगे, हम उनकी तरह कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी कभी नहीं ज्वायन करेंगे ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह 25 तारीख की घटना है, जिसमें मल्लावां नगर परिषद् के सदस्य की हत्या हुई । वहां कुछ कहा सुनी मृतक और अभियुक्तों के बीच हुई, जिसको लेकर हत्या कर दी गयी । जहां तक सरकार द्वारा कार्यवाही करने का सवाल है, उसमें अपराध संख्या 202/97 के अन्तर्गत तथा 302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक एस० एस० आई० श्री सत्य नारायण गुप्ता ने जांच प्रारम्भ कर दी है । जहां तक इस बात का बहुत हल्ला मचाया जा रहा है कि जो अभियुक्त हैं, वह बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी सदस्यों का कहना है, इसके संबंध में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अभी तक जो जानकारी मेरे पास है, उसके आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह दोनों लोग मृतक और अभियुक्त, दोनों का किसी राजनैतिक दल से कोई वास्ता नहीं है । परन्तु हत्या हुई है, इसको सरकार ने गम्भीरता से लिया है और तत्काल एफ० आई० आर० हुई है । सरकार पूरी तत्परता से इस मामले को ले रही है । नियम–56 के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाय और जो भी उत्पीड़न संबंधी सरकार के ऊपर आरोप लगाये गये हैं,उन सभी का मैं खण्डन करता हूं तथा घोर प्रतिवाद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना के संबंध में माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सरकार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जान बूझकर हत्या करा रही है और सरकार की ओर से सही उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है,इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्य सदन में सोये रहते हैं, कृपया वह इस सदन का इस काम के लिये इस्तेमाल न करें, यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष–

अमर मणि जी, जिस मामले की आपने सूचना दी है, वह तो 8/9 जुलाई की घटना है, इसमें तात्कालिकता भी नहीं है ।

* श्री अमर मणि–

मान्यवर, गोरखपुर जनपद में गत महीने में बैंक डकैती, पेट्रोल पम्प डकैती और कम से कम दस निरपराध व्यापारियों की हत्या करके उनका पैसा लूट लेने की घटनायें हुई हैं जिससे पूरी तरह से गोरखपुर में शासन व्यवस्था लुन्ज पुन्ज हो गयी है । जो जिसको चाह रहा है उसकी हत्या हो जा रही है और लूट लिया जा रहा है ।

मान्यवर, इस संबंध में मुझे आपको अवगत कराना है कि 8/9 जुलाई की शाम तीन ऐसे व्यक्ति जिनका कभी कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है, पुलिस केवल अपने लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिये और सरकार के सामने अपना चेहरा साफ करने के लिये तीन ऐसे निरपराध व्यक्तियों को, जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं रहा है, उनको पुलिस यह कहकर कि तीन जगह राहजनी किया है, ले गयी और रामगढ़ ताल ऐसी निर्जन जगह पर ले जाकर वरिष्ठ एस० एस० पी० के नेतृत्व में, वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तीन थानाध्यक्षों ने इन तीन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया । उनके परिजनों से पूछने पर पता चला कि अपराध से कभी उनका कोई लेना देना नहीं रहा । दीपक श्रीवास्तव, संजय जायसवाल और कल्लू जैसे लोग मारे गये हैं । मान्यवर, वहां पर अपराधियों का इतना बोलबाला हो गया है कि ओम प्रकाश पासवान की हत्या हो गयी और वरिष्ठ अतिमहत्वपूर्ण तमाम लोगों की हत्या हो गयी और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में घूम रहे हैं और पुलिस ऐसे लाचार, बेबस इन्सानों की हत्या कर रही है । यह बहुत ही संवेदनशील विषय है इस पर आप तुरन्त कोई कार्रवाई करायें, इसमें अभी तक कोई मैजिस्टीरियल जांच नहीं की गयी है । मैं इस सदन से और संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे संवेदनशील विषय पर कड़ाई से कार्रवाई करायें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जैसे दिल्ली में कनाट प्लेस में तीन निर्दोष व्यापारियों की हत्या हुई थी उसी तर्ज पर गोरखपुर में भी हत्या की गयी है । मान्यवर, आज-कल स्थिति यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक अपनी नौकरी को नहीं बचा पा रहे हैं जब तक वह सरकार को यह न बता दें कि कितने इनकाउन्टर हुए हैं । मान्यवर, यह जो हत्या हुई है इसमें बहुत गम्भीर बात सामने आयी है यह मैं यहां कहना चाहता हूं इस बात का विश्वास न किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, कार्रवाई नहीं चल रही थी उसके बाद हत्या हुई है तो आपकी आत्मा में भी कम्पन होना चाहिये और हमारी आत्मा में भी । मान्यवर, इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दें और उसकी रिपोर्ट आप सदन समाप्त होने से पहले, 12 अगस्त के पहले अगर आप जांच से अवगत करा देंगे तो सच्चाई सदन के सामने आ जएगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज जब यह प्रकरण शुरू हुआ तो मैं तो यह सोच रहा था कि आज माननीय सदस्य, जो गोरखपुर की पुलिस ने बहादुरी का काम किया है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देंगे । उनकी सराहना करेंगे परन्तु मान्यवर, यह सुनकर बहुत दुःख हुआ कि माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तियों की पैरवी कर रहे हैं जिनका लम्बा अपराधिक इतिहास है । मान्यवर, संजय कुमार जायसवाल के विरुद्ध ज्यादा नहीं मात्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

15 मुकदमें विभिन्न अपराधिक धाराओं में पंजीकृत हैं, और अभियुक्त कल्लू के विरुद्ध 11 मुकदमें, दीपक श्रीवास्तव के विरुद्ध 6 मुकंदमें विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दफा बता दें और तारीख बता दें ? कोई अपराधी भी है तो जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध न हो जाए उसे अपराधी नहीं माना जा सकता।

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

यह बता दें कि किस-किस मुकदमें में सजा हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

सूचना में कहा गया है कि इन लोगों के विरुद्ध कोई आज तक मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो मुकदमा दर्ज है उसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

यह रात में पुलिस मुठभेड़ हुई है पुलिस के ऊपर गोली चलायी गयी पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया उनके पास से नाजायज अस्त्र आदि भारी मात्रा में बरामद हुए। जो माननीय सदस्य की चिन्ता है कि गोरखपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, वहां पुलिस सतर्क है और पुलिस की सतर्कता का ही परिणाम है कि ऐसे बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है। मान्यवर, यह 8/9 जुलाई की घटना है यह तात्कालिक नहीं है। वहां पर कहीं कोई रोष व्याप्त नहीं है। यह सूचना नियम 56 की परिधि में नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अमर मणि को और सूचना के समर्थन में श्री प्रमोद कुमार को एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सूचना अविलम्बनीय नहीं है न तात्कालिक है। इसलिये इसको नियम 56 में अग्राह्य घोषित करता हूं।

अगली सूचना श्री विजय पाल सिंह की है। श्री सिंह उपस्थित नहीं हैं उनकी सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

अगली सूचना श्री समर पाल सिंह व अन्य की है जो मेरठ जिले के नालों की सफाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री समरपाल सिंह की है नियम 56 में दूसरी सूचना मेरठ विकास प्राधिकरण से संबंधित है। इस तरह से नियमानुसार 2 सूचनायें नहीं दे सकते हैं जिस पर आप कहेंगे वह मान ली जायेगी दूसरी निरस्त हो जायेगी।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, इस सूचना पर जो नालों के सफाई के संबंध में है दूसरे हस्ताक्षरकर्ता सदस्य श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना बोलना चाहते हैं।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, हमारे यहां जो नाले हैं उसकी सफाई आज तक नहीं हुई है अब जब वर्षा शुरू हो चुकी है वहां पर जल भराव की समस्या पैदा होगी। इससे खेतों में जल भर जाता है किसानों की तमाम फसल बरबाद हो जाती है दूसरी तरफ गांव में भी पानी भर जाता है। हमारे यहां असारा गांव में एक बच्चे की मौत इस तरह से हो चुकी है मकान के गिर जाने से। इस तरह की और भी आशंकायें बनी हुई हैं

सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । जब तक नालों की सफाई नहीं होगी तब तक लोगों का जनजीवन वहां अस्त-व्यस्त रहेगा । वहां तत्काल नालों की सफाई सरकार करावे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, इसमें न तो कब की बात है उसका उल्लेख है और इसकी तात्कालिकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि नगर का मामला है या देहात का मामला है । कोई स्पेसिफिक नहीं है । इसके बावजूद भी सरकार सचेष्ट है । चाहे सिंचाई विभाग से संबंध में हो चाहे नगर विकास की बात हो, जिस विभाग से संबंधित नाले हैं उसके लिये कार्य योजना होती है । उसके तहत सफाई होती है । बाढ़ और जल भराव को रोकने के लिये समुचित व्यवस्था की गई है । सरकार द्वारा इसमें तत्परता से कार्यवाही की जाती है । यह नियम 56 में नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 56 में अग्राह्य की जाती है ।

अगली सूचना श्री अम्बरीष कुमार की व श्री मुन्ना चौहान की प्रदेश के उत्तराखण्ड के विभिन्न तीर्थ स्थलों के संबंध में है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पूरे विश्व के श्रृद्धालु उत्तराखण्ड के चारों धामों की यात्रा के लिये आते हैं और उससे नगर क्षेत्र में प्रवेश के लिये प्रवेश शुल्क लगा हुआ है इससे लोगों को परेशानी बढ़ी है और गरीब जातियों पर करों का बोझ भी है महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड गये थे सभी लोगों ने मिलकर उनसे आग्रह किया था कि प्रदेश शुल्क को समाप्त किया जाय । यह लगभग 30 रुपये प्रति यात्री कर देना पड़ता है । इससे नगर क्षेत्रों को जो संसाधनों की हानि हो उसकी क्षति पूर्ति सरकार करे । मान्यवर, इसके हटाने के बारे में सदन में चर्चा हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री के दर्शन के लिये लोग वहां जाते हैं । यह शुल्क प्रदेश के माथे पर कलंक है हर 9-10 किलोमीटर पर यह लगता है । जो उत्तराखण्ड के लिये बजट जा रहा है उसमें इसका प्राविधान किया जाय ताकि जो नगर क्षेत्र संस्थाओं को इसके समाप्त होने से हानि हो उसकी भरपाई हो सके । इससे उत्तर प्रदेश का नाम उज्जवल होगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

अभी हमारे साथी अम्बरीष जी ने इसे कहा । जो वहां पर्यटक आते हैं चारों धामों की विशेष रूप से यात्रा करते हैं इस प्रवेश शुल्क के कारण जो समय बरबाद होता है उसकी ओर हमारे साथी ने प्रकाश डाला है ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुए)

श्रीमन्, आज इस प्रदेश का ही नहीं विश्व से, हिन्दुस्तान के कोने-कोने से इन तीर्थ स्थानों में श्रद्धालु आते हैं । आज एक गाड़ी हरिद्वार से चलती है और इन तीर्थ स्थानों तक पहुंचते-पहुंचते 15 से 18 बार प्रवेश शुल्क, चुंगी, ट्रांजिट फीस के नाम पर अनेक कर देने पड़ते हैं । इसलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है । मान्यवर, जहां एक तरफ हिन्दुस्तान के कोने-कोने से वहां श्रद्धालु जाते हैं वहीं उन पर एक गलत तरीके का वहां का खाका उनके दिमाग में बनता जा रहा है कि उनका शोषण किया जा रहा है । लेकिन दूसरी तरफ ऐसी परिस्थितियां किस लिये हुईं । जब उत्तराखण्ड के अन्दर लाखों श्रद्धालु जाते हैं तो छोटी-छोटी टाउन एरियाज पड़ती हैं जिनके आय के कोई साधन नहीं हैं किन्तु पर्यटकों को हैंडिल करने के लिये प्रकाश, पानी आदि अनेक व्यवस्थाएं करने के लिये उनके पास पैसा नहीं है जिसके उनके सामने मजबूरी है कि इन मिनिमम सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिये कर लगाने पड़ते हैं । इसलिये प्रदेश सरकार को उत्तराखण्ड के संबंध में चिन्ता होनी चाहिये कि जो छोटे-छोटे स्थानीय निकाय हैं उन्हें पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु संसाधन उपलब्ध कराये जायें । मान्यवर, यदि सरकार स्थानीय

निकायों को सफाई, पानी, बिजली और ड्रैनेज की व्यवस्था को ठीक करने के लिये धन उपलब्ध करा दे तो वहां जाने वाले पर्यटकों को करों के बोझ से बचाया जा सकता है । इसलिये इस लोक महत्व और अविलम्बनीयता के प्रश्न पर आप सरकार को निर्देश दें कि वह तत्काल आदेश निर्गत करें कि जिस नगर पालिका या टाउन एरिया को टैक्स हटाने में जो क्षति होगी उसकी यह सरकार क्षतिपूर्ति करेगी । इसलिये इस प्रश्न पर आप चर्चा कराने की कृपा करें जिससे उत्तराखण्ड के अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार रख सकें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इन नगर पालिकाओं की चुंगी समाप्ति के बाद जो जर्जर स्थिति सभी निकायों की बनी है उसको देखते हुए वर्ष 1993 में इस तरह का प्रवेश शुल्क लगाने की दर निर्धारित करने के आदेश जारी किये गये । उसके अनुसार आज स्थानीय निकायों की स्थिति यह है कि उनके जो कर्मचारी हैं उनको वे वेतन नहीं दे सकते हैं अपने संसाधनों से । इसलिये उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये यह कदम उठाया गया है । मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि टैक्स बन्द किया जाता है तो वे प्रतिपूर्ति की मांग सरकार से करेंगे और सरकार के अपने सीमित संसाधन हैं । इसलिये यह टैक्स सरकार ने लगाकर स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाया है और उन्हें सुदृढ़ किया है जिससे वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें तथा नागरिकों को जरूरी सुविधायें उपलब्ध करा सकें । मान्यवर, जिस बात की चिन्ता माननीय सदस्य को है उसको दूर करने के लिये ताकि वहां यात्री जायें, उनको पेयजल, बिजली आदि सुविधायें उपलब्ध हो सकें इसलिये यह टैक्स लगाये रखना आवश्यक है । इस प्रकार इस प्रश्न की न तो तात्कालिकता है और न नियम–56 में आता है, इसलिये आप इसको अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अम्बरीष कुमार जी व श्री मुन्ना सिंह चौहान जी को ग्राह्यता पर सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना । इस सूचना में कोई अविलम्बनीय महत्व की बात नहीं है इसलिये यह कार्य स्थगन को अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद व श्री समरपाल सिंह जी के खड़े होने पर)

एक दिन में एक माननीय सदस्य नियम–56 के अन्तर्गत एक ही सूचना दे सकता है । इसलिये माननीय अध्यक्ष जी आपकी सूचना को अग्राह्य कर चुके हैं, इसलिये मैं अब उसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

शेष जो सूचनायें हैं,उनमें से श्री दलबीर सिंह जी की सूचना, डाक्टर कौशल किशोर जी की सूचना, श्री वीरेन्द्र सिंह जी की सूचना, श्री समरपाल सिंह जी की सूचना, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना और श्री विनोद मणि जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक स्पष्टीकरण दे दें कि अगर प्रवेश शुल्क एबोलिस कर दिया जाता है तो उससे सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप किसी और नियम में इसे दे दें । स्पष्टीकरण की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

* श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, बजट के आधार के बाद जो तथ्य संज्ञान में आये हैं, उसके अनुसार हमारा प्रदेश शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, सिंचाई से लेकर बिजली आदि अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इस लिहाज से कृषि के लिये हमें कुछ करना है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के लिये, ट्यूबवेल्स की नालियों की सफाई करने के लिये बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, वह सराहनीय है परन्तु मौजूदा स्थिति यह है कि नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिस कारण उसका जो कमान्ड एरिया है, उसकी सिंचाई नहीं हो पा रही है और खेती के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। 70 प्रतिशत ट्यूबवेल्स की नालियां खराब पड़ी हैं, जर्जर अवस्था में हैं और पम्प्स से पानी पहुंच पा रहा है, इसलिये इस ओर ध्यान देने की विशेष जरूरत है।

मान्यवर, इस वर्ष को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह अच्छी बात है। परन्तु खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो असहायक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल हैं और वर्षों से मान्यता प्राप्त है उन्हें नियमित अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाय तभी हमारा यह शिक्षा वर्ष कामयाब माना जायेगा।

मान्यवर, क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये जो विशेष प्राविधान किये गये हैं और पूर्वांचल निधि में जो 92 करोड़ रुपये दिये गये हैं, वह पैसा आबादी के हिसाब से और जनपदों के हिसाब से बहुत कम है, इसलिये मेरा सुझाव है कि इस निधि को बढ़ाया जाय तभी पूर्वांचल का समग्र विकास सम्भव हो पायेगा। बिजली के बारे में भी बजट प्रस्ताव रखे गये हैं। आज भी 70 हजार गांव ऐसे हैं, जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है और जिन गांवों में विद्युतीकरण दिखाया गया है, उसमें से कई गांव ऐसे हैं, जिनमें 3/4 अधूरे विद्युतीकरण के कारण प्रभावित हैं। इन सभी गांवों में बिजली की समस्या है इस ओर सरकार ध्यान दे। बिजली के उत्पादन की आज बहुत आवश्यकता है, इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाय। भ्रष्टाचार की समस्या है, दफ्तरों में कमीशन की बात है, इसको तत्काल समाप्त करने के लिये सरकार प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार बिजली, खेती पानी, शिक्षा आदि चीजों की तरफ विशेष ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण आज 5.00 बजे हीरक जयन्ती समारोह का कार्यक्रम भी होना है और माननीय नेता सदन को भी प्रति उत्तर देना है। इसलिये समय का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में समय का पालन करेंगे तो अधिक से अधिक सदस्यों की भागीदार सामान्य चर्चा में हो सकेगी। इसलिये एक समय सीमा के भीतर, चार मिनट में, अपनी बात समाप्त करें। आज अंतिम दिन है इसलिये यह समय सीमा निर्धारित है।

---

† दिनांक 24-7-97 की कार्यवाही से आगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और गणतंत्र की 48 वर्षगांठ है। प्रदेश में 43 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। जिनके पास छत नहीं है रहने को, खाने को रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है। जो इतने दिनों तक सत्ता में रहे वे स्वाभाविक रूप से इसके लिये दोषी हैं। कांग्रेस इसके लिये दोषी है। आज छत्रपति शाहू जी के नाम का विरोध किया जा रहा है लेकिन उनके बाबा छत्रपति शिवाजी को लोग भूल गये जिन्होंने मुगलों से जमकर लोहा लिया था और हिन्दू साम्राज्य स्थापित किया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने स्थापना के समय से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण अत्यन्त श्रद्धा से किया है। हम उनका सम्मान करते हैं और आपसे मांग करते हैं कि आगरा जनपद के बिजलीघर चौराहे पर उनकी एक आदम कद प्रतिमा लगायी जाय। मान्यवर, आगरा में 20 जुलाई को दंगा हुआ और इसे साम्प्रदायिक दंगा का नाम दिया गया। सदन के कुछ मित्रों को तो कोई भी दंगा हो वह साम्प्रदायिक दंगा नजर आता है। बिल्ली को तो सपने में भी छीछड़े नजर आते हैं मान्यवर, जाटव समाज में मेरी अच्छी जान पहचान है। टीला नन्द राम चन्द्रभान जाटव समाज के हैं। उनके पुत्र जो कौशल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक है चन्द्र भान 75 वर्ष एवं उनके पुत्र श्याम जो आगरा के बाहर थे इसी प्रकरण में उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि उसके विरुद्ध जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाय। मान्यवर, 13.381/1984 को एक सिविल याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी थी एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने 7 अगस्त, 1996 को आदेश दिये हैं उसके मुताबिक ताज से 200 मीटर की दूरी तक के भवन ध्वस्त कर दिये जाये। मान्यवर, वहां की आबादी 30 हजार की है। वहां पर 70 प्रतिशत मुस्लिम हैं जो कि 21 हजार होते हैं। उसमें यह कहा गया कि एक मस्जिद को छोड़कर सभी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद ध्वस्त कर दिये जायें। इसके अन्तर्गत 43 मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे ध्वस्त किये गये। 29 अक्टूबर, 1996 को मैंने उच्चतम न्यायालय में पैरवी की। 3 दिसम्बर, 1996 से 19 दिसम्बर, 1996 तक पैरवी की और समस्त मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद भवन टूटने से बच गये। तो जो यह लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उनको समझना चाहिये कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है वह है नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, आज आगरा में उद्योग धन्धे बन्द होने की कगार में हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय में 30 दिसम्बर, 1996 को आदेश दिये गये थे उसमें यह कहा गया था कोयले और कोक का प्रयोग दि० 30-4-97 से उन कारखानों के लिये प्रतिबंधित किया जाये जिन्होंने गैस एवं टी० टी० जेड के बाहर वैकल्पिक भूखण्ड के लिये प्रतिवेदन नहीं किया है। जो औद्योगिक इकाइकां कोक/कोल का प्रयोग नहीं करतीं उन्हें भी नोटिस दे दिये गये हैं,उन्हें वापस लिया जाय तथा दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध उद्योग एवं मजदूर हित में शासन याचिका दायर करें। इसी प्रकार से ईंट भट्ठों के बारे में भी एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी जाय। ताजमहल के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि यह सोमवार को बन्द रहता है और यह अवैध रूप से होता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को नुकसान हो रहा है और इससे राजस्व की भी हानि हो रही है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पुरातत्व विभाग को कहे कि इसे सोमवार को भी खोला जाय। लाइसेंस शुल्क के संबंध में

जो आदेश 27 अक्टूबर, 1994 तथा 7 जून, 1997 के हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध हैं अतः शासन इन्हें निर्देशित करे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, आगरा के अस्पताल में कैट स्केन की मशीन नहीं है । यहां पर चार डाइलेसिस की मशीनें दान स्वरूप मिली हैं लेकिन रसायन उपलब्ध नहीं है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस हेतु तीन लाख रुपया उपलब्ध कराये । विद्युत की आपूर्ति के लिये 24 घंटे आपूर्ति हो इसके लिये सरकार वचनबद्ध है लेकिन विद्युत आपूर्ति नहीं रही है । इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय । उ० प्र० शासन ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा संख्या 13381/84 में शपथ पत्र आगरा में 24 घंटे निर्देश विद्युत आपूर्ति हेतु दिया है, शासन अपने ही शपथ-पत्र का उल्लंघन कर रहा है । भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की जा रही है ।

आगरा जिला अस्पताल का नाम स्व० पं० दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाये । स्व० दीन दयाल उपाध्याय की जन्म स्थली नगला चन्द्र भान, फरहा, मथुरा आदर्श गांव एवं पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिये एक करोड़ रुपये बजट में प्राविधान किये जाये । पोस्टमार्टम गृह वातानुकूलित बनाया जाये ।

अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

* श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । आपने मुझे जो इस बजट के विरोध में बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।मान्यवर, गठबन्धन करने का उद्देश्य तो था, लेकिन सिद्धान्तों से गठबन्धन नहीं करना था बल्कि कुर्सी के लिये गठबन्धन किया है । दोनों पार्टियों ने कुर्सी के लालच में अपने सिद्धान्तों को बदल दिया है । मान्यवर, अपराध नियंत्रण कागजी साबित हुये हैं,निरपराधों पर गाज गिर रही है । तमाम दलित और गरीब सड़कों पर जो घूम रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमें चलाये गये हैं और सरकार नौकरशाही पर अंकुश नहीं लगा पा रही है । अधिकारियों की बात तो आप छोड़ दें, जो कलंक हैं उनके दिमाग आसमान को छू रहे हैं । यह बात जरूर हुई है कि बसपा के नाम पर एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गयी है । यह सरकार पट्टों की बात करती है, मैं कहना चाहता हूं कि सीलिंग से जो जमीन मिली है उसके अब तक पट्टे नहीं किये गये हैं । जो कमजोर लोग थे उनके मकान तक गिरा दिये गये हैं । इस तरह से पट्टा अभियान कोरा कागजी साबित हुआ है । यह सरकार जिसके कल का ठिकाना नहीं है, पूरे वर्ष का बजट पेश कर रही है । यह मुख्य मंत्री जी हैं जिनके बल पर जीत कर आयी हैं, उन के पेट में छुरा भोंकने का कार्य किया गया है, महिलाओं के पेट में छुरा भोंका गया है । जो कोरे आश्वासन सरकार देती है, उससे महिलाओं का भला होने वाला नहीं है । बिजली की बात कही गयी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसा गांव नहीं है, जहां पर शत प्रतिशत बिजली पहुंच रही हो आप इसकी जांच कर लें और देख लें, यह जो भाषण है [x x x]।

(माननीय सदस्य ने बजट भाषण की प्रति फाड़ी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट [xxx] यह अंश की अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, उसमें 70 प्रतिशत गांवों के विकास पर खर्च करने की बात कही है । जहां पर गरीब, निर्बल और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन गांवों को अम्बेदकर गांव का नाम दिया गया है । अम्बेदकर गांव कादराबाद को माना गया है, लेकिन वहां पर पानी की निकासी का नाला नहीं है, आने-जाने का साधन नहीं है औरंगाबाद गदाना में पानी भरा रहता है । पट्टी गांव में 33 के० वी० की बिजली लाइन हरिजन बस्तियों के ऊपर से गयी है, उसमें तार टूट जाने से कई जानवर मर गये । मो० पुर सुजानपुर में आने-जाने का साधन नहीं है । वहां की सड़क टूट गयी है, उसकी मरम्मत होनी चाहिये । धौलाना विकास खण्ड में इकौड़ी गांव है वहां पर आज तक आने जाने का साधन नहीं है डोमा टिकरी में स्कूल नहीं है, स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है । दौलतपुर टीकरी में पानी निकलने का कोई साधन नहीं है । अम्बेदकर ग्राम में थोड़ी बरसात में पानी भर जाता है पानी निकासी की व्यवस्था की जाये ।

लेकिन अम्बेडकर बस्तियों में जहां पर शराब के ठेके खोलने की मनाही है वहां पर आज भी यह ठेके चल रहे हैं जैसे धोलाना सैदपुर, सहदपुर, हुसैनपुर डीलना, शाहजहांपुर, भोजपुर, फरीदनगर आदि में शराब के ठेके बन्द नहीं हुये हैं । मेरा आग्रह है जिन गरीबों के उत्थान की बात हम करते हैं उन जगहों से शराब के ठेके तुरन्त हटाये जायें ।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी पाठशालायें है उनमें अध्यापकों को आवास भत्ता के नाम पर 75 रु० मात्र भत्ता दिया जाता है और नगर क्षेत्र में उन्हीं अध्यापकों को 300 रु० भत्ता मिलता है । इसके कारण अध्यापक सांठगांठ करके अपना स्थानान्तरण शहरों में करा लेते हैं । शहर में पब्लिक स्कूल चलते हैं और सरकारी स्कूलों में बहुत कम बच्चे होते हैं । अध्यापक उन पब्लिक स्कूलों के बच्चों का नाम लिख लेते हैं और रजिस्टर में संख्या दिखा देते हैं दूसरी तरफ गांवों में बच्चों की संख्या 300, 400 होती है और अध्यापक कम होते हैं, जिससे गरीब बच्चे सफर करते हैं । मैं मांग करता हूं कि आवासीय भत्ता गांवों में 300 रु० किया जाय और शहरों में 75 रुपया किया जाय ।

इसी तरह से अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति है । अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा केवल आंकड़ों में है वास्तविक रूप से यह नहीं है । इसे समाप्त किया जाय ।

स्थानान्तरण नीति में भी बड़ी अनियमिततायें हैं विद्युत विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है । शासन की नीति है कि एक जगह पर तीन साल से ज्यादा वितरण में कोई नहीं रहेगा । लेकिन गाजियाबाद में लोग 20, 20 साल से वितरण में जमे हुये हैं । एक श्री सुरेश कुमार अधिशासी अभियन्ता नगर गाजियाबाद में कई सालों से जमा हुआ है ।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों को राशन कार्ड में सस्ता अनाज देने की व्यवस्था है लेकिन मालदार लोग अधिकारियों से मिलकर राशन कार्ड बनाये हुये हैं और गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हैं । इसके लिये किसी भी जनप्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लिया गया है । अधिकारी और क्लर्क नियुक्त हुये हैं, वहीं पर इंस्पेक्टर हैं और वहीं पर ए० आर० ओ० हैं उनकी सांठ गांठ से गरीबों का शोषण हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया जाय । (लाल बत्ती)

आज मोदी नगर में उद्योग धंधे बन्द हो रहे हैं जिससे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं । मजदूरों को कैसे रोजी मिले इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । मिल मालिक मजदूर नेताओं से मिल कर फैक्ट्री अन्यत्र ले जा रहे हैं इस पर रोक लगाई जाय ।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्रीमती उर्मिला देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रही हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों के उत्थान का कोई कार्यक्रम नहीं है। मान्यवर, मैं मैनपुरी से घिरोरा क्षेत्र से आती हूं यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है आज भी वहां रास्ते बहुत खराब हैं। विद्युत का संकट अभूतपूर्व बना हुआ है। इस सरकार ने विकास के नाम पर पूर्व सरकार ने जो कार्य चला रखे थे उनको रोक दिया है। जो सड़कें राज्य योजना और जिला योजना में स्वीकृत थीं उनको धन न मिलने से काम रोक दिया गया है और इनका सारा पैसा अम्बेडकर गांवों के नाम पर खर्च कर दिया गया है।

विद्युत का यह हाल है कि गांवों में खम्भे टूटे पड़े हैं ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं जिसकी वजह से किसानों की फसल चौपट हो गयी है।

बेसिक शिक्षा की स्थिति भी बहुत दयनीय है। स्कूलों में पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं है उनके पद रिक्त हैं उनको भरने का कोई कार्यक्रम सरकार ने नहीं बनाया है।

अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है और न ही अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे गरीब लोगों का उपचार नहीं हो रहा है।

सरकार के इस बजट में किसानों के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है।

किसानों का आलू फिर सड़ेगा। गन्ना किसान फिर लुटेगा। मान्यवर, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के समाधान की कोई योजना सरकार की नहीं है। विधवा, वृद्ध, विकलांग और किसान पेंशन महीनों से रुकी पड़ी हुई है। नहरों, बम्बों और नालों की सफाई वर्षों से नहीं हुई है। आज भी नहरों और बम्बों की सफाई न होने से किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है और फसलें सूख रही हैं। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मान्यवर, निर्बल वर्ग आवास, दुर्बल आवास और इन्दिरा आवास एक जाति विशेष के लोगों को दिये जा रहे हैं। इस अंधी सरकार का ध्यान मैं दुखी जनता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं, धन्यवाद।

*श्री महेन्द्र सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इस सदन में पहली बार बजट के समर्थन में, बजट की सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्ति को लेकर मैं अपने गांव, जन सामान्य के बीच में पहुंचा हूं। मैंने इस प्रदेश में प्रशासन और शासन में उच्च पदों पर बैठकर देखा है। पिछले 2 साल में जन सामान्य के बीच में खड़े होकर देखा है। दोनों पक्षों को देखकर मैं यह कह सकता-हूं कि शासन प्रशासन की तरफ से जितने काम हो रहे हैं उसका जितना लाभ जनता को पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच रहा है। मैं बुलन्दशहर से चुनकर आया हूं वहां की समस्यायें वहां के नागरिकों की समस्यायें हैं। गुलावटी में नाले नालियों पटे पड़े हैं अतिक्रमण के नाम पर विकास कार्य हुआ है और विकास के लिये पैसा नहीं है। आई० एस० आई० की गतिविधियां लम्बी हैं। अपराध नियंत्रण में अच्छा काम हुआ है। पुलिस वालों ने बहुत मेहनत की है। उनकी बुराई भी होती है। चूंकि मैं पुलिस विभाग से संबंधित रहा हूं, अभी विपक्ष के माननीय सदस्यों ने गोरखपुर में जो इनकाउन्टर हुआ है उस संबंध में कहा कि पुलिस को पूछ लेना चाहिये था कि उनका कोई अपराधिक इतिहास तो नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पुलिस जन हममें और आप में से ही आते हैं यह कोई विदेश से इम्पोर्ट से यहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं लाये गये हैं उनके ऊपर आरोप लगाने से पहले सोचना आवश्यक है । मान्यवर, बार्डर रेंज बनायी गयी है पहली बार यह अच्छा काम हुआ है । भारत नेपाल बार्डर पर आई० एस० आई० की खतरा चल रहा है । पिछली सरकारों ने उसकी तरफ कार्यवाही नहीं की थी । जो वहां गांव में मदरसे हैं, मस्जिद हैं वहां आई० एस० आई० अपना जाल फैला रही है । वहां पर एक हबीब बैंक की शाखा बनायी है । आई० एस० आई० को पाकिस्तान सरकार ने स्मगलिंग करके, आर्म्स बेचकर और घिनौने तरीकों के काम करके पैसा इकट्ठे करके खर्च करने का हक दे रखा है । आई० एस० आई० की गतिविधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है । एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में एक बहुत पुरानी बीमारी है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है या कम करके लिखी जाती है । इसके लिये कोई सरकार अकेले जिम्मेदार नहीं कही जा सकती है ।

मान्यवर, यह आदेश दिये जायं कि रिपोर्ट जरूर लिखी जाय अगर थाने में मनाही हो तो...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

* श्री रामजग–

मान्यवर, 22 तारीख को हमारे सदन की नेता सुश्री मायावती जी ने वर्ष 1997-98 का बजट पेश किया है । बजट का अगर गहनता से अध्ययन किया जाय तो उसमें साफ झलकता है कि यह बजट किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है । इन्होंने अपने बजट में भारतीय जनता पार्टी की तर्ज के आधार पर जैसा उनके शासनकाल में उन्हें अयोध्या दिखाई देता था, मंदिर, मस्जिद दिखाई देता था प्रदेश की जनता उनके जेहन में नहीं थी । उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के नेता अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के दलितों के विकास की बात तो जरूर करते हैं लेकिन उसके लिये कोई बुनियादी नीति नहीं है । किसानों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । कारखाने बन्द हो रहे हैं, उनके विकास के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है । नये कारखाने खोले नहीं जा रहे हैं ।

किसानों का जहां तक सवाल है अगर वह आलू पैदा करेगा तो आलू ज्यादा होगा । आप मालिकों के पक्ष में खड़ी हो जायेगी किसानों का सारा आलू सड़ जायेगा । विद्युत की समस्या है । आज गांवों में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है जिससे धान की रोपाई प्रभावित हो रही है । यह बी० जे० पी० और ब० स० पा० की सरकार में किसानों को बिजली की परेशानी हो रही है । उद्योगों की हालत बहुत बुरी है । किसी भी प्रदेश का विकास वहां के उद्योग पर आधारित होता है । उत्तर प्रदेश का विकास रुका हुआ है । इसको आगे बढ़ाने का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाई देता है जिससे प्रदेश की उन्नति हो । आज हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री का सारा समय परिवर्तन चौक, अम्बेडकर उद्यान में खत्म हो रहा है । उसमें 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो गया है । अम्बेडकर जी की भावनाओं का सम्मान तब होता जब आप गांव में दलित गरीबों के लिये रोजी-रोटी की व्यवस्था करते । उनका जीवन स्तर ऊपर उठाते । लेकिन यह काम नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामजग–

मान्यवर, चार पांच मिनट में कोई दल का नेता क्या बोलेगा ? जब कोई दल का नेता बोलता है तो उसे बोलने का समय दिया जाना चाहिये । मान्यवर, मुझे भी समय दीजिये । उत्तर प्रदेश की सरकार सारा पैसा, सारा श्रेय अम्बेदकर उद्यान में, परिवर्तन चौक में या मेले में खर्च कर रही है । गांव के दलितों की जो झोपड़ियां गन्दगी में है उनको बसाइये । मान्यवर, मंगल देव विशारद कमेटी का गठन हुआ उसने अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के बाद महालनबीस कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट आई । प्रत्येक परिवार को भूमि का आवंटन पट्टे के आधार पर किया जाना चाहिए । जोत हदबन्दी कानून को लागू किया जाना चाहिए । भू-स्वामी प्रथा को खत्म करके इसके बाद जो जमीन बचे वह गरीबों में बांट दी जाय । ग्राम समाज की जमीन मंगल देव विशारद की रिपोर्ट के आधार पर करोड़ों एकड़ जमीन बेकार है जो नालों, तालाबों के नाम पर है । यह जमीन तमाम दलितों के पक्ष में पट्टे के आधार पर दी जानी चाहिए । इस सरकार को चिन्ता नहीं है ।

कांग्रेस के जमाने में पट्टे हुए, जनता दल के जमाने में दूसरी सरकारों के जमाने में पट्टे हुए हर सरकार पट्टे देने की बात करती है यह भी करते हैं लेकिन एस० डी० एम० फर्जी रिपोर्ट बनाकर भेज देता है पट्टे पर कब्जा हो गया पट्टे के सवाल पर उत्तर प्रदेश की सरकार के यहां रिपोर्ट आई है सारे जिलों से फर्जी रिपोर्ट आई है । अम्बेदकर गांव का जहां तक सवाल है । जब से बसपा और भाजपा की सरकार आई है रास्ते में लेपन का काम नहीं हुआ है विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

खत्म करें ।

श्री रामजग–

मैं अहम सवाल उठा रहा हूं जो दस गांवों का सवाल आया है आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर 956 अम्बेडकर ग्राम हैं वहीं 1997-98 में लिए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामजग–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जाएगा ।

गोरखनाथ पाण्डेय जी आप अपना भाषण शुरू करें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, इस बजट को जो लाया गया है । यह बहुत ही सराहनीय है । मेरे क्षेत्र जनपद भदोही में..

श्री रामजग–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना आसन ग्रहण करें यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

(श्री राम जग और श्री गोरखनाथ पाण्डेय के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश को अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है सभी दलों के नेताओं को 15-20 मिनट का समय दिया गया आपने कहा कि वह स्वयं में नेता है। नेता तो नेता होता है चाहे वह अपने दल का अकेला हो चाहे दस आदमी का नेता हो चाहे [illegible] आदमी का नेता हो यह कहीं नहीं लिखा है कि नेता को अगर वह छोटे दल का है तो उसे कम समय दिया जायेगा बड़े दल का नेता है तो ज्यादा समय दिया जाएगा। इनके हकों की कटौती हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आज पांच बजे के पहले चर्चा को समाप्त करना है इसलिए मैं अनुमति नहीं देता हूं, आप बैठें।

(श्री रामजग भी श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी के साथ बोल रहे थे।)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

रामजग जी आप बैठ जाएं।

यह तरीका अच्छा नहीं है। पाण्डेय जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे दल के नेता श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी' ने जो कल अपना पक्ष रखा था मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपका ध्यान अपने जनपद की कुछ समस्याओं की ओर लाना चाहता हूं। हमारा जनपद भदोही है जो कि एक ग्रामीण अंचल में बसा हुआ है। मुझ अकिंचन को वहां का सदस्य होने का अवसर मिला है। वहां के इण्टर कालेज में अध्यापक रहा हूं इसलिए शिक्षा से संबंधित व कुछ अन्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर मात्र एक डिग्री कालेज है जहां पर 10 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा बच्चे होने की वजह से एक-एक क्लास में 200-250 बच्चों को बैठना पड़ता है तो किस तरह से उनको शिक्षा दी जाती होगी यह आप खुद ही सोच सकते हैं। वहां पर आज तक कन्याओं के लिए डिग्री कालेज नहीं है।

शिक्षा की दृष्टि से पूरा भदोही जनपद एक पिछड़ा हुआ जनपद है। इस पर ध्यान दिया जाए वहां पर मण्डल स्तर से लेकर जनपद स्तर तक कन्याओं से लेकर बालकों के लिए स्कूल खोले जाएं। कन्याओं के लिए डिग्री कालेज व पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की व्यवस्था की जाए। लड़कों के लिए दूसरे डिग्री कालेज खोले जाएं एक डिग्री कालेज पर्याप्त नहीं है। मैं आपका ध्यान कालीन उद्योग की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कि एक कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता है इसको नष्ट करने की साजिश की जा रही है आज बंधुआ मजदूरी के नाम पर एक षड़यंत्र किया जा रहा है यह उद्योग करोड़ों रुपये का विदेशी कारोबार करता है उसको बंधुआ मजदूरी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस साजिश को रोका जाए। वहां पर भदोही जनपद में एक पर्यटक स्थल है जो सीतामढ़ी के रूप में जाना जाता है। उस ऐतिहासिक स्थल का विकास करने की व्यवस्था की जाए। हमारे जनपद में एक छछुआ ग्राम है जो गंगा के कटान से बुरी तरह से पीड़ित है। कटान के कारण हजारों बीघा जमीन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नष्ट हो रही है । इस कटान के कारण हरिहरपुर ग्राम नष्ट हो चुका है । आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस छछुआ ग्राम को नष्ट होने से बचाया जाए । वहां पर किसान सहकारी समितियों में धांधली की गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं । आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

इन सहकारी समितियों में जो धांधली की गई है उसकी जांच की जाए । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है यहां पर जो नये सदस्य चुनकर आते हैं चाहे वह किसी दल के सदस्य हों उनको मौका नहीं दिया जाता है । उनको मुंह सीकर बैठना पड़ता है । उनको भी अवसर मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

सबको अवसर मिलेगा । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । नये माननीय सदस्यों को बार-बार अवसर दिया जा रहा है अभी मैंने उर्मिला देवी व गोरखनाथ पाण्डेय तथा और भी कई नये सदस्य बोले हैं इसलिये इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

* श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, इस वर्ष जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा है उसमें कुछ संशोधन और आलोचना के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज से 4 वर्ष पहले इस प्रदेश में एक नारा दिया था कि "तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार ।" मुझे याद है कि केशो मेहरा जी जब आगरा के पुलिस लाइन में दी० एस० सी० पी० के अत्याचारों को सहन कर रहे थे तब इन्होंने एक नारा दिया था कि –

"स्वर्ग से बाबा करे पुकार, मत कर माया अत्याचार ।" इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी यह बहिन जी के प्रति धन्यवाद बोल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद । इस सरकार में सवर्णों, पिछड़ों और दलितों के अन्दर इतना मतभेद उभार दिया है, इसके लिये यह सरकार जिम्मेदार है, जहां तक असमानता की बात है, वहां ग्रामीण विकास में बहुत असमानता है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब इस बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद ही नहीं जगी थी, इस देश और प्रदेश में कितनी बड़ी असमानता है कि हमारे सरदार सिंह उस वक्त हमारे विधान सभा के सदस्य थे लेकिन उनको न तो जिले से मंत्री और न ही किसी निगम का चेयरमैन ही बनाया गया जबकि वह वरिष्ठ सदस्य है, इससे बड़ी असामनता इस पार्टी में ही व्याप्त है । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार के कैबिनेट मंत्री को स्वयं मुख्य मंत्री जी दो बार लिख चुकी हैं लेकिन आगरा के डी०डी०सी० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । डी०डी०सी० आगरा द्वारा सांचौली देवी मंदिर जो कि राजस्थान सीमा के पास एक डेढ़ किलोमीटर सड़क बनाना था लेकिन न तो एक ग्राम मिट्टी न गिट्टी पड़ी और 10 लाख रुपया डी०डी०सी० हजम कर गये और माननीय कृषि मंत्री जी उनका ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं हैं, जांच कराने के लिए नहीं हैं । ठठीकरा से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही दलौता से अवधूता मार्ग पर एक तोला मिट्टी न ही एक तोला गिट्टी पड़ी है और कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि तकनीकी जांच करा रहे हैं, जांच तो उसकी हुआ करती है । जब कोई चीज बना हो जब सड़क बनी ही नहीं है तो आप जांच क्या करायेंगे ? ''

मान्यवर, छाता क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर कोई आई०टी०आई० व इन्जीनियरिंग कालेज नहीं है इसलिये वहां पर आई०टी०आई० व इन्जीनियरिंग कालेज शीघ्र खोला जाये । मान्यवर, पिछले वर्ष मथुरा जिले में भीषण बाढ़ आयी थी जिसमें काफी धन-जन की हानि हुई थी, लेकिन तमाम सड़कें टूटी पड़ी हुयी हैं लेकिन वहां पर कोई राहत नहीं दी गयी न ही सड़कों का सुधार हुआ । मान्यवर, इस वर्ष मथुरा जिले में सूखा पड़ा हुआ है और नहरों में पानी उपलब्ध नहीं है जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं और किसान पीड़ित हैं, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे ।

अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहिन जी का एक नारी का रूप है । यदि एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसे 75 हजार रुपया दिया जाता है लेकिन यदि एक ब्राह्मण, यादव व अन्य जाति की महिला के साथ होता है तो उसको भी कुछ धनराशि दिये जाने की घोषणा यह सरकार करे ।

* श्री मुरलीधर–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस सम्मानित सदन में माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है जिसका 70 फीसदी उन पीड़ितों और गरीब भाइयों के हिस्से में खर्च किये जाने का प्राविधान किया गया है । आजादी के बाद से आज तक कभी भी आजादी की रोशनी उनके घरों में नहीं पहुंची, उन गरीब भाईयों के सुख-साधनों के लिए, उनके आवास के लिए व अन्य सुविधायें मुहैय्या कराने के लिये उसे ध्यान में रखकर इस सम्मानित बजट में प्राविधान किया गया है । इसलिये मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं । जो गरीब लोगों के पट्टे के तौर पर जमीन आवंटित की गयी थी उस पर दबंग और उस पर बड़े-बड़े भू-माफियाओं का कब्जा था । इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, ग्राम्य विकास योजना के तहत उन गरीब लोगों को आवास मुहैय्या कराया गया है जिनका कभी गांवों में छप्पर भी नहीं हुआ करता था । मान्यवर, हमारे दलित समाज के जो महापुरुष हैं उनको कभी सम्मान नहीं मिला, यह पहली सरकार है जो उन महापुरुषों को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है, गरीबों के दुःख दर्द को समझा है, उनके संघर्ष में आजीवन अपना जीवन लगा दिया है ऐसे महापुरुषों के लिये यह पहली सरकार है जो सम्मान की नजर से देख रही है ।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

चाहे डा० अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फूले हों या साहू जी महाराज हों जो भी महापुरुष हुये हैं, उनके सम्मान में यह सरकार कुछ कर रही है, इसीलिये भी मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में ऐसे बौद्धस्थल बहुत बड़ी संख्या में हैं जो हमारे देश की गाथा कहते हैं, इनको नष्ट करने की साजिश की गई, लेकिन हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी इन बौद्धस्थलों को बचाने का भरसक प्रयास कर रही है साथ ही उनके विकास के लिये भी कृतसंकल्प हैं । मान्यवर, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि यह बजट [xxx] है, इसमें गरीबों के लिये, किसानों के लिये, दलितों के लिये कुछ भी नहीं है। यह सरकार 36 के आंकड़े वाली भाजपा और बसपा की नापाक गठबंधन की सरकार है और सिर्फ [xxx] करने के लिये यह सरकार बनी है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर बिल्कुल नेपाल सीमा से सटा है, वहां पर शारदा नदी वाइन्डअप कर रही है, जिससे हजारों किसानों की जमीन कट गई है, मैंने नियम 301 के अन्तर्गत भी सदन को सूचना दी थी। हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने सांसद कोटे से रुपया दिया है और नार्दिड के बाबा ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कारसेवा द्वारा उसको बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस गूंगी-बहरी सरकार के कानों पर जरा भी जूं नहीं रेंग रही है। मान्यवर, शारदा नदी के कटान से बड़ी जनहानि हो रही है।

यह सरकार अपराध नियंत्रण की बड़ी बात करती है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बलात्कार, कत्ल, डकैती रात दिन हो रही हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, खुले आम लोगों की जानें ली जा रही हैं। मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री तबादलों के नाम पर लाखों रुपये लूट रहें हैं, आप मान्यवर, स्वयं देखें कि प्रशासन पर इनकी पकड़ क्या होगी। मेरा पूरन पुर क्षेत्र अन्न के उत्पादन में अग्रणी है, परन्तु वहां पर न तो सड़के है न बिजली की व्यवस्था है और न स्कूल की व्यवस्था है न बीज की व्यवस्था है, 70 प्रतिशत इलाका तराई का है, जहां मुख्य रूप से हरिजन रहते हैं। आज भी वहां पर भूदान उपनिवेशन सीमांत के लोगों को स्वामित्व का अधिकार नहीं मिला है। इसी तरह नानक सागर के लोगों को भी अधिकार नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाय। स्वामित्व न होने से वह लोग बैंक से लोन भी नहीं ले पाते। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि केवल साहू मेला लगाने से, अम्बेडकर पार्क बनाने से, जगह-जगह मूर्ति लगाने से प्रदेश का भला नहीं होगा। आज राष्ट्रीय नेता अम्बेडकर जी की मूर्ति को ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह चौराहों-चौराहों पर लगाने का काम यह सरकार कर रही है, इससे दलितों का भला होने वाला नहीं है।

मध्य-निषेध के बारे में भी सरकार की नीयत साफ नहीं है। मेरा सुझाव है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये बसों के लाइसेंस दिये जायें। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूरनपुर में स्कूल, सड़कों की व्यवस्था की जाय साथ ही शिक्षा की व्यवस्था की जाय। आज जब विधायक अपने क्षेत्र में जाता है तो लोग सवाल करते हैं कि सड़कें कहां हैं, स्कूल कहां हैं ? बिजली कहां है ? यह विकास कार्यक्रमों का सारा पैसा सरकार द्वारा हड़पा जा रहा है, यह लोग प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। मैं इस जन विरोधी बजट का घोर विरोध करता हूं, साथ ही इस जनविरोधी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की आप संस्तुति दें, ऐसी मांग करता हूं। आप इस 36 के आंकड़ें वाली सरकार को तुरन्त बर्खास्त करें।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, वहां शारदा नदी पर कोई कार्यवाही न की गयी तो सैकड़ों हजारों जानें बह जायेंगी और तमाम जानमाल का नुकसान होगा इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कल्याणकारी कार्यों को करें।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

लगभग 2.45 बजे से मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दें लगभग एक घंटे तक उनका उत्तर भाषण चलेगा । अगर दो-दो मिनट में बोलें तो सात आठ माननीय सदस्य बोल सकते हैं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

अभी विभागीय अनुदानों पर भी चर्चा होगी जो माननीय सदस्य नहीं बोल पायेंगे वह उस पर बोल लेंगे । अगर माननीय सदस्य एक दो विन्दु पर अपनी बात कहें तो अच्छा होगा ।

* श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । यह जो बजट पेश किया गया है यह धोखे का बजट है । मैं अपने मऊ जनपद की बात कहना चाहता हूं मान्यवर, मऊ जनपद में 32 गांव घाघरा नदी के कटान के करीब हैं और उसका मानचित्र बिगड़ने जा रहा है । सुग्गी चौड़ी, रसूलपुर, रोशनपुर, परसिया, मौलानापुर मिसरौली आदि गांव कटान के बिल्कुल करीब हैं और इसको बचाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था बजट में नहीं की है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मऊ जनपद में 1088 प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं और उनके भरने की कोई व्यवस्था का जिक्र इस बजट में नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर, मऊ जनपद में शारदा पम्प कैनाल सबसे बड़ा नहर है इसमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिस कारण पानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पा रहा है हजारों हजार किसान पानी न पहुंचने से परेशान है इसकी भी कोई उसमें व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मऊ जनपद में विद्युत दो घंटे भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है जबकि वह बुनकरों का एरिया है । इस बजट में बिजली देने के बारे में कोई गारन्टी नहीं दी गयी है कि कितने घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर, दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी में लाखों रुपये का बकाया गन्ना किसानों का पड़ा हुआ है और इस बजट में उसके भुगतान की कोई बात नहीं कही गयी है इसके अलावा इस मिल में करोड़ों का घोटाला है उसकी जांच की भी कोई बात नहीं कही गयी है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर, 12 सौ करोड़ रुपये अम्बेडकर पार्क, रविदास का मन्दिर, फुले महराज का मेला आदि पर खर्च किया जा रहा है यदि इसमें से तीन सौ करोड़ रुपयों की व्यवस्था दलितों के लिए करते तो दलित कर्ज मुक्त हो जाते । ऐसा न करके इस सरकार ने दलितों की उपेक्षा की है । मान्यवर, बेरोजगार नवजवानों को केरल और बंगाल की तरह से 200 रुपये भत्ता देने की बात नहीं कही गयी है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर, मेरे यहां मधुबन तहसील राजाज्ञा के बावजूद भी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है और उसके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था भी नहीं की गयी है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि एस०सी० ऐक्ट को शिथिल करने की कोई घोषणा इस सरकार द्वारा बजट में नहीं की गयी है इससे प्रदेश का समाज विघटित हो रहा है इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* श्री लाखी राम जोशी–

मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उत्तरांचल के विकास के लिए बजट राशि में बढ़ोत्तरी करके 677 करोड़ का बजट रखा गया है । लेकिन कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के विकास के लिए जितना भी बजट स्वीकृति हुआ है उसका सही ढंग से नियोजन न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है । क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि नये ढंग से नियोजित किया जाय वहां तथा विकास के लिए सर्वे किया जाय ।

मान्यवर, उत्तरांचल की तुलना कई अवसरों पर हिमांचल प्रदेश से की जाती है उनकी आर्थिक समाजिक परिस्थितियां एक जैसी हैं । लेकिन एक ओर यहां हिमांचल प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर है वहां दूसरी ओर उत्तरांचल क्षेत्र दुर्गति की कगार पर है । हिमांचल प्रदेश में कृषि को विशेष रूप से विकास का आधार मानकर उसका बढ़ावा दिया गया जिससे उस प्रदेश में काफी प्रगति कर ली है । हिमांचल प्रदेश में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाना, दिल्ली और यू० पी० से नीचे से लोग पैसा लेकर जाते हैं और कास्तकार के घर में जाकर वहां से समान खरीदकर लाते हैं । वहीं उत्तरांचल क्षेत्र के जगह-जगह से लोग पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और मैदानी क्षेत्र की मंडियों से सामान ट्रकों पर भर कर ले जाते हैं । विकास की प्रक्रिया उल्टी चल रही है उसमें परिर्वतन लाना आवश्यक है ।

मान्यवर, पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय लिया जिसमें उत्तरांचल की जो सिलिंग भूमि थी उसे वन भूमि घोषित कर दिया । वन भूमि से स्थानीय निवासियों को उसके हक हकूक से वंचित होना पड़ रहा है । प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास हो कि वे हक हकूक जो खत्म किये गये हैं उनको बहाल किया जाये । पर्वतीय क्षेत्र में कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय । वहां जो पेय जल के लिए प्राकृतिक स्रोत हैं वह समाप्त होते जा रहे हैं, पेयजल योजनाओं की दुर्गति हो रही है । वहां गंगा, यमुना, अलकनन्दा, भागीरथी आदि नदियों में पम्पिंग योजना बनाकर वहां की पेयजल की गम्भीर समस्या को दूर किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

वर्ष 1980 में मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम बना था जिस कारण जो योजनाएं स्वीकृति हुई थी लम्बित पड़ी हैं उस सड़कों का निर्माण शुरू कराने का वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को जाये ताकि उत्तरांचल के विकास की जो गति रुकी हुई है उसका बढ़ावा दिया जा सके ।

*श्री सतीश शर्मा–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट किसान विरोधी है । इस प्रदेश को बिकास की ओर ले जाने के बजाय विनाश की ओर ले जाने वाला है । इस दिशाहीन बजट का मैं विरोध करता हूं ।

इसलिए विरोध करता हूं कि इस बजट में बिजली का जो प्राविधान किया गया है वह बहुत कम है क्योंकि बिजली की पूरे प्रदेश में जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है । आज अधिकतर किसानों के ट्यूबवेल 70 प्रतिशत ट्रासंफार्मर फूंके होने के कारण खराब पड़े हैं और एक साल से अधिक समय हो गया है उनके बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । बिजली न आने के कारण ट्यूबवेल नहीं चलने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के कारण पानी की कमी से फसल सूख जाती है जिससे किसान का नुकसान होता है इसलिए इस बजट को किसान के हित में हम कैसे कह सकते हैं ?

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां 10–12 साल से बिजली के खम्भे लगे हैं लेकिन तार आज तक नहीं लगाये गए हैं इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे ।

मान्यवर, देहातों में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल तो बने हैं लेकिन स्कूल की छत नहीं है और न वहां पढ़ाने के लिए अध्यापक ही हैं । बजट में इन चीजों का कोई प्राविधान नहीं किया गया है इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र अनूप शहर को बदायूं जिले से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक पुल निर्माण की मांग यहां बार-बार की जाती रही है लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिसकी ओर सरकार ध्यान देकर पुल बनवाये ।

आज आजादी के 50 साल बाद भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जाने के लिए कच्चे और पक्के रास्ते तो दूर वहां जाने के लिए रास्ता ही नहीं हैं ।

मान्यवर, बुलन्दशहर जिले में एन० ए० पी० पी० नरौरा में विद्युत उत्पादन होता है । लेकिन बुलन्दशहर की जनता भोपाल त्रासदी से भयभीत है क्योंकि वहां के अणु संयंत्र में कोई विस्फोट होता है तो उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं इसलिए जनता इससे हमेशा भयभीत रहती है । मैं चाहता हूं कि कम से कम पूरे जिले को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जाय और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एन० ए० पी० पी० से चारों तरफ कम से कम 50 किलो मीटर तक 24 घण्टे बिजली दी जाय ।

इसके साथ ही पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए वहां पानी की टंकी बनवायी जाय । लेकिन बजट में इन चीजों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बजट को वापस लें और इन समस्याओं को जोड़ कर नये तरीके से बजट प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे–

माननीय अध्यक्ष महोदय जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं बजट प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह बजट जन विरोधी, दिशाहीन, पक्षपात पूर्ण और निराशा जनक बजट है । मान्यवर, आप देख लें कि आज जिस तरह से अम्बेडकर पार्कों का निर्माण किया जा रहा है और उस पर करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है यदि इसके स्थान पर गन्ना किसानों का फैक्ट्रियों पर जो बकाया है यदि उसका ब्याज किसानों को देने की इस बजट में व्यवस्था की गयी होती तो कितना अच्छा होता जिससे गन्ना किसानों को प्रोत्साहन मिलता और वह अधिक गन्ना पैदा करते ।

मान्यवर, इसी तरह खेल-कूद के संबंध में नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

जिससे हमारे करोड़ों नवजवानों का दिल टूटा है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और जो राजकीय नलकूप लगाये गये हैं, उनको ठीक कराने के लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं । आज बाढ़ से तमाम जनपद प्रभावित हैं, लोगों के घर व गांव बह गये हैं और उनके पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है । इन सबके लिए सरकार ने

बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। जो मण्डल व जिले पहले बनाये गये थे, उनके विकास के लिए कोई बजट का प्राविधान नहीं किया गया है और नये जिले व मण्डल यह सरकार बनाये जा रही है। आजमगढ़ मण्डल के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी में विकास के कार्य इसलिए बाधित है कि हमारे यहां से संसदीय कार्य मंत्री जी चुनाव हार गये थे, इसलिए विद्वेश वश वह विकास के कार्यों को बाधित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मेरा प्रयास है कि जो नये माननीय सदस्य हैं, उन्हें बोलने का अवसर दूं।

* श्री सौलत अली–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने 6 हजार करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया है और इस बजट में प्रदेश के भविष्य की चिन्ता व्यक्त की गई है। वह सरकार चिन्ता व्यक्त कर रही है, जिसका अपना भविष्य ही केवल डेढ़ माह का शेष रह गया है। उनके सहयोगी इसलिए चिन्तित हैं और यह सोच रहे हैं कि बिल्ली मलाई खाले तो ठीक है कहीं वह दूध ही न पी ले। मान्यवर, इस सरकार ने 45 दिन का अपराध नियंत्रण का कार्यक्रम चलाया और माननीय नेता सदन ने बड़े जोर का उल्लेख इस बजट भाषण में इसका किया है परन्तु जिस रूप में इसका दुरुपयोग किया गया उसके बारे में आज सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपनी व्यथा सुनाई और उस पर सभी लोगों ने अफशोस जताया। पेज नम्बर–2 पर उल्लेख किया गया है कि इसके उद्देश्यों में हम कामयाब रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था ? विपक्षी लोगों को प्रताड़ित किया जा सके और प्रताड़ित किया भी गया।

मान्यवर, अफशोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इसमें कोई बात नहीं कही गई है। एस० सी० व एस० टी० के लिए समाज कल्याण की जो योजनायें बनाई गई हैं और बजट में उसके लिए जो प्राविधान रखा गया है, वहीं पर अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनाई गई है। इस बजट में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का उल्लेख किया गया है। मेरे अपने क्षेत्र में विगत 18 महीने से विधवा पेंशन लोगों को नहीं मिल पायी है। एक ओर जहां बिजली व उद्योग के बारे में इस बजट में प्राविधान किया गया है, वहीं पर मेरे क्षेत्र के बुनकरों का 66 लाख रुपये यूपिका के ऊपर बकाया है। विगत डेढ़ साल से इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और उनके उद्योग बन्द हो गये हैं और उनका रुपया नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

* श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 677 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह विगत वर्षों से 9 प्रतिशत अधिक है। हम इसका स्वागत करते हैं। मान्यवर, मैं रानीखेत क्षेत्र का रहने वाला हूं और वहां से चुनकर आया हूं। मान्यवर, वहां पर नगरपालिका घोषित होनी अति आवश्यक है क्योंकि वहां पर कल के दिन दंगा हुआ। वहां पर सेना ने एक विवेकानन्द विद्यालय को तोड़ने का काम किया। वहां पर सैनिकों ने गांधी चौक से कुमाऊं मोटर ओनर्स, यूनियन लिमिटेड बस स्टेशन रानी खेत तक नाकेबन्दी कर दी और जनता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को आने-जाने से रोक कर आतंकित कर दिया तथा सशस्त्र सैनिक आवासीय मकानों की छतों पर बन्दूकें तान कर पोजीशन लेकर खड़े हो गये ।

इसके बाद लगभग 200 सैनिकों ने फावड़ा सम्बल आदि से चार वर्ष पूर्व निर्मित विद्यालय भवन को तोड़ना आरम्भ कर दिया । जब लोगों ने वहां पर इसका विरोध किया तो उन्होंने यह कहा कि लौट जाओ अगर अपने बाल-बच्चों की सलामती चाहते हो । इस घटना से पूरा रानीखेत आतंकित है । वहां की जनता भयभीत है और लोग आन्दोलन कर रहे हैं । इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वे रानीखेत को बचाना चाहती है तो वह सिविल एरिया को नगरपालिका बना दे जिससे सेना से हमेशा के लिए निजात मिल सके और रानीखेत के लोगों का गुलामों जैसा जीवन न होकर स्वतंत्र भारत के लोगों जैसा जीवन हो सके । चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैंने अपनी बात को रखा है । आपने मुझे चार मिनट का समय दिया था लेकिन मैंने तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दी है । वैसे तो बोलना और चाहता था लेकिन समय की कमी है । इसलिए अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूं । धन्यवाद ।

* श्री अफजाल अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद । मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस भाजपा और बसपा की गठबन्धन की सरकार ने इस बजट में माइनरटीज के लिए साढ़े तीन करोड़ जनता के शिक्षा के लिए जो 25 रुपये महीने की बात कही है मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, मैंने जब आपसे खाना मांगा तो आपने मुझे गोली दी, मैंने जब कपड़ा मांगा तो आपने मुझे कफन दिया और जब मैंने घर मांगा तो आपने मुझे कब्रिस्तान दिया । मैं इस बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, यह बजट जन विरोधी बजट है और इसमें लोकतंत्र की हत्या की गयी है । मान्यवर, आज 50 साल आजादी के हो गये हैं मगर आज भी गरीबी की रेखा से नीचे के मुसलमान लोग हैं उनके कल्याण के लिए कोई इन्साफ नहीं किया गया है, कोई न्याय नहीं किया गया है । अकलियतों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस बजट पर मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इसको गंभीरता और गहनता से अगर देखें तो पता लगता है कि किसानों के लिए उनके लाभ के लिए कोई प्राविधान इसमें नहीं किया गया है । यह किसान विरोधी बजट है । इसमें खेती के लिए, बीज के लिए, खाद्य के लिए कोई अनुदान देने का प्राविधान नहीं रखा गया है । बजट को देखने से ऐसा लगता है कि समूचे उत्तर प्रदेश में मात्र चौराहों पर प्रतिमायें लगाने का काम, चाहे वह अम्बेडकर जी की हो, होलकर-जी की हो या दीन दयाल उपाध्याय जी की हो, किया गया है । केवल इन महापुरुषों की प्रतिमायें लगाने का यह काम सरकार कर रही है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कासिमपुर में एक विद्युत गृह है जो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है । वहां पर सिर्फ दो यूनिटें चल रही हैं बाकी जो पांच यूनिटें हैं वह खराब चल रही हैं । इस संबंध में कोई प्रस्ताव इस बजट में नहीं किया गया है । अभी हाल ही में भारत सरकार से एन० आर० में एक ओवर ब्रिज सेंक्शन कराया था और उसमें प्रदेश सरकार को आधा भाग देना था जो कि करीब साढ़े छः करोड़ बनता है उसके लिए भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कृपया इस बजट में संशोधन करके इस हेतु प्राविधान रखा जाय । अन्त में मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

* श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, 80 फीसदी लोगों के लिए यह निराशा का बजट है । इस बजट में सिंचाई के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है, नगर विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, आपने मुझे जो इस बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लखीमपुर खीरी में सड़क तालाब बन गयी है, और उसमें कमल फूलने फलने लगे हैं । हमारे यहां पानी आता नहीं है, लोग पानी के लिए तरसते हैं । मान्यवर, अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत 100-100 साल पुराने मकानों को गिराया जा रहा है । अधिकारी मान नहीं रहे हैं । मान्यवर, वहां पर विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है । बिजली का कोई प्रोग्राम नहीं है, 2–ढाई घंटे ही बिजली आती है, और कब बिजली आयेगी और कब चली जायेगी इसका किसी को कुछ पता नहीं है । अगर इसी प्रकार से लायबिलिटीज बढ़ती रही तो यह प्रदेश गरीब हो जायेगा । इस बजट के अन्दर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, चिकित्सा व्यवस्था के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । श्री नन्द राम जी आप तो पुराने सदस्य हैं, नये लोगों को अवसर मिल जाने दें ।

(व्यवधान)

डा० कौशल किशोर–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । आष कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने के लिये मौका दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विभागीय अनुदाने आयेगीं, तब अपनी बात कह लीजियेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में अधिकतर बिजली की समस्या है । दो ढाई घंटे बिजली आती है, बिजली आपूर्ति के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

उद्योग लगाने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

कृषि के विकास के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है । उर्वरकों और बीजों के लिये कोई सबसीडी की व्यवस्था इस बजट में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत-बहुत धन्यवाद आपने संक्षेप में अपनी बात कह दी ।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1997-98 के बजट पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा के बाद अपने विचार रखने का मौका दिया है ।

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं एवं अन्य माननीय सदस्यों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने बजट पर अपने विचार रखे हैं । उन्होंने विचारों के साथ-साथ कुछ सुझाव भी रखे हैं । मान्यवर जी, हमारी सरकार संसदीय लोकतंत्र की पक्षधर है और उन बातों को भी बड़े धैर्य के साथ सुनने के हम कायल हैं जिनमें हमारी नीति नीतियों की आलोचना की जाती है । बजट केवल रुपये पैसे का हिसाब किताब नहीं होता है बल्कि इसमें प्रदेश के विकास की नीति को दिशा दी जाती है । सन् 1995 में जब पहली बार बजट रखने का मौका मिला तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय विरोधी दल के नेता और उनके सहयोगी सदन छोड़ कर चले गये थे । लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बार नेता विरोधी दल ने अपने विचार जरूर रखे जिसके लिये मैं उनकी आभारी हूं हालांकि उनका भाषण तीन दिन तक चला उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की लेकिन सारांश कुछ खास नहीं निकला है ।

मान्यवर, बजट पर हुई चर्चा में विभिन्न बिन्दु मेरे सामने आये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूं उससे पहले मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ खास बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । हमारी सरकार ने जो प्राथमिकतायें निर्धारित की थी उन प्राथमिकताओं को और गतिशील बनाने के लिये हमने इस बजट में वित्तीय व्यवस्थायें की हैं । हमारी प्राथमिकता है कि समाज में भयमुक्त और आतंकवाद रहित वातावरण बनाना, कानून व्यवस्था को मजबूती देना, रुके हुये विकास के कार्यों को गति देना । प्रशासन को जनता की आसान पहुंच में लाते हुये संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करना तथा विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को इस तरह लागू करना कि विकास का अवसर सबको मिले लेकिन जो लंबे अरसे से शोषित वंचित और उपेक्षित हैं उन्हें यह अवसर प्राथमिकता के आधार पर मिल सके ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी लिखा भाषण पढ़ रही हैं, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्द्र नाथ जी, आप कुछ संसदीय परम्पराओं को सीखिये, आप कृपया बैठिये ।

सुश्री मायावती–

विकास के मामलों में हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों की तरफ भी ध्यान दिया है जिन लोगों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है । हालांकि विकास की समाज के हर वर्ग को जरूरत है लेकिन जिन लोगों के सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है उनकी तरफ हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया है । जिन्हें हम अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के नाम से पुकारते हैं और जहां तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है मान्यवर, जी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि जब यह कोइलीशन गवर्नमेन्ट बनी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की और 21 मार्च, 1997 को जब मैंने मुख्य मंत्री के पद का भार संभाला तो ऐसी हालत में संभाला जब उत्तर प्रदेश में अराजकता बड़े पैमाने पर फैली हुयी थी । गुंडा गर्दी, माफियागर्दी, जुल्म ज्यादती, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ था ।

हम लोगों की विचाराधारा अलग होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता को सर्वोपरि माना और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुये, उनके हित को ध्यान में रखते हुये दोनों पार्टियों ने यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता अब गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म ज्यादती से त्रस्त है और उसमें भी दबा कुचला समाज बड़े पैमाने पर त्रस्त है और चारों तरफ एक ही आवाज सुनने के लिये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रेसीडेन्ट रूल में एक ही पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से राज चल रहा है । तो हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर यह फैसला लिया कि हमें इस एक पार्टी के राज्य को जो अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है उसको खत्म करना होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडागर्दी, माफिया गर्दी, जुल्म ज्यादती से राहत दिलाना होगा ।

तो उत्तर प्रदेश के ऐसे हालातों में यह कोलीशन गवर्नमेन्ट बनी । बहुत बढ़िया गवर्नमेन्ट चल रही है इसमें कोई शक नहीं है ।

(मेजों की थपथपाहट)

सदन के अन्दर विरोधी पार्टी के लोग यह कहें या विरोधी दल के नेता यह कहें सदन के अन्दर कि सरकार बढ़िया नहीं चल रही है तो मैं समझती हूं कि इससे सही जायजा नहीं लिया जा सकता । आप उत्तर प्रदेश की जनता से तो पूछिये । उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जाकर देखें कि जनता कितनी खुश है । जनता को कितनी राहत मिली है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति पूर्वक सुनें ।

सुश्री मायावती–

इसलिये मान्यवर, हमने अपने शासन काल में हर प्रकार की गुंडागर्दी को, माफियागर्दी को खत्म करके भयमुक्त वातावरण बनाकर 8 अप्रैल से 23 मई तक हमारी सरकार ने गुंडागर्दी, माफियागर्दी और अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत ऐसे अपराधी जो उत्तर प्रदेश में आतंक को बढ़ावा दे रहे थे । ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एन० एस० ए० और अन्य एक्ट के माध्यम से हमारी सरकार ने सख्त कार्यवाही की और इस अभियान के तहत मान्यवर जी लगभग 98 हजार अपराधी गिरफ्तार हुए । इनमें से एक से एक कुख्यात अपराधी थे, खतरनाक किस्म के अपराधी थे । अपराधों की गंभीरता को देखते हुये एन० एस० ए० भी लगाया गया और हमने 844 ऐसे माफियाओं को जेल के अन्दर कर दिया जिनकी माफियागिरी देख लोगों को कपकपी आती थी । हमने इस अभियान में कोई ढीलापन नहीं बरता । इतना ही नहीं हमने इस बात का एहसास किया

और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी एहसास किया कि इस अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ धर पकड़ शुरू हो रही थी एक ही पार्टी के लोग पूरे पैमाने पर चिल्ला रहे थे कि हमारी पार्टी के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है । हमारी पार्टी का आदमी एन० एस० ए० में बन्द किया गया । गैंगस्टर और गुण्डा एक्ट में जब बन्द किये जा रहे थे तो हमारे नोटिस में यह बात आई थी कि वह किस किस्म के हैं । लेकिन मान्यवर, हमारी सरकार ने किसी भी अपराधी के खिलाफ एक्शन लिया है तो यह नहीं देखा है कि..

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, प्रश्नों का उत्तर दिलवा दीजिये ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, हमारी पार्टी ने यह नहीं देखा कि वह किस धर्म, किस जाति या किस पार्टी का है । हमारी सरकार तो अपराधियों को अपराधी मानकर चलती है । जब अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको हम यह नहीं जानते कि किस पार्टी, किस जाति या धर्म का है । यह तो हम पेपर में पढ़ते हैं कि समाज वादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे लोग पकड़े गये हैं तब हमको पता चलता है कि यह समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति पूर्वक भाषण सुनें ।

सुश्री मायावती–

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी पकड़ा जाय । आपसी रंजिश से हत्या हो । जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ।

तो उसको कहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग पकड़े गए हैं ।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । आरोप प्रत्यारोप होते हैं । सत्तापक्ष के लोगों ने आपकी बात ध्यान से सुनी आप भी उनकी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें । अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

जो हत्यारे नहीं हैं पकड़े गए हैं तो क्या आप यह कहेंगी कि हत्या के लिए आदेश दिए गये थे ?

सुश्री मायावती–

मान्यवर, एस० सी० एस० टी० एक्ट के बारे में सदन को बताना चाहूंगी कि यह एक्ट 1989 का है । सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया इस एक्ट का मकसद यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जो जुल्म ज्यादती हो, उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ इस एक्ट का सहारा लिया जाएगा, लेकिन इस एक्ट के बारे में बहुत गलत

प्रचार किया गया । और कहा गया कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है । इस एक्ट का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है । अन्तर इतना है कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं इस एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते थे । वह केवल कागजों पर रह जाते थे । कोई कार्यवाही नहीं होती थी हमारी सरकार के अन्दर इस एक्ट के अन्दर सख्त से सख्त कार्यवाही हो रही है । मान्यंवर, जहां तक यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इस सरकार के दौरान मुकदमें दर्ज हुए हैं तो मैं तुलनात्मक विवरण देना चाहूंगी । यह 16 मार्च, 30 जून के दौरान का है । वर्ष 1995-96-97 में एस० सी० एस० टी० एक्ट में ऐसे मामलों की तुलना करेंगे तो साफ हो जाता है । वर्ष 1995 में मुकदमें दर्ज हुए हैं 2,767 वर्ष 1996 में दर्ज हुए 1,737 और मान्यवर, वर्ष 1997 में दर्ज हुए 1,611 यह मामले दर्ज हुए हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

वर्ष 1995 में जो मुकदमें दर्ज हुए उसमें मुकदमें कितनों पर चले ?

श्री अध्यक्ष–

इस बिन्दु का भी उत्तर दे दीजियेगा । अपने भाषण की समाप्ति के बाद उत्तर दे दीजियेगा ।

(व्यवधान)

सुश्री मायावती–

तो इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया जा रहा है । इस एक्ट के बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार आयेगी तो हम इस एक्ट को खत्म कर देंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह [x x x] बोल रही हैं । आप इस पर रोक लगाइये ।

सुश्री मायावती–

यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं भारत सरकार ने बनाया है जहां तक इस एक्ट को खत्म करने की बात कही गई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें ।

सुश्री मायावती–

मैं कहना चाहती हूं कि आप इस एक्ट को खत्म कर दें ताकि जनता को पता तो लग जाये कि यूनाईटेड फ्रन्ट की सरकार एस० सी० एस० टी० की विरोधी है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह पढ़ रही हैं ।

नोट :– [x x] यह अंश को अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सुश्री मायावती–

समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है..

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आंकड़े देख कर पढ़े जा सकते हैं ।

सुश्री मायावती–

गुण्डों, बदमाशों तथा उत्पीड़न करने वालों के सहारे, उनकी राजनीति चमके भले ही आम जनता चिल्लाती रहे, चीखती रहे । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि विरोधी पार्टी के लोग कितना भी चिल्लाते रहें लेकिन हमारी सरकार का वादा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे । शिया सुन्नी विवाद का मामला है । कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में जो कार्य कई मुख्य मंत्री नहीं कर पाये वह काम जब एक दलित की बेटी ने कर दिखाया तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा । लखनऊ के शिया सुन्नी विवाद में कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते थे लेकिन हमारी सरकार ने उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया । इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जिसमें होम सेक्रेटी, और डी० जी० पी० को रखा गया है और यह प्राविधान रखा गया कि तीन महीने के अन्दर वह रिपोर्ट पेश करेंगी ।

लेकिन आश्चर्य तो यह है कि जिस जुलूस पर सन् 1977 से बैन लगा हुआ था । उस समय बहुत सी सरकारें बनी लेकिन कभी जुलूस का जिक्र तक नहीं किया गया लेकिन मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो जुलूस निकालने की बात उठने लगी । इसका मतलब यह है कि इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ था । लेकिन हमारी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर इस मामले को हम लोगों ने कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया । खुशी की बात तो यह है कि हमें कड़ा प्रबन्ध तो करना पड़ा लेकिन हमने इस शिया सुन्नी विवाद में हालांकि कर्फ्यू भी लगाया गया लेकिन लखनऊ के अन्दर कोई गोली नहीं चलाई गई । जहां तक बबराला और गीडा काण्ड की बात है इस पर पहले ही सरकार का पक्ष आ चुका है । लेकिन हकीकत क्या है इस पर विशेष कुछ कहना इस सदन का समय बरबाद करना है । लेकिन..

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पढ़ा हुआ इसे मान लिया जाए ।

सुश्री मायावती–

जब विरोधी दल के नेता उठा-उठा के पढ़ रहे थे तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी । बबराला और गीडा की समस्यायें आज की नहीं है बल्कि पिछले 8-10 वर्ष की हैं । इस बीच समाजवादी पार्टी दो बार सत्तासीन रह चुकी है लेकिन जब वह सत्तासीन थे तब उनको इस समस्याओं को सुलझाने का ख्याल ही नहीं आया था । लेकिन जब एक दलित की बेटी मुख्य मंत्री बनी तभी इनको ख्याल आया । इन समस्याओं को सुलझाने के प्रति हम गंभीर हैं इस मामले में हमारी सरकार ने वायदा किया है इस पर गंभीर से कार्यवाही की जायेगी । हमारी हुकूमत के दौरान अपराधों में काफी कमी आई है । जहां तक महिलाओं के मान और सम्मान का सवाल है इसका हमारी सरकार ने ध्यान रखा है । उत्तर प्रदेश के अन्दर हमने कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी कि मुजफ्फर नगर काण्ड जैसी पुनरावृत्ति हो ।

(सुश्री गौरी देवी व सुश्री विजमा यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीया सदस्या कृपया बैठ जाएं ।

सुश्री मायावती–

अपराधों पर हमारी सरकार ने अंकुश लगाया है । जहां तक विकास का मामला है इसमें मैं कहना चाहती हूं । नेता प्रतिपक्ष ने कटौती प्रस्ताव रखते हुये इतना लंबा भाषण दिया ।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

उनकी बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं एक तरफ नेता विरोधी दल ने यह कहा कि यह सरकार एस० सी०, एस० टी० विरोधी है, यह सरकार दलित विरोधी है और दूसरी तरफ विरोधी दल के नेता ने यह भी कहा है कि सारा का सारा ध्यान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की तरफ दिया जा रहा है समझ में नहीं आता कि हम कौन सी बात विरोधी दल के नेता की माने ।

श्रीमती उर्मिला यादव–

मान्यवर, हम तो समाज की बेटी भी बनी और बहू भी बनी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी बहू कब बनेगी ?

सुश्री मायावती–

मान्यवर जी, विरोधी दल के नेता के पूछने के लिये कोई सवाल नहीं है इसलिये यह अपने सहारे के लिये दूसरे लोगों को खड़ा कर ऐसी बात कर रहे हैं, जहां तक बाबा साहब डा० अम्बेडकर के बारे में, छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में बजट की चर्चा के दौरान काफी कुछ कहा गया है कि प्रदेश के विकास की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है । सरकार का ध्यान तो केवल बाबा साहब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की तरफ या डा० अम्बेडकर गार्डेन बनाने की तरफ या शाहू जी मेला लगाने की तरफ सरकार का ध्यान है । मैं बताना चाहती हूं कि बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर को केवल दलित शोषित समाज के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग, हर जगह के लोग, हर मजहब के मानने वाले लोग आदर-सम्मान देते हैं । प्रतिमायें तो और भी महापुरुषों की लगती हैं और पूरे देश में लगी हुयी हैं लेकिन डा० अम्बेडकर की प्रतिमा का ही क्यों विरोध हो रहा है क्योंकि वह दलित, शोषित समाज में पैदा हुये हैं । पार्क और भी महापुरुषों के नाम से बने हुये हैं लेकिन बाबा साहब डा० अम्बेडकर के नाम से पार्क बनाया गया तो सबके पेट में तकलीफ होने लगी । जहां तक वह दूसरे महापुरुषों की बात करते हैं, हमारी सरकार उनका भी आदर-सम्मान करती है । आपको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का बड़ा ख्याल है आपको और दूसरे महापुरुषों का भी बड़ा ख्याल है हम उनका सम्मान करते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने देश की स्वतंत्रता का समर्थन किया था लेकिन डा० अम्बेडकर ने स्वतंत्रता का विरोध किया था ।

सुश्री मायावती–

जहां तक यह बात आती है कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से पार्क क्यों नहीं बनाया लेकिन डा० अम्बेडकर के नाम से क्यों बनाया । तो मैं बताना चाहूंगी कि वे विरोधी लोग जिनकी पूर्व में सरकार रही है उस समय इन्होंने सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम से पार्क क्यों नहीं बनाया ये तो केवल नाम लेते हैं काम नहीं करते है । हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है ।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता जी ने एक निश्चित राजनीतिक उद्देश्य से बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के महत्व को नकारने की जो कोशिश की है उसके बारे में मैं यह

बताना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी डा० लोहिया जी के सिद्धान्तों पर चलती है । डा० राम मनोहर लोहिया जी ने बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहा है वह मैं बताना चाहती हूं जिनको वह अपना आदर्श मानते हैं । कम से कम जिनको आदर्श मानते हैं उनके कहे हुये रास्ते पर चलें । डा० राम मनोहर लोहिया जी ने जिन्होंने डा० अम्बेडकर के प्यार, तपस्या और संघर्ष की सराहना की थी अपने को उनके अनुयायी बताने वाले लोग यदि उन्हीं अम्बेडकर के प्रति अनादर दर्शाना चाहते हैं, तो हमें उन पर गुस्सा नहीं आता है, केवल दया आती है । यदि इस विषय पर मैं इतिहास के पुराने पन्ने पढ़ना चाहूं तो सदन का अनावश्यक समय नष्ट होगा फिर भी डा० लोहिया के वैचारिक उत्तराधिकारी, लेखक और विचारक मधु लिमये जी ने अपने एक लेख में संविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद के जिस विचार का उल्लेख किया है उसे मैं बड़ी विनम्रता के साथ सदन के सामने रखना चाहुंगी ।

तब बाबा साहब के प्रति उन्होंने लिखा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे-बैठे दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को देखते हुये मुझे लगा जैसा कि किसी और को नहीं लग सकता था, कि प्रारूप समिति के सदस्यों ने, विशेषकर उसके अध्यक्ष डा० अम्बेडकर ने अपने कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद जिस असाधारण उत्साह और लगन से काम किया है कि उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का हमारा निर्णय इतना सही था और हमेशा सही माना जायेगा कि वैसा निर्णय हम और भी नहीं ले पाये होंगे । उन्होंने न केवल अपने चुनाव को सही सिद्ध किया है बल्कि काम में अतिरिक्त दीप्ति भी पैदा की है ।

इसी संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहूंगी कि डा० लोहिया ने बाबा साहब के 75वें जन्म दिन पर आयोजित एक सभा में दिल्ली में दो टूक शब्दों में कहा था जब तक जातिवाद देश से विदा नहीं होता, तब तक हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकती । जातिवाद तभी समाप्त होगा, जब डा० अम्बेडकर जैसे नेता देश में पैदा होंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

हम तो उनका सम्मान करते हैं, आप तो उन्हें बेच रही हैं ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, महापुरुषों की याद को अमर बनाने के लिये जो कुछ कार्य हमारी सरकार ने किया, मैं समझती हूं कि उसकी सराहना इन लोगों को करनी चाहिये, लेकिन सराहना करने के बजाय विरोध करने का काम किया जा रहा है । जब कोई कार्य बाबा साहब के नाम पर किसी दूसरी पार्टी के लोग करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती । मुझे याद है कि सामाजिक परिवर्तन के महानायक बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1991 में समारोह बड़े सम्मान के साथ मनाया गया और उन्हें मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसी अवसर पर लोकसभा के सेन्ट्रल हाल में उनका चित्र भी लगाया गया । उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार थी, उसी दौरान डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की शुरुआत केन्द्र सरकार के आदेशानुसार की गई थी, हमने तो इसे गतिशील और व्यापक बनाने का काम किया है । मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इन 5-6 वर्षों में इनके नजरिया में इतना बदलाव क्यों आया । इसलिये कि आप केवल नाम लेने में यकीन करते हैं और हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है ।

जहां तक अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का सवाल है, यह ग्राम विकास योजना वर्ष 1990 में बनी और वर्ष 1990 से लेकर 1994 तक पूरे उत्तर प्रदेश में 1,524 ग्राम डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत चयनित किये गये थे और वर्ष 1995-96 में 5 हजार ग्राम और चयनित किये गये । वर्ष 1996-97 में 5 हजार ग्राम चयनित किये गये, इस प्रकार कुल मिलाकर 11,524 ग्राम चयनित किये गये, लेकिन वर्ष 1995 में जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और वर्ष 1990 से लेकर 1994 तक के जितने ग्राम चयनित किये गये थे, 1,524 जब मैंने स्वयं उन ग्रामों में कार्यों की समीक्षा की तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि उन ग्रामों में कोई काम ही नहीं हुआ था । वर्ष 1995 में हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से इन ग्रामों में काम कराया और जब दुबारा बहुजन समाज पार्टी और भारतीय

जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार बनी तो हमने लक्ष्य रखा कि वर्ष 1990 से लेकर 1995 तक जो 6,524 ग्राम हैं, इन ग्रामों में जो अधूरा काम है, उसे 31 मई, 1997 तक पूरा हो जाना चाहिये ।

सम्पर्क मार्गों का भी टाइम बाउन्ड प्रोग्राम रखा । वर्ष 1996-97 तक जो 5000 ग्राम थे उनको पूरा करने का लक्ष्य 9 अगस्त, 1997 का रखा गया है । डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई किसने, लेकिन इस योजना को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और अब जब यह गठबन्धन की सरकार इस योजना को इम्पलीमेन्ट करती है तो विरोधी पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है । विरोधी पार्टी के लोगों को यह लगता है कि यह काम क्यों हो रहा है और यह कहना कि डा० अम्बेडकर गांवों में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए ही काम हो रहा है यह सही नहीं है जो गांव चयनित किये गये हैं उसमें केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही नहीं रहते उसमें समाज के सब लोग रहते हैं और इससे डा० अम्बेडकर ग्राम में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही उसका लाभ नहीं मिलता, बल्कि समाज के सभी लोगों को उसका लाभ मिलता है । लेकिन इस योजना के तहत केवल एक ही कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है कि एस० पी०, एस० टी० को लाभ पहुंचाया जा रहा है ।

यह बात पहले बड़े पैमाने पर उठाई गयी थी कि जो डा० अम्बेडकर ग्राम का चयन किया गया है, इसका चयन सही नहीं किया गया है तो जो पहले ग्राम चयनित किये गये थे । वह हमने नहीं चयनित किये थे, उसको दूसरी सरकारों ने चयनित किया था । दुबारा में हमने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में जो 425 विधान सभा की सीटें हैं उसमें हमने यह फार्मूला रखा कि हर विधान सभा सीट से 10 ग्राम डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में लिये जायेंगे । इन ग्रामों का चयन हो चुका है और उसमें काम भी बहुत तेजी से चल रहा है । जहां तक पट्टे का सवाल है । पट्टा पूर्व में दूसरी सरकारों ने काटा था, पट्टा कागज में तो काट दिया लेकिन जिनके नाम पट्टा काटा गया था, उनको जमीन का कब्जा नहीं दिलाया गया तो पहले की हमारी सरकार ने वर्ष 1995 में इस चयन में पट्टा अभियान चलाया जिनको पूर्व की सरकारों ने पट्टा काट दिया था, कब्जा नहीं दिलाया तो हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को कब्जा दिलाया और जिन लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी तो नियमानुसार उनको नया पट्टा भी काटा गया । यह भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया । मान्यवर जी, इस बजट के अन्दर एक तरफ तो यह बोलते हैं कि एस० सी०, एस० टी० के लिए बहुत कुछ किया गया है और दूसरी तरफ कहते हैं कि एस० सी०, एस० टी० के लिए बजट में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, अब समझ में नहीं आती कि कौन सी बात मानी जाय ? मान्यवर जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि केन्द्रीय योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार वार्षिक योजना के कुल परिव्यय का कम से कम 21 प्रतिशत परिव्यय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की विकास योजनाओं के लिए रखा जाना अनिवार्य है । प्रदेश की वार्षिक योजना में 1,516 करोड़ रुपये, जो कुल परिव्यय का 21.4 प्रतिशत है, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए रखा गया है जिससे डा० अम्बेडकर ग्रामों के साथ-साथ अन्य ग्रामों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास कार्य कराये जायेंगे । मान्यवर जी, डा० अम्बेडकर ग्रामों के बहाने यह कहना बिल्कुल गलत है कि गांधी ग्रामों में काम नहीं हो रहा है । गांधी ग्रामों में 10 महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

इन सभी 900 गांवों में वर्ष 1997-98 में ही सारा कार्य पूरा हो जायेगा जिसके लिये 41.56 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । मान्यवर जी, डा० अम्बेडकर गांवों तथा गांधी गांवों खर्चों की तुलना करना उचित नहीं है और न ही ये दोनों कोई प्रतियोगी कार्यक्रम हैं । चूंकि गांधी ग्राम एक ही बार गांधी शताब्दी में चयनित हुए और उनकी संख्या मात्र 900 है इसलिए उन पर होने वाला खर्चा स्वाभाविक रूप से अम्बेडकर ग्रामों, जिसकी संख्या 15,000 से भी ज्यादा है, की तुलना में कम होगा ।

जब अम्बेडकर ग्रामों की संख्या ज्यादा है, तो प्राविधान ज्यादा रखा जायेगा । जब गांधी ग्रामों की संख्या 900 है तो उन ग्रामों की संख्या को ध्यान में रखकर फंड उसी हिसाब से रखा जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने एक राय दी थी कि आजादी की स्वर्ण जयन्ती इस वर्ष मनायी जा रही है, तो गांधी ग्रामों और स्वराज गांवों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये और उसी हिसाब से धन आवंटित किया जाय ।

सुश्री मायावती–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बजट चर्चा के दौरान इस बात को कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति की तरफ ही ध्यान दिया है, पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उनके हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया है । सच्चाई यह है कि मेरी सरकार ने पिछड़े वर्ग के उन तमाम लोगों की सुधि ली है जिनकी ओर कोई नजर भी नहीं उठाता था । जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग थे ।

श्री धनीराम वर्मा–

पिछड़ी जाति की संख्या 52 प्रतिशत है ।

सुश्री मायावती–

हमने न केवल आर्थिक सामाजिक विकास के अवसर दिये हैं बल्कि प्रदेश की शासन व्यवस्था में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है । मान्यवर, हमारा ध्यान इस बात पर भी रहा है कि 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल कुछ जातियों को न मिलकर उन सबको मिले जो सही मायने में इसे पाने के हकदार हैं । हमने 11 जातियों राय सिक्ख, कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार, रायका भिश्ती, नित्ती गब्बासी, नानबाई, मोर शिकार, शेख सरवरी पिराही, मेव, मेवासी, कोष्टा/कोष्टी रोड़, खुमरा, संगतराश, हंसौरी नाम से जानी जाने वाली जातियों के साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में न आने वाली धोबी जाति को भी पिछड़ी जाति में शामिल किया है ताकि इन्हें पिछड़े वर्ग के लिये प्रदत्त सुविधायें मिल सकें ।

इसी क्रम में अनके जातियां पिछड़े वर्ग के लाभ से इसलिये वंचित थी क्योंकि वे पर्यायवाची या उप जाति के नाम से जानी जाती थी । हमने मुख्य जाति के साथ 13 उप जातियों को पिछड़ी जातियों में जोड़ने का निर्णय लिया है । इसके तहत सैफी को बढ़ई–लोहार के साथ, कश्यप को कहार के साथ, पाल एवं बघेल को गड़रिया के साथ, रोहबानी को जोगी के साथ, साहू को तेली के साथ, काकुत्स्थ को दर्जी के साथ, राजभर को भर के साथ, कशोधन को भर्जी–भड़भूजा के साथ, ग्वाला, यादव और यदुवंशी को अहीर के साथ तथा रंकी, मुकेरी व मुकेरानी को बंजारा के साथ जोड़ने की कार्यवाही की है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) क्या यह पिछड़े वर्गों के लिये काम नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं कि जो जातियां पिछड़े वर्ग में नहीं आयी थी, उप जातियों के नाम से जानी जाती थी, वे बोल रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने यह नहीं कहा ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उनसे जानना चाहूंगी कि पिछड़े होने के बावजूद हमारे जो मुस्लिम भाई-बहन आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे थे, उनके लिए प्रमाण्-पत्र प्राप्त करने तथा आरक्षण का लाभ उठाने का द्वार आखिर किसने खोला ?

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 1995 में हमारी सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने द्वार खोले थे । मान्यवर, पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रथम युग महापुरुष छत्रपति शाहू जी महाराज का सम्मान किसने बढ़ाया ? इसे हमने बढ़ाया है । मान्यवर, वर्ष 1995 में कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति शाहू जी नाम से रखा । यह पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते थे । मान्यवर, दोबारा जब हमारी सरकार बनी तो बांदा में एक नया जिला बनाया जिसे पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले शाहू जी महाराज के नाम से रखा । इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने छत्रपति शाहू जी के नाम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भागीदारी भवन भी बनाया जा रहा है जिसमें आई० ए० एस० पी० सी० एस०, मेडिकल, एम० बी० ए० आदि के लिए कोचिंग की सुविधा इन पिछड़े वर्गों के प्रतियोगिता को दी जायगी । इस भागीदारी भवन का निर्माण हमारी सरकार ने किया जिसका उद्घाटन 26 जुलाई को किया गया है और 26 जुलाई से क्लासेस शुरू हो गई है ।

जहां तक महात्मा ज्योतिबाफुले का सवाल है तो वह पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे । इसलिए उनके नाम से मुरादाबाद में एक नया जिला बनाया और जिसका नाम ज्योतिबाफुले रखा । इस प्रकार बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ही साथ ऐसे लोगों को हमारी सरकार ने मान और सम्मान दिया है ।

मान्यवर, इसके साथ ही हमारी सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं । जहां तक धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं का सवाल है तो हमने वर्ष 1995 में और अब भी अल्पसंख्यक समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हमारी सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया था और दे रही है । उसके साथ ही अल्पसंख्यकों की जान और माल की हिफाजत तथा उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा कर रही है ।

मान्यवर, हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के पात्र छात्रों के वजीफे दूने कर देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार आर्थिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं । हमारी सरकार ने जब यहां कार्यभार संभाला तो उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब थी और उद्योगों को कोई बढ़ावा नहीं मिला था । उस समय उद्योगपति उत्तर प्रदेश में यहां के गुंडों और माफिया लोगों के डर से नहीं आना चाहते थे और जो यहां थे वह भी भाग रहे थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि उद्योगों को आकर्षित करना है जिससे यहां नये उद्योग लगे और जो पुराने हैं उनमें भरोसा पैदा करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी बनेगी । मान्यवर, हमारी सरकार ने यहां ऐसा वातावरण पैदा किया जिससे उद्योगपति यहां आने लगे और हमारी सरकार के गठन के पश्चात् 31 मई, 1997 तक 103 उद्योग लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें 2,053 करोड़ रुपये पूंजी निवेश प्रस्तावित है । विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 83 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश निहित है । मान्यवर, हमारे कार्यकाल में यूनाइटेड किंगडम की प्रसिद्ध कार कम्पनी लैंडे रोवर द्वारा उत्तर प्रदेश में 450 करोड़ रुपये की लागत से एक नई कार परियोजना शुरू करने के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया है । क्या ये उदाहरण उत्तर प्रदेश में उद्यमियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के ठोस सबूत नहीं हैं ।

मैं यह समझती हूं कि इस हुकूमत के दौरान बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा मिला है । जहां तक किसानों की बात आयी तो मैं कहना चाहती हूं कि इस सरकार ने किसानों के हित के लिए कार्य किये हैं । हमने यह प्रयास किया कि उन्हें सारी सुविधायें मिलें । हमारी सरकार का मानना है कि प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि का विकास निहायत जरूरी है और इसलिये हमने कृषि को बढ़ावा दिया है । इसके लिए हमने सभी प्रयास किया है और इसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं । उदाहरण के लिए इस वर्ष 3.17 लाख कुन्तल खरीफ फसलों के उन्नति बीजों की व्यवस्था की गयी है जबकि पिछड़े वर्ष केवल 2.53 लाख कुन्तल की व्यवस्था की गयी थी । गत वर्ष खरीफ में 13.77 लाख

मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो सकी थी, किन्तु इस वर्ष खरीफ में 15.24 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करायी है । मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा यह कहना आश्चर्यजनक है कि धान की बोवाई जिस समय होनी चाहिये थी, उस समय नहीं हुई और इसकी वजह से धान की बालियां नहीं आई । यदि वह सचमुच किसान हैं तो वह जानते ही होंगे कि सावन में बालियां नहीं आती हैं । तो इस तरह से व्यवस्था की गयी है । चाहें सिंचाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या अन्य कोई और मामले हो सब में विकास करने की बात कही गयी है । गन्ने मूल्य की बात कही गयी तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जो पिछली सरकार का 86 प्रतिशत बकाया था उसे हमारी सरकार ने भुगतान करा दिया है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त भी अन्य मामलों में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी [x x x] बोल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बजट भाषण के दौरान कुछ स्पष्टीकरण मांग लिये जाते हैं । तो माननीय मुख्य मंत्री जी बजट भाषण कर रही हैं, तो उनका उत्तर दे देना चाहिये अगर नेता विरोधी दल स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो मा० मुख्य मंत्री जी, एक मिनट बैठकर नेता विरोधी दल की बात सुन लीजिये और अगर आवश्यक होता है तो उसका उत्तर दे देती हैं । नेता विरोधी दल ने एक स्पष्टीकरण मांगा है जब आप अपना उत्तर समाप्त कर लें, तो उसका उत्तर दे दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैंने चर्चा में कहा था कि जब मुख्य मंत्री जी उत्तर दें, तो उत्तर मिल जाना चाहिये । धान की फसल की पौध डालने के लिये पानी की व्यवस्था के लिये कब-कब नहरें चालू की गयी और किस-किस अवधि में चालू की गयी और वह कौन-कौन सी हैं, जो चलीं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं नोट कर रहा हूं । मा० मुख्य मंत्री जी, आप अपनी बात कहें । बाद में इसका उत्तर दे दें ।

सुश्री मायावती–

मैं पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के बारे में बता रही थी कि इस सरकार ने अपने कार्य काल के दौरान इन दोनों क्षेत्रों की ओर गत वर्ष के मुकाबले में ज्यादा ध्यान दिया है । मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यदि आंकड़ों को ही लिया जाय, तो वार्षिक योजना में पूर्वांचल विकास निधि में 92 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि में 23 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है । वर्ष 1994-95 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय पूर्वांचल विकास निधि के लिये मात्र 40 करोड़ रुपये और बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये केवल 10 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था । इस प्रकार वर्ष 1997-98 में हमने इन निधियों की धनराशि में काफी वृद्धि की है । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड के विकास के लिये किया गया यह प्राविधान एक अतिरिक्त प्राविधान है ।

मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड के विकास के लिये किया गया यह प्राविधान एक अतिरिक्त प्राविधान है । बुन्देलखण्ड और जो दूसरे विकास के मामले हैं और जो स्थानीय

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

समस्यायें हैं, हमारी सरकार समय-समय पर पूरा धन दे रही है । मान्यवर, जहां तक विकास दर का सवाल है, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कहा है कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिये विकास दर 7 प्रतिशत रखी गयी है, जबकि हर वर्ष 10 प्रतिशत मंहगाई बढ़ जाती है इसलिये दशमलव एक प्रतिशत भी विकास दर बढ़ने की संभावना नहीं है । मान्यवर, उनका यह कथन गुणा भाग की सतही जानकारी पर है और वह आर्थिक विकास की मूल अवधारण को समझ ही नहीं पाये । मूल बात यह है कि 7 प्रतिशत विकास दर को जो लक्ष्य रखा गया है वह स्थिर मूल्यों पर राज्य की आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर निकाला जाता है । चूंकि इसका आधार स्थिर मूल्य होता है इसलिये इस पर वार्षिक मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रा स्फीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिये माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कथन भ्रामक एवं वास्तविकता से परे है कि मंहगाई और वेतन वृद्धि के फलस्वरूप 7 प्रतिशत विकास की दर प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

बिलकुल सही ।

सुश्री मायावती–

जहां तक बजट का सवाल है, विरोधी दल के नेता का यह कहना सही नहीं है कि बजट में शुद्ध घाटा 6 हजार 493.09 करोड़ रुपया है ।

लेखा पद्धति के अनुसार ओपनिंग बैलेंस और लोक लेखा की शुद्ध प्राप्तियां हिसाब में लेने के बाद ही घाटे की शुद्ध राशि निकाली जाती है । सभी राज्य सरकारें अपना बजट प्रस्तुत करते समय इसे दर्शाती हैं । माननीय नेता विरोधी दल अवगत होंगे कि प्रदेश के पिछले वर्षों के बजट में भी घाटे दिखाने की यही प्रक्रिया अपनाई गयी है । अतः वर्ष 1997-98 में जैसा कि बजट भाषण में बताया गया है, शुद्ध घाटा 289.57 करोड़ रुपये है । (व्यवधान) इससे ज्यादा नहीं है ।

नये मंडल और नये जिले बनाने का सवाल यहां पर उठाया गया और कहा गया कि प्रदेश का सारा पैसा नये मण्डल और नये जिले बनाने पर लगा दिया गया है । वास्तविकता बिल्कुल अलग है । मान्यवर जी, वर्ष 1997-98 में पूरे प्रदेश में होने वाले नये कार्यों से संबंधित सभी मदों में कुल मिलाकर 981.60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो संपूर्ण बजट का केवल 3.1 प्रतिशत है । जाहिर है कि नयी कमिश्नरी, जिले व तहसील की मद में होने वाला व्यय नाममात्र ही आयेगा । इसे पूरे बजट का 10 प्रतिशत कह देना हास्यास्पद है । इस संबंध में मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगी कि नयी कमिश्नरी, जिले व तहसील में कार्य प्रारम्भ करने के लिये जो आवश्यक स्टाफ और साधन अपेक्षित हैं उसी के अनुसार किया है और यह हमने उ० प्र० की कानून व्यवस्था को ध्यान में रख कंर किया है । मैं समझती हूं कि इसका विपक्ष के सभी नेताओं को वैलकम करना चाहिये था लेकिन वैलकम करने के बजाय उनको तकलीफ हो रही है । प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये । छोटे-छोटे जिले बनाने से अपराधी आसानी से पकड़े जायेंगे । उनको अपराधियों के पकड़े जाने की फिक्र हो रही है इसलिये वह विरोध कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामजग–

मैं जानना चाहता हूं कि जो नये जिले और कमिश्नरी बनाने की घोषणा की है उनके लिये भवन वह अपने कार्यकाल में बनाकर संचालित कर देंगी ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अच्छा होगा जब नेता सदन अपनी बात पूरी कर लें उसके बाद जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं नोट करते रहे उत्तर के बाद पूछ लें तो सुविधा होगी । माननीय सदन का समय भी बचेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मुझे ऐसा लगता है नेता विरोधी दल को अपने बचपन का आचरण याद आ रहा है जब वह प्राइमरी स्कूल में उठक-बैठक किया करते थे ।

श्री अध्यक्ष–

मुद्दा गंभीर है इसे हल्का मत करिये ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर जी, बजट चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि यह जो गठबन्धन की सरकार है यह 6-6 महीनों के लिये बनी है और यह बजट जो मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह केवल 6 महीनों के लिये रखना चाहिये था । जब इस किस्म की बात सदन में कही गयी है तो मैं विरोधी पार्टियों के नेताओं को बताना चाहती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है । मान्यवर जी, माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान जो बिन्दु उठाये गये उनका उत्तर मैंने बहुत संक्षेप में देने की कोशिश की है । आपके माध्यम से मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं कि यह सदन जानता है जितना समय माननीय नेता प्रतिपक्ष को मिला उसके हिसाब से बहुत समय-मुझे मिला है । लेकिन फिर भी मैंने आपके आदेश का पालन किया और आपके आदेश के पालन के मुताबिक मैंने संक्षेप में हर बिन्दु पर अपनी बात रखी है । मान्यवर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष मुझे माफ करेंगे कि मैं उनके द्वारा उठाये गये भैंस काण्ड का भी निपटारा नहीं कर पायी हूं । मान्यवर, यह सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह उम्मीद करता था कि वह राजनैतिक चहार दीवारी से बाहर निकलकर गंभीर नजरिया अपनाते हुये कुछ ठोस बातें कहेंगे और उनका सरोकार प्रदेश के बहुमुखी विकास की तरफ होगा लेकिन वह तीन दिन तक धान के बजाय भूसी कूटते रह गये और कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दे पाये । अन्त में मान्यवर, मैं उन सभी नेताओं व सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती हूं । जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन धान की फसल के बारे में, जो नहर चलवाने का आदेश है उसके बारे में बता दें ।

सुश्री मायावती–

इसको बाद में ले लिया जायगा ।

अन्त में मैं एक बात आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहती हूं कि काफी कुछ बातें मैंने बजट प्रस्तुत करते समय रख दी थीं और जिन बातों का मैंने जवाब दिया वह इस बजट में आ चुकी हैं

लेकिन विरोधी पार्टियों के नेताओं, माननीय सदस्यों को बताने के लिये मैंने उन बातों को रिपीट किया है । मैं फिर दोहराना चाहती हूं कि विरोधी पार्टियों के लोग कितना भी चिल्ला लें हमारी सरकार ने जो फैसले लिये हैं उस पर कटिबद्ध रहेगी और उत्तर प्रदेश में विकास के जो रुके काम हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों में केवल कागज पर होते थे वह प्रदेश की जनता के सामने जमीन पर आयेंगे । जहां तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है हमारी सरकार कटिबद्ध है, उत्तर प्रदेश को हर प्रकार की गुंडागर्दी, माफियागर्दी को खत्म करके भयमुक्त वातावरण यह सरकार पैदा करेगी । आप विरोधी पार्टियों के लोग चाहे जितना चिल्ला लें, जेल भरें चाहे पेपर में छपवायें, चाहे होम मिनिस्टर साहब को लिखकर दें हमारी सरकार उनसे घबराने वाली नहीं है । हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनायेंगे और विकास कार्यों को तरजीह देंगे, उसकी तरफ हमारी सरकार के कटिबद्ध है, धन्यवाद ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जिन विभागों का बजट 10 और 12 प्रतिशत इसी वर्ष से बढ़ाया गया है उन विभागों में इसी साल से ज्यादा विकास कार्य कर सकेंगी ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर जी, इसका जवाब मैं दे चुकी हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज तो बड़ा आदान प्रदान हुआ मुस्कराहट के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से भाषण के बीच में । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि समग्र विकास के लिये प्रदेश में बराबरी का विकास हो । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सांसद निधि की तरह एक करोड़ रुपया प्रति निर्वाचन क्षेत्र विधायकों के लिये करने की घोषणा करेंगी ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर जी, विधायकों के बारे में श्री प्रमोद कुमार जी ने जो बात सदन के सम्मुख रखी है मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी व.. ी लंबे अरसे तक और दूसरी पार्टियों की भी सरकार रही हैं उन्होंने विधायकों के लिये स्पेशल फण्ड का क्या प्राविधान किया था ? हम जो भी व्यवस्था करेंगे अपने बजट को ध्यान में रखते हुए करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूछा है इसलिये मैं बता दूं । कदाचित उनको स्मरण होगा कि सांसद निधि की स्थापना कांग्रेस द्वारा ही की गई थी । उस समय आप भी सांसद थीं । कांग्रेस के सांसदों के लिये किया आप विधायकों के लिये कर दें । जहां तक बजट का सवाल है उसके लिये हम सुझाव देंगे कि पैसा कहां से आयेगा ? हम सुझाव भी देंगे और निधि भी बता देंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-7-97 को नियम–51 की 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं इसके साथ नियम–56 में प्राप्त 2 सूचनाओं को भी शामिल किया गया है । इस प्रकार नियम–51 में कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की वक्तव्य हेतु स्वीकार की गई है । दूसरी सूचना श्री मुन्ना चौहान, तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र चौथी सूचना श्री तेजभान सिंह की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की गई । श्री राधेश्याम सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य, डा० वकार अहमद शाह, डा० राम बाबू हरित, व श्री मोहन सिंह रावत गांववासी की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गई । शेष सूचनाएं निरस्त की गई ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बजट के समर्थन पर बोल रही थीं । मान्यवर, हमेशा जो परम्परा रही है कि उनके भाषण के बाद विपक्ष के सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्री जी प्रत्युत्तर देते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञान नहीं था तो वह कल दे दें । उनको उत्तर देना अनिवार्य है । मान्यवर, यह निर्देश आप सरकार को दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात पर विचार कर लेंगे ।

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्व विद्यालय आगरा में बी० एड० प्रवेश परीक्षा फार्म समय पर न दिये जाने तथा परीक्षा स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

[माननीय विधान सभा सदस्य, श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 29-7-97 को वक्तव्य दिए जाने के आदेश दिए हैं ।

2–माननीय सदस्य विधान सभा श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा 22-7-97 को नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी थी कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में बी० एड० प्रवेश परीक्षा फार्म समय पर न दिए जाने तथा 20 जुलाई, 1997 की परीक्षा स्थगित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्य ने इस प्रकरण पर वक्तव्य दिए जाने की मांग की थी जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ।

3–इस संबंध में सूचित करना है कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि बी० एड० प्रवेश परीक्षा के प्रवेश-पत्र दिनांक 11 से 13 जुलाई, 1997 तक निर्गत किए थे । यह शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ लोगों को प्रवेश-पत्र देर से भेजे गये हैं और मिले नहीं है । दिनांक 17-18 एवं 19 जुलाई को प्रवेश-पत्र मांगने वाले छात्रों को प्रवेश-पत्र निःशुल्क निर्गत कर दिए गये थे ।

दिनांक 19-7-97 को सबेरे से ही कुछ छात्र और कुछ असंबन्धित तत्व विश्वविद्यालय गेट पर आ गए, विश्वविद्यालय ने गेट के बाहर बने काउन्टर्स पर कर्मचारी बढ़ा दिए थे ताकि छात्रों को वहीं पर डुप्लीकेट प्रवेश-पत्र मिल जायें । छात्रों के साथ आए असामाजिक तत्वों ने वहां काम करना मुश्किल कर दिया और कुछ अन्दर आ गए तथा कुलसचिव कार्यालय के कुछ कर्मचारियों से मारपीट की और परीक्षाओं की लिस्ट तथा चार्ट आदि सामग्री, जो परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने के लिए तैयार थी और गेट के पास सीनेट हाल में रखी थी, से कुछ कागजात निकाल कर फाड़ दिए । इस कृत्य में अवांछनीय तत्वों का हाथ था जो विश्वविद्यालय में लायी जा रही तबदीलियों से परेशान हैं ।

स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें खदेड़कर स्थिति पर काबू पा लिया । चूंकि परीक्षा सामग्री की दुबारा तैयारी में कुछ समय लगा । अतः इस अपरिहार्य परिस्थिति में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि अब बी० एड० प्रवेश परीक्षा अगले रविवार दिनांक 27-7-97 को पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित की जायेगी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में छात्र हित में विज्ञप्ति तुरन्त जारी कर दी गयी है । समाचार पत्रों में भी यह विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी गयी है । ।

जनपद मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने से संबंधित श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 स्थगित हो रही है । माननीय सदस्य स्थगन ने अनुरोध किया है ।

प्रदेश में बढ़ते आई० एस० आई० के प्रभाव को रोकने तथा आगरा जनपद में हुई साम्प्रदायिक घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

सम्प्रति प्रदेश में आई० एस० आई० के प्रभाव के बढ़ने के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

[फिर भी एहतियाती तौर पर अभिसूचना तंत्र एवं नागरिक पुलिस को सतर्कता बरतने के लिए एलर्ट जारी किया गया है। आई० एस० आई० के क्रियाकलापों के संबंध में निरोधात्मक कार्यवाही तथा आवश्यक पतारसी करने के निर्देश दिये गये हैं ।

भारत–नेपाल सीमा पर आई० एस० आई० की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, नशीले पदार्थों आदि की तस्करी तथा जंगल माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करने हेतु 2 जोन एवं विशेष परिक्षेत्रों का गठन किया गया है । इस विशेष पुलिस बल का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश में नेपाल से जुड़ी हुई 830 कि० मी० की सीमा जिसमें जनपद पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थनगर तथा महराजगंज सम्मिलित किये गये हैं । इस विशेष पुलिस बल को आई० एस० आई० गतिविधियों के संबंध में अभिसूचना का स्तर आदान-प्रदान करने तथा कड़ी नजर रखने के विशेष निर्देश दिये गये हैं ।

दिनांक 20-7-97 को मोहल्ला ढोलीखार, थाना मन्टोला क्षेत्र में हिन्दुओं (जाटव) मुसलमानों में जुआ खेल रहे व्यक्तियों के मध्य हारजीत के प्रश्न को लेकर विवाद/मारपीट हुई । घटना की प्रतिक्रिया में आसपास के मोहल्लों के दोनों सम्प्रदायों के व्यक्तियों में फायरिंग/पथराव हुआ । पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तुरन्त मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया । इसी दौरान किसी ने एक अज्ञात व्यक्ति को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु हो गयी । इस मृतक की पहचान शब्बीर कुरेशी, निवासी–ग्राम बगहा, जिला चम्पारन (बिहार) के रूप में की गयी । वह एक होटल में कार्य करता था लूटपाट/आगजनी कर, पांच हिन्दुओं व सात मुसलमानों के मकान/दुकान व कारखाना क्षतिग्रस्त किये गये ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अब तक संबंधित थाना क्षेत्रों में कुल 6 (छः) मुकदमें दर्ज किये गये हैं तथा 78 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

प्रश्नगत घटना में घायल 4 व्यक्तियों को रु० 4-4 हजार प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह धनराशि वितरित की गयी है । मृतक के परिवारजन के संबंध में उसके पैतृक प्रदेश (बिहार) से आवश्यक छानबीन करायी जा रही है ।

शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण से ''पीस कमेटी'' की बैठक निरन्तर की जा रही है । विगत 25 जुलाई, 1997 से केवल रात्रि का कर्फ्यू ही लागू है । दिन में कर्फ्यू में दी गयी ढील की अवधि में कोई उल्लेखनीय घटना प्रकाश में नहीं आयी ।

प्रश्नगत हिंसक/पथराव से संबंधित पूरे घटनाक्रम के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 23-7-97 को मण्डलायुक्त, आगरा को उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच सुपुर्द की गयी है । जांच आख्या प्रतीक्षित है । जिला प्रशासन द्वारा सामयिक एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तरोत्तर सामान्य होती जा रही है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 4 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ
दिनांक 29 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'ख' के ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 12 पर)

विद्यालयों में ली जा रही शुल्क की दरें

क्र०सं० मद	कक्षा 6 से 8	कक्षा 9–10	कक्षा 11–12	
1 विकास शुल्क	रु० 2.00	रु० 5.00	रु० 8.00	प्रतिमाह प्रतिछात्र
2 क्रीड़ा शुल्क	रु० 0.25	रु० 0.40	रु० 0.60	प्रतिमाह प्रतिछात्र
3 पुस्तकालय तथा वाचनालय	रु० 4.00	रु० 8.00	रु० 8.00	वार्षिक
4 गृह परीक्षा शुल्क	रु० 5.00	रु० 8.00	रु० 8.00	वर्ष में दो बार कक्षा 10 तथा 12 में एक बार
5 पंखा शुल्क	रु० 1.50	रु० 1.50	रु० 1.50	वार्षिक
6 वाद्य संगीत शुल्क	रु० 1.00	रु० 1.00	रु० 1.00	प्रतिमाह जहां हो
7 विज्ञान शुल्क	रु० 0.25	रु० 1.50	रु० 1.50	प्रतिमाह प्रतिछात्र
8 वालचर स्काउट गाईड शुल्क	रु० 0.25	रु० 0.25	रु० 0.25	प्रतिमाह प्रतिछात्र
9 कला एवं शिल्प कला शुल्क	रु० 0.10	रु० 0.10	रु० 0.10	प्रतिमाह प्रतिछात्र
10 रेडक्रास शुल्क	रु० 0.10	रु० 0.10	रु० 0.10	प्रतिमाह प्रतिछात्र
11 श्रव्य दृश्य शुल्क	रु० 0.10	रु० 0.10	रु० 0.10	प्रतिमाह प्रतिछात्र
12 पत्रिका शुल्क	रु० 3.00	रु० 5.00	रु० 5.00	वार्षिक
13 पुनः प्रवेश शुल्क	रु० 1.00	रु० 1.00	रु० 1.00	नाम कटने पर
14 छात्र पंजी शुल्क	रु० 1.00	रु० 1.00	रु० 1.00	प्रति लेने पर

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

महेश चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव ।

अर्धशा०प० सं०–4876/23-6-14(6) ईएम/83, म
उत्तर प्रदेश शासन,
लोक निर्माण अनुभाग–6,
लखनऊ : दिनांक 6 दिसम्बर, 1993

प्रिय महोदय,

श्री बी०एन० खरे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–2, गाजियाबाद के विरुद्ध कतिपय अनियमिततायें शासन के संज्ञान में लायी गयी अनियमितताओं की छानबीन करने के पश्चात् निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

(1) मस्टर रोल सं०–1528 पर श्री ओम प्रकाश शर्मा,अवर अभियन्ता मस्टर रोल संख्या–1257 से 1265 व मस्टर रोल सं०–1485 से 1493 पर श्री अमर सिंह, प्राविधिक सहायक, मस्टर रोल सं०–926, 1126, 1230 से 1230, 1458 से 1466 पर श्री धर्मपाल जैन, अवर अभियन्ता, मस्टर रोल सं०–969 पर रणधीर सिंह, अवर अभियन्ता, मस्टर रोल सं०–1001 पर एस० के० अग्रवाल, मस्टर रोल संख्या–978,979, 1296, 1302 से 1304 पर श्री संतसरन, अवर अभियन्ता द्वारा श्रमिकों के अपूर्ण पते लिखने एवं सर्वश्री एच० के० गर्ग,सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त मस्टर रोलों को पारित करते समय कोई आपत्ति न उठाने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर–430 के उल्लंघन का दोषी पाया गया ।

(2) राष्ट्रीय मार्ग संख्या–24 गाजियाबाद बाईपास के कि०मी० 14 में निर्मित हिण्डन नदी के पुल की सुरक्षा हेतु दिल्ली साइड के गाइड बांध के अप्रेन कटिंग के लिये डाउन स्ट्रीम तथा अपस्ट्रीम के लिये अलग-अलग निविदायें आमंत्रित की गयी । निविदाओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में नहीं कराया गया जिससे प्रतियोगीतात्मक एवं कम दरों का लाभ नहीं मिल सका । गाइड बांध में कार्टेड मिट्टी के साथ-साथ अप्रेनकटिंग की मिट्टी का भी प्रयोग किया गया जबकि अप्रेन कटिंग की मिट्टी को गाइड बांध के निर्माण के लिये अनुपयुक्त बताया गया । यदि गाइड बांध के कार्यों का सही रूप से प्राक्कलन एवं डिजाइन बनाकर व्यवस्था की जाती तो कार्टेड मिट्टी की ढुलाई में व्यय की गयी धनराशि की बचत की जा सकती थी तथा गाइड बांध के निर्माण के लिये अनुबंध की शर्तों के विपरीत 40 कि०ग्रा० से कम भार के पत्थर की आपूर्ति करने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को रु० 56,294/- का अधिक भुगतान किया गया । इन अनियमितताओं के लिये सर्वश्री एम० जी० पुष्करन, एच० के० गर्ग, सहायक अभियन्तागण, रणधीर सिंह, धर्मपाल जैन, एस० के० अग्रवाल, एस० के० गोयल, संतसरन, तुलसीराम शर्मा, ओ० पी० शर्मा, अवर अभियन्तागण को दोषी पाया गया ।

3–गाजियाबाद बाईपास के कि०मी० 14 में हिण्डन नदी के पुल के पीछे एक्टमेन्ट में दिल्ली तथा गाजियाबाद साइड में डलवाये गये वायर क्रेट्स में प्रयुक्त वायर ग्लेबनाइज्ड आयरन का न होना, तार की गुणता के संबंध में प्राक्कलन एवं अनुबंध में कोई उल्लेख न

किये जाने के लिये श्री एच० के० गर्ग, सहायक अभियन्ता एवं श्री संतसरन, अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया ।

4–श्री धर्मपाल जैन, अवर अभियन्ता द्वारा छपरौला औद्योगिक क्षेत्र में एक भूखण्ड श्री इन्द्रसेन जैन से क्रय किया गया । श्री इन्द्रसेन जैन नियमित विक्रेता एवं ख्याति प्राप्त संस्था नहीं है । जबकि अनियमित विक्रेता से भूखण्ड क्रय करने से पूर्व समुचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं किया गया । इस प्रकार श्री जैन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24(1) का उल्लंघन किया गया ।

5–गाजियाबाद बाईपास के कि०मी० 8 से कि०मी० 20.5 तक माप पुस्तिका के अनुसार लगाये गये स्टोन स्टड्स में से 1361 स्टोन स्टड्स कार्यस्थल पर कम पाये गये जिससे शासन को रुपये 20.85 प्रति स्टोन स्टड्स की दर से रुपये 1,361×20.85×रुपये 28,376.85 की क्षति पहुंचायी गयी । इस क्षति के लिये निम्नांकित अवर अभियन्ताओं से उनके नाम के सामने इंगित धनराशि के लिये उत्तरदायी पाया गया ।

नाम	गायब हुये स्टोन स्टड्स की संख्या	मूल्य
1–श्री धर्मपाल जैन, अवर अभियन्ता	903	18,827.55
2–श्री अमरसिंह, अवर अभियन्ता	54	1,125.90
3–श्री सन्त सरन, अवर अभियन्ता	19	396.15
4–श्री जे० पी० शर्मा, अवर अभियन्ता	120	2,502.00
5–श्री एच०एस० राजपूत अवर अभियन्ता व सहायक अभि०	55	1,146.75
6–श्री बलराम शर्मा, अवर अभियन्ता	68	1,417.80
7–श्री राजेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता	142	2,960.70
योग	1361	28,306.85

6–गाजियाबाद बाईपास के निर्माण में बी०यू०एस०जी०, पी०सी० तथा सील कोट हेतु प्राइवेट रोड रोलर की आपूर्ति हेतु आमंत्रित किये गये कोटेशन का विस्तृत विचार नहीं कराया गया तथा अधिक ऊंचे दर पर रोलर्स की आपूर्ति की गयी । विस्तृत प्रचार न कराये जाने से प्रतियोगीतात्मक एवं कम दरों का लाभ नहीं मिल सका । श्री ए० के० दूबे,अवर अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा विभागीय रोड रोलर सं०–1405, 1395, 2055, 21238 की रनिंग लागबुकों में कटिंग, ओवर राइटिंग तथा बाद में प्रविष्टि बढ़ायी गयी । इसके लिये सर्वश्री एच० के० गर्ग, सहायक अभियन्ता, ए० के० दूबे, अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया ।

7–उक्त मार्ग के कि०मी० 8 से कि०मी० 20.5 तक के निर्माण में 7 प्रतिशत की टालरेंस लिमिट के अनुमन्य किये जाने पर स्टोन ब्लास्ट, ग्रिट व बिटुमिन्स के कम मात्रा में प्रयुक्त होना पाया गया । कम प्रयुक्त किये गये स्टोन ब्लास्ट, ग्रिट व बिटुमिन्स की मात्रा के कारण शासन को हुई क्षति के लिये

निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं से उनके नाम के सम्मुख इंगित धनराशि के लिये उत्तरदायी पाया गया :–

नाम		धनराशि
सर्वश्री/-		
1–श्री आर० के० गर्ग,	सहायक अभियन्ता	रु० 52,468.61
2–एम० जी० पुष्करन,	सहायक अभियन्ता	रु० 21,427.02
3–एच० के० गर्ग,	सहायक अभियन्ता	रु० 25,291.59
4–धर्मपाल जैन,	अवर अभियन्ता	रु० 75,884.93
5–रणधीर सिंह	अवर अभियन्ता	रु० 21,316.36
6–एस० के० गोयल,	अवर अभियन्ता	रु० 52,599.86
7–एम० एस० आनन्द,	अवर अभियन्ता	रु० 37,069.47
8–अमर सिंह,	अवर अभियन्ता	रु० 14,195.00
9–एस० पी० गुप्ता,	अवर अभियन्ता	रु० 3,576.28
10–संत सरन,	अवर अभियन्ता	रु० 11,332.45
11–आर० पी० अग्रवाल,	अवर अभियन्ता	रु० 2,584.00
12–एस० सी० जैन,	अवर अभियन्ता	रु० 5,364.76
13–ओ० पी० शर्मा,	अवर अभियन्ता	रु० 3,559.25
14–एच० एस० राजपूत,	अवर अभियन्ता अन सहायक अभियन्ता	रु० 9,015.70
15–भैरो सिंह,	अवर अभियन्ता	रु० 2,180.70
16–मुन्नीलाल गुप्ता,	सहायक अभियन्ता	रु० 1,39,492.56
17–बलराम शर्मा,	अवर अभियन्ता	रु० 3,350.06
18–एस० के० अग्रवाल,	अवर अभियन्ता	रु० 2,279.56

8–उपर्युक्त प्रस्तर–1, 2, 3, 4, 5, 6, एवं 7 में उल्लिखित अनियमितताओं के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को निन्दित किये जाने, उनकी एक वेतन वृद्धि से स्थायी रूप से रोके जाने तथा उनके नाम के सम्मुख इंगित शासकीय क्षति की वसूली किये जाने का निर्णय लिया गया है । कृपया उपर्युक्तानुसार समुचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ।

9–श्री मुन्नीलाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता (अब सेवा निवृत्त) से शासकीय क्षति रुपये 1,39,492.56 की वसूली उनकी ग्रेच्युटी एवं अन्य अवशेष देयकों से करने हेतु सी०एस०आर० के अनुच्छेद 470-बी के तहत कार्यवाही शासन स्तर से की जा रही है । यदि फिर भी कोई धनराशि वसुली हेतु शेष रह जाती तो दीपानीबाद के माध्यम से उनसे वसूल की जायेगी । कृपया कार्यवाही पूर्ण होने तक श्री मुन्नीलाल गुप्ता की ग्रेच्युटी एवं अन्य अवशेष देयकों का भुगतान रोक दिया जाय ।

ससम्मान

श्री डी० के० गुप्ता,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

भवदीय,
ह०/-
(महेश चन्द्र श्रीवास्तव)

सं०–(1)/23–6–तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

प्रतिलिपि आपको अधिशासी अभियन्ता (परिवाद) के अ०शा० प० सं०–2493ईएफ(ख)/सी–12 ईएफ–2045/90 दिनांक 18-9-1993 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है इस मामले में अन्तर्ग्रस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें । यह प्रकरण लम्बित सतर्कता जांच के प्रकरणों में सम्मिलित है । अतः प्राथमिकता निवेदित है ।

श्री जय प्रकाश–द्वितीय
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)
लो० नि० वि०, उ० प्र०, लखनऊ ।

भवदीय,
(महेश चन्द्र श्रीवास्तव)

अनुबन्ध 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

याचिका की धारा–3(1) (ओ) के मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1995–96 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर रूग्ण निगमों में पिछले 3 वर्षों की हानि/लाभ का विवरण

	हानि (–)/लाभ (+) (लाख रुपयों में)		
	वर्ष 1993–94	वर्ष 1994–95	वर्ष 1995–96
1–उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि०	(–) 6067.23	(–) 5735.34	(–) 4651.37
2–उ० प्र० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल का० लि०	(+) 17.59	(+) 40.35	(+) 81.99
3–उ० प्र० राज्य चीनी निगम	(–) 6038.98	(–) 3894.88	(–) 13206.20
4–उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम	(–) 12402.54	(–) 1778.23	(–) 5005.15
5–दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कं०	(–) 9.52	(–) 332.92	(–) 257.01
6–उ० प्र० लघु उद्योग निगम	(–) 211.18	(–) 254.59	(–) 94.64
7–तराई अनुसूचित जनजाति विकास नि० लि०	(–) 60.07	(–) 52.89	(–) ×52.89 × (1994–95)
8–उ० प्र० खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	(–) 386.81	(–) 452.48	(–) 343.57
9–उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०	(–) 798.45	(–) 291.97	(–) 626.76
10–उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि०	(+) 161.00	(+) 119.00	(+) 396.00
11–उ० प्र० राज्य मत्स्य विकास निगम	(–) 45.31	(–) 14.96	(–) 18.78
12–उ० प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि०	(–) 73.71	(–) 69.07	(+) 6.06
13–उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम	(–) 58.49	(–) 48.03	(–) 69.76

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ .28 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का संलग्नक

लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 18 आर्क फर्नेस/स्टील प्लान्ट औद्योगिक संस्थान का विवरण

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम	स्वीकृत भार (के०वी०ए० में)	विधा	माह 6/97 के विद्युत बिल भुगतान का विवरण (रु० लाख में)
1	मै सोमानी स्टील लि०, उन्नाव	10100	आर्क इण्डक्शन फर्नेस	50.79
2	मै मोहन स्टील लि०, उन्नाव	8100	.. ..	62.67
3	मै मोहन स्टील लि०, उन्नाव	2000	रोलिंग मिल	16.78
4	मै रतन हरी रोलिंग मिल, उन्नाव	3000	.. ..	11.14
5	मै ऊषा उद्योग	900	.. ..	विच्छेदित
6	मै कानपुर स्टील एण्ड फेरो एलाएज, उन्नाव	250	इण्डक्शन फर्नेस	विच्छेदित
7	मै सण्डीला मेटल वायर्स, प्रा० लि०, हरदोई	1900	आर्क फर्नेस	5.78
8	मै रवि स्टील, दर्शन नगर, फैजाबाद	380	री रोलिंग मिल	1.12
9	मै लक्ष्मी रोलिंग मिल्स, बाराबंकी	330	रोलिंग मिल	1.35
10	मै गनेश स्टील, वाराबंकी	300	.. ..	1.00
11	मै राज स्टील, बाराबंकी	230	.. ..	1.25
12	मै विश्वकर्मा स्टील, बाराबंकी	400	.. ..	1.50
13	मै पशुपति एलाएज, बाराबंकी	5000	आर्क/इण्डक्शन	26.00
14	मै अंकुर स्टील, बाराबंकी बहराइच	295	रोलिंग मिल	1.00
15	मै मातनहेलिया स्टील कम्पनी, बहराइच	337	.. ..	0.86
16	मै क्रांति स्टील कम्पनी, बहराइच	2000	स्टील	9.77
17	मै मालविंका स्टील, जगदीशपुर	6500	.. ..	14.48/9.85
18	मै सारंग स्टील, जगदीशपुर	400	.. ..	0.90

परवी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

संलग्नक–1

जनवरी 1994 से मार्च, 1997 तक के विद्युत उत्पादन एवं पी०एस० एफ० के आंकड़े

माह	तापीय		जल विद्युत
	उत्पादन (मि० मु०)	पी०एस०एफ० (प्रतिशत)	(उत्पादन में) (मि० मु०)
1	2		3
जनवरी 94	1344	51.4	307
फरवरी 94	1263	53.1	293
मार्च 94	1612	57.3	327
अप्रैल 94	1359	50.0	311
मई 94	1393	49.5	474
जून 94	1194	43.9	553
जुलाई 94	1113	37.7	681
अगस्त 94	950	29.7	688
सितम्बर 94	974	32.5	740
अक्टूबर 94	1290	40.5	611
नवम्बर 94	1417	46.0	453
दिसम्बर 94	1441	45.3	454
जनवरी 95	1470	46.3	352
फरवरी 95	1475	51.4	392
मार्च 95	1535	48.3	412
अप्रैल 95	1439	46.8	414
मई 95	1550	48.8	515
जून 95	1423	46.3	509
जुलाई 95	1323	41.6	456
अगस्त 95	1294	40.7	481

1	2		3
सितम्बर 95	1261	41.0	500
अक्टूबर 95	1510	47.5	480
नवम्बर 95	1535	49.9	332
दिसम्बर 95	1696	53.4	359
जनवरी 96	1629	51.3	323
फरवरी 96	1539	51.8	256
मार्च 96	1616	50.9	385
अप्रैल 96	1500	48.8	445
मई 96	1709	53.8	458
जून 96	1410	45.8	433
जुलाई 96	1370	43.1	549
अगस्त 96	1350	42.4	552
सितम्बर 96	1267	41.2	595
अक्टूबर 96	1402	44.1	482
नवम्बर 96	1340	43.6	405
दिसम्बर 96	1702	53.6	416
जनवरी 97	1919	60.3	350
फरवरी 97	1585	55.2	298
मार्च 97	1873	58.9	233

2–वार्षिक उत्पादन

वर्ष	तापीय उत्पादन (मि०यु०)	पी०एल०एफ० (प्रतिशत)	जल विद्युत (उत्पादन) (मि०यु०)
1994–95	15611	43.6	6061
1995–96	17813	47.5	5007
1996–97	18423	49.2	5214
1997–98 (अप्रैल–जून 97)	4890	52.5	1099

'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

कासगंज नगर के अन्तर्गत शीतगृहों की पिछले पांच वर्ष की विद्युत खपत विद्युत वितरण खण्ड कासगंज (एटा)

क्रम सं०	शीतगृहों का नाम	कनेक्शन संख्या	स्वीकृत भार	विद्युत खपत (यूनिट में) 1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	
1	मै० वीरेन्द्र शीतगृह कासगंज	1/एल.एच	119 के०वी० ए०	2.38.680	220.880	167598	202542	190631	
2	मै० जे०पी० शीतगृह कासगंज	2/एल.एच	154 के०वी० ए०	245980	255736	2.37.372	2.56.840	2.60.880	
3	मै० सहकारी क्रय वि० (समिति) शीत-गृह कासगंज	4/एल.एच	194 के०वी० ए०	476248	4.12.720	5.49.436	4.45.284	4.92.456	
4	मै० राज शीतगृह कासगंज	3/एल.एच	176 के०वी० ए०	320468	262916	261364	290672	313.232	
5	मै० के०वी० शीतगृह कासगंज	5301/ 020659	98 हा०पा०	188680	131605	53.623	149.156	151.422	
6	मै० राम शीतगृह कासगंज	5301/ 020358	99 हा०पा०	234604	173920	164960	175292	185.473	
7	मै० किसान शीतगृह कासगंज	5301/ 020390	98 हा०पा०	199199	182204	182204	146.822	156.944	
8	मै० आर० आर० शीतगृह कासगंज	5301/ 020358	99 हा०पा०	—	134070	124882	121160	151830	विद्युत संयोजन दिनांक 12-3-93

अनुबंध 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 56 एवं 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

सूची

पिछले तीन वर्षों (1994–95, 1995–96 एवं 1996–97) में निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण से खण्डवार प्राप्त कुल धनराशि का विवरण।

खण्ड/इकाई का नाम	पिछले तीन वर्षों (1994-95, 1995-96, 1996-97) में निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण से प्राप्त कुल धनराशि
1	2
(क) मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ	
1–विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद	1,15,14,600.00
2–विद्युत भण्डार खण्ड, हल्द्वानी	40,62,800.00
3–विद्युत भण्डार खण्ड, गाजियाबाद	70,73,400.00
4–विद्युत भण्डार खण्ड, मेरठ	1,58,35,600.00
5–विद्युत भण्डार खण्ड, आगरा	84,00,800.00
6–विद्युत भण्डार खण्ड, देहरादून	22,41,800.00
7–विद्युत भण्डार खण्ड, गोरखपुर	1,97,15,600.00
8–विद्युत भण्डार खण्ड, वाराणसी	63,67,200.00
9–विद्युत भण्डार खण्ड, इलाहाबाद	62,18,000.00
10–विद्युत भण्डार खण्ड, लखनऊ	82,19,000.00
11–विद्युत भण्डार खण्ड, कानपुर	68,32,000.00
12–विद्युत भण्डार खण्ड, बरेली	1,33,76,900.00
13–विद्युत भण्डार खण्ड, फैजाबाद	1,45,72,400.00
(ख) मुख्य अभियन्ता (पारेषण)	
1–विद्युत प्रेषण खण्ड–II, वाराणसी	48,70,540.00
2–विद्युत प्रेषण खण्ड, साहूपुरी, वाराणसी	1,15,920.00
3–विद्युत प्रेषण खण्ड, मिर्जापुर	9,59,317.00
4–विद्युत 400 केवी उपसंस्थान, सारनाथ	1,14,710.00
5–विद्युत प्रेषण खण्ड–II, गोरखपुर	1,03,642.00
6–विद्युत प्रेषण खण्ड–II, इलाहाबाद	13,58,575.00
7–विद्युत रचना इकाई, नैनी इलाहाबाद	39,32,239.83
8–विद्युत प्रेषण तन्तु पथ निर्माण इकाई, वाराणसी	9,67,410.30
9–विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर	27,200.00

1	2
10–विद्युत प्रेषण खण्ड, अलीगढ़	41,500.00
11–विद्युत प्रेषण खण्ड, मैनपुरी	85,000.00
12–विद्युत प्रेषण खण्ड, रामपुर	10,359.00
13–विद्युत प्रेषण खण्ड–II, मुरादाबाद	20,62,718.00
14–विद्युत प्रेषण खण्ड, मेरठ	16,01,359.00
15–विद्युत प्रेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर	9,77,786.97
16–विद्युत 400 केवी उपसंस्थान, मुरादनगर	29,565.00
17–विद्युत पारेषण खण्ड, मुरादनगर	46,47,741.00
18–विद्युत पारेषण खण्ड–I, गाजियाबाद	10,02,597.00
19–विद्युत पारेषण खण्ड, रुड़की	19,27,338.00
20–विद्युत पारेषण खण्ड, देहरादून	9,88,888.00
21–विद्युत पारेषण खण्ड, बरेली	9,77,786.00
22–विद्युत पारेषणखण्ड–II, लखनऊ	18,850.00
23–विद्युत पारेषण खण्ड, सीतापुर	10,50,000.00
24–विद्युत पारेषण खण्ड,फैजाबाद	3,25,000.00
25–विद्युत 400 केवी उपसंस्थान, सुल्तानपुर	1,61,628.00
26–विद्युत 400 केवी उपसंस्थान, कानपुर	1,43,000.00
27–विद्युत पारेषण खण्ड, झांसी	2,42,888.00
(ग) महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून	34,09,000.00
(घ) महाप्रबन्धक, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर	2,20,47,913.19
(ङ) महाप्रबन्धक, परीछा ताप विद्युत गृह, परीछा, झांसी	1,40,00,286.73
(च) महाप्रबन्धक, ओवरा ताप विद्युत गृह, ओवरा (सोनभद्र)	1,66,15,299.29
(छ) महाप्रबन्धक, अनपरा ताप विद्युत परियोजना, सोनभद्र	3,20,58,809.19
(ज) महाप्रबन्धक, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, अलीगढ़	1,71,86,660.00
(झ) महाप्रबन्धक, टाण्डा ताप विद्युत गृह, अम्बेडकरनगर	1,52,53,328.00
(ट) महाप्रबन्धक, केसा, कानपुर	15,61,016.00
(ठ) मुख्य अभियन्ता, रेस्पो, लखनऊ	7,59,25,000.00

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-57

अनुलग्नक–1

उपर्युक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि सेवायोजकों द्वारा परिशिष्ट में लिखित अपने 8 व्यक्तियों को दिनांक 5-2-78 से उन्हें कनिष्ठ श्रमिक श्री पी० के० जैन के समकक्ष वेतन निर्धारण नहीं किया जाना उचित एवं वैधानिक नहीं है । सम्बन्धित श्रमिकों का वेतन उन्हीं सिद्धान्तों पर निर्धारित किया जाए जो वर्ष 1987 में यू०डी०ए० के वेतन निर्धारण में लागू किये गये थे । सेवायोजकों के लिये यह भी आवश्यक है कि वह कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में भविष्य के लिये दृढ़ नीति निर्धारण करें और यदि आवश्यक हो तो नियमों में भी संशोधन कर उस आदेश की प्रतिलिपि शासन को सूचनार्थ भेजी जाए । बाद में निर्णय तद्नुसार दिया गया ।

नत्थी 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

विधान सभा प्रश्न संख्या–85 के उत्तर का संलग्नक

क्र०सं०	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का विक्रय मूल्य	जमा धनराशि का विवरण तिथि सहित	अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती कुसुम देवी	4/75	11,380	12,000/- दि० 31-8-92	720/-	
2	श्रीमती कुसुम	4/76	11,380	12,000/- दि० 31-8-92	720/-	
3	श्री राम सरन	4/77	11,380	1,360/- दि० 31-1-86		
				1,360/- दि० 30-11-85	8,160/-	
4	श्री रविन्द्र कुमार राय	4/78	11,380	500/	10,880	पंजीकरण के अतिरिक्त धनराशि जमा न करने के कारण भूखंड निरस्त
5	श्री सन्तोष कुमार शुक्ला	4/79	11,380	1,360/- दि० 8-5-87		
				1,360/- दि० 13-11-86		
				1,360/- दि० 11-2-87		
				1,360/- दि० 27-2-86		
				1,360/- दि० 8-5-86		
				1,360/- दि० 30-8-85		
				1,360/- दि० 24-11-85	1,860	
6	श्री अनिल कुमार निगम	4/80	11,380	5,380/- दि० 25-10-89	5,500/-	
7	श्री राम स्वरूप पटेल	4/81	11,380	1,360/- दि० 1-9-86		
				1,360/- दि० 8-5-87		
				1,360/- दि० 1-12-86		

1	2	3	4	5	6	7
				1,360/- दि० 31-5-86 1,360/- दि० 28-2-86 1,360/- दि० 31-8-85 1,360/- दि० 30-11-85	1,360/-	
8	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	4/82	11,380	500/- —	10,880/-	पंजीकरण के अतिरिक्त धनराशि जमा न करने के कारण भूखण्ड निरस्त
9	महसुन निशा	4/83	11,380	500/- —	10,880/-	.. ..
10	श्री शिव नन्दन त्रिवेदी	4/84	11,380	500/- —	10,880/-	.. ..
11	श्री राम केवल यादव	4/85	11,380	500/- —	10,880	.. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1-1-94 से 1-8-96 तक निलम्बित किये गये अधिकारियों का विवरण

संलग्नक–2

क्रम सं० नाम	पदनाम	तैनाती स्थान	निलम्बन की तिथि	पुनर्स्थापन (बहाली की तिथि)
सर्वश्री				
1 जगदीश चन्द्र	सहायक अभियन्ता (मीटर)	वि० परीक्षण खण्ड, बांदा	26-11-94	10-2-1995
2 सतीश कुमार जैन	उपखण्ड अधिकारी	वि० वि० उपखण्ड, हमीरपुर	तदैव	तदैव
3 रमाशंकर श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता	कार्यालय, अधी० अभियंता विद्युत वितरण मण्डल, कानपुर	तदैव	तदैव
4 के० सी० सिन्हा	अधिशसी अभियन्ता	वि० वितरण खण्ड, पीलीभीत	17-5-95	30-10-95
5 सिरावर सिंह	अधिशासी अभियन्ता	तदैव	तदैव	तदैव
6 एम० सईद	उपखण्ड अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
7 एस० के० सिंह	अवर अभियन्ता	तदैव	तदैव	तदैव
8 वी० एस० गंगवार	सबस्टेशन आपरेटर	तदैव	तदैव	तदैव
9 आर० एस० चौधरी	अधिशासी अभियन्ता	वि० वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर	12-9-95	21-10-95
10–आर० एस० खरे	सहायक अभियन्ता	वि० परीक्षण खण्ड, बहराइच	तदैव	तदैव
11–जग प्रसाद	अधिशासी अभियन्ता	वि० परीक्षण खण्ड, गोरखपुर	22-9-95	तदैव
12–प्रभुनाथ सिंह	अधिशासी अभियन्ता	वि० वितरण खण्ड, देवरिया	तदैव	तदैव
13–आर० एन० यादव	अधिशासी अभियन्ता	वि० परीक्षण खण्ड, इलाहाबाद	10-4-95	दिनांक 9-5-95 को इनके निलम्बन आदेश निरस्त दिये गये ।

कर

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58-59 पर)

संलग्नक–1

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	रेड इकाई द्वारा की गई चेकिंग का माह
1	मै हंश कास्टिंग यूनिट–प्रथम, हमीरपुर	नवम्बर, 94
2	मै हंश कास्टिंग यूनिट–द्वितीय, हमीरपुर	नवम्बर, 94
3	मै वीनस कास्टिंग, हमीरपुर	नवम्बर, 94
4	मै वन्दना स्टील्स, हमीरपुर	नवम्बर, 94
5	मै कामाख्या स्टील्स, बिजनौर	दिसम्बर, 94
6	मै सिंगमा कास्टिंग, फतेहरपुर	मार्च, 95
7	मै अर्पितस्टील्स, कासीपुर	अप्रैल, 95
8	मै आर०एस० स्टील्स, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
9	मै अमृत वर्षा, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
10	मै टेहरी स्टील्स, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
11	मै विमल स्टील्स, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
12	मै पीलीभीत इस्पात, पीलीभीत	मई, 95
13	मै मूलचन्द स्टील्स, सहारनपुर	मई, 95
14	मै हूरंग स्टील्स, रुड़की	मई, 95
15	मै आंध्र स्टील्स, फैजाबाद	जून, 95
16	मै जगदीश सीमेन्ट, सम्भल	जून, 95
17	मै बलवीर स्टील्स, उरई	जुलाई, 95
18	मै मोतीलाल, स्टील्स, झांसी	अगस्त, 95
19	मै इंदूर स्टील्स, झांसी	अगस्त, 95
20	मै गैरी स्टील्स, बहराइच	अगस्त, 95
21	मै जालान एलायज, पडरौना	अगस्त, 95
22	मै अभिनव स्टील्स, जौनपुर	सितम्बर, 95
23	मै ओंम स्टील्स, जौनपुर	दिसम्बर, 95
24	मै मथाना स्टील्स, कानपुर	दिसम्बर, 95
25	मै विक्टी कास्टिंग, फतेहपुर	जनवरी, 96
26	मै स्वरूप कास्टिंग, जनसेट	मार्च, 96
27	मै कामाख्या स्टील्स, बिजनौर	मई, 96

नत्थी 'ट'

(देखिये अता० प्र० सं० 105 का उत्तर पृष्ठ 59 पर)

संलग्नक–1

जनपद गोरखपुर में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत निम्न रोलिंग मिल एवं स्टील प्लान्ट्स है । इन इकाइयों के विरुद्ध वर्तमान स्वीकृत भार इनके नाम सामने अंकित है :–

क्र०सं०	रोलिंग मिल/स्टील्स प्लान्ट्स के नाम व पता	वर्तमान स्वीकृत भार (के०वी०ए०)
1	मै अशोक आइरन एवं स्टील वर्क्स, चौरी-चौरा, गोरखपुर	1000
2	मै पंजाब स्टील वर्क्स चौरी-चौरा, गोरखपुर	1200
3	मै कुन्दन स्टील वर्क्स चौरी-चौरा, गोरखपुर	900
4	मै जालान कानकास्ट, गोरखपुर (इण्ड कम०)	6000
5	मै जालान कास्टिंग, गोरखपुर	4550
6	मै जालान कानकास्ट (रो मिल), गोरखपुर	1200
7	मै जालान स्टील (रो मिल), गोरखपुर	1500
8	मै गोविन्द मिल्स लि०, गोरखपुर	4200
9	मै पापुलर इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स, मोहद्दीपुर, गोरखपुर	414

सत्यमेव जयते

अनुबंध 'ढ'

(देखिये अता० प्र० सं० 175 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

[redacted]

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
(अ)	राज्य सेक्टर	
	1–टाण्डा तापीय परियोजना	110
	2–लखवार व्यासी जल विद्युत परियोजना	420
	3–कटा पत्थर जल विद्युत परियोजना	19
	योग : राज्य सेक्टर	549
(ब)	ज्वाइन्ट सैक्टर	
	1–राजघाट जल विद्युत परियोजना (उ० प्र० अंश)	22.5
	2–टेहरी जल विद्युत परियोजना (उ० प्र०)	550
	योग : ज्वाइन्ट सेक्टर	572.5
(स)	निजी क्षेत्र	
	1–तरल पदार्थ पर आधारित परियोजनायें	
	क–चन्दौसी विद्युत परियोजना	106
	ख–गजरौला विद्युत परियोजना	105
	ग–साहिबाबाद विद्युत परियोजना	107
	घ–गाजियाबाद विद्युत परियोजना	106
	ङ–रुड़की विद्युत परियोजना	113
	च–वाराणसी विद्युत परियोजना	106
	छ–लखनऊ विद्युत परियोजना	109
	ज–कोसी कलां विद्युत परियोजना	355

1	2	3
	2–तापीय परियोजनायें	
	क–जवाहरपुर तापीय	2×400
	ख–रोजा तापीय	2×283.5
	ग–आनपारा "सी" तापीय	2×500
	घ–परतबपुर तापीय	4×500
	3–लघु जल विद्युत परियोजनायें	88
	(कुल आठ परियोजनायें)	———
	कुल : निजी क्षेत्र	5562

नत्थी 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं० 180 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88-89 पर)

खसरा नं०–181, 182, 183, 184, 185 इरादतनगर के प्लाट संख्या व सदस्यों के नाम–

क्रमांक	प्लाट संख्या	नाम सदस्य
1	2	3
1	36	श्री विजय प्रकाश गुप्ता
2	32	श्रीमती सुशील जायसवाल
3	19	श्रीमती सरोज उपाध्याय
4	20	श्री चिन्ना शुक्ला
5	9	श्री विकार अहमद
6	27	श्री विनोद कुमार अग्रवाल
7	26	श्रीमती अनीता कपूर
8	46	श्री शिव कुमार द्विवेदी
9	46–ए	श्रीमती मंजू
10	50	श्रीमती उषा देवी गुप्ता
11	34–ए	श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता
12	1	श्री तारिक अली
13	34–बी	श्री राधेश्याम गुप्ता
14	32–ए	श्रीमती कमलेश जैसवाल
15	52	श्री अनिल कुमार
16	49	श्री प्रताप नरायन जैसवाल
17	10 व 6	श्रीमती दीपा मित्तल
18	26–ए	श्री के० एस० द्विवेदी
19	18–ए	श्री जियाउर्रहमान
20	55	श्री श्रवण कुमार
21	47	श्री हरी राम सिंह
22	11	श्रीमती थैलमा, वर्कमैन
23	41	श्री राज किशोर कपूर
24	36–सी	श्री अमित कुमार
25	8 ए	श्री एहराज हुसैन
26	8–बी	श्री विकार अहमद
27	44	श्रीमती पार्वती देवी
28	40	श्री विनोद कुमार अग्रवाल
29	17	श्रीमती सुशीला अग्रवाल
30	16	श्री दिनेश अग्रवाल
31	4	श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव
32	43	श्री गौरी शंकर अग्रवाल

1	2	3
33	45	श्री मुन्नूलाल वर्मा
34	48	श्रीमती ब्रज रानी
35	53	श्रीमती राज कुमारी अग्रवाल
36	3	श्री मोहम्मद वसीम
37	34–ए	श्रीमती कंचन जायसवाल
38	35	श्रीमती शारदा चौरसिया
39	35–बी	श्री वीपत राम
40	4–ए	श्री मोहम्मद तैय्यब सिद्दीकी
41	25	श्रीमती आशा अग्रवाल
42	31	श्री राम जी यादव
43	18	डा० अजय कृष्ण अग्रवाल
44	44–ए	श्री दयानन्द अग्रवाल
45	35–ए	श्रीमती सावित्री देवी
46	28	श्री विनोद कुमार मिश्र
47	44–बी	श्री रामानन्द अग्रवाल
48	5	श्रीमती मन्जू अग्रवाल
49	22	श्री राजेन्द्र प्रसाद निगम
50	33	श्रीमती नीलम शुक्ला
51	21	कुमारी मन्नू कपूर
52	24	चन्द्रानी मिश्रा
53	15	शैली सिंह
54	29	श्रीमती उषा रानी
55	30	श्री अच्छन अख्तर
56	51	श्री ईशा दीन
57	6	श्री मो० नसीम
58	21–ए	अनू कपूर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 308 विधान सभा (678)–1997–813 (डी० टी० पी०) ।